लोक-सभा
वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ४८, १९६०/१८८२ (शक)

[२८ नवम्बर से ९ दिसम्बर, १९६० / ७ से १८ अग्रहायण, १८८२ (शक)]

2nd Lok Sabha

बारहवां सत्र, १९६०/१८८२ (शक)

(खण्ड ४८ में अंक ११ से २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

[द्वितीय माला, खंड ४८—अंक ११ से २०—७ नवम्बर से ९ दिसम्बर, १९६०/७ से १८ अग्रहायण, १८८२ (शक)]

अंक ११—सोमवार, २८ नवम्बर, १९६०/७ अग्रहायण, १८८२ (शक)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण १२६१

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४९३ से ५००, ५१८ और ५०१ १२६१—८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०२ से ५१७ और ५१९ से ५२६ . . १२८७—१२९८

अतारांकित प्रश्न संख्या ८४५ से ९१३, ९१५ से ९३४। . . १२८९—१३४४

सभा पटल पर रखे गये पत्र १३४५

अनुदान की अनुपूरक मांग (रेलवे), १९६०–६१ के बारे में विवरण १३४५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना १३४५—४८

(१) स्टैनवैक द्वारा शुल्क संरक्षण का अध्यपर्ण

(२) कानपुर में युद्धास्त्र कारखानों के आंशिक रूप से बाद हो जाने का समाचार

समवाय (संशोधन) विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में खंड ७९ से ९७ और ९९ से १८१ . . . . . १३४८—७४

नालागढ़ समिति के बारे में आधे घंटे की चर्चा १३७४- —७९

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १३८०—८५

अंक १२—मंगलवार, २९ नवम्बर, १९६० / ८ अग्रहायण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५२७ से ५३२, ५३४ से ५३६, ५३९, ५४१ और ५४२ . १३८७—१४०९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५३३, ५३७, ५३८, ५४० और ५४३ से ५६६ . १४०९—२४

अतारांकित प्रश्न संख्या ९३५ से १०१३ . . . १४२४—५८

राष्ट्र मंडल प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन के बा में वक्तव्य . . १४५९

सभा पटल पर रखे गये पत्र १४५९

अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य), १९६०–६१ के बारे में विवरण . १४५९

विषय	पृष्ठ
तारांकित प्रश्न संख्या ६९२ के उत्तर की शुद्धि .	१४६०
समवाय (संशोधन) विधेयक-संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में खंड १८१ से १९०, १९२ से २०३, २०५ से २१५, १९१, २०२ और २०४	१४६०—७९
प्रत्यक्ष कर प्रशासन जांच समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . .	१४७९—९३
दैनिक संक्षेपिका	१४९४—९९
अंक १३—बुधवार, ३० नवम्बर १९६०/९ अग्रहायण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५६८ से ५७१ और ५७३ से ५७६ .	१५०१—२२
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ .	१५२२—२६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५६७, ५७२ और ५७७ से ६०४ .	१५२६—३९
अतारांकित प्रश्न संख्या १०१४ से १०९० और १०९२ से १०९८	१५३९—७८
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	१५७८—७९
राज्य सभा से सन्देश	१५७९
ब्रिटिश संविधि—(भारत पर लागू होना) निरसन विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . .	१५७९
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
तिहत्तरवां प्रतिवेदन . . .	१५७९
रेलवे अभिसमय समिति का प्रतिवेदन . .	१५७९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
भारत पाकिस्तान रेल सम्पर्क सम्बन्धी समझौता .	१५८०—८१
कांगो की घटनाओं के बारे में वक्तव्य . . .	१५८२—८६
समवाय (संशोधन) विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—	
खंड ५ क, ९८ और १ . . .	१५८६—१६०४
पारित करने का प्रस्ताव . .	१६०४
सिन्धु पानी करार के बारे में चर्चा . .	१६०५—२६
दैनिक संक्षेपिका .	१६२७—३३

विषय	पृष्ठ
अंक १४—गुरुवार, १ दिसम्बर, १९६० / १० अग्रहायण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६०५ से ६०९, ६११, ६१२ और ६१४ . .	१६३५—५६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६१०, ६१३, ६१५ से ६३४ .	१६५६—६६
अतारांकित प्रश्न संख्या १०९९—११६८ .	१६६६—९४
स्थगन प्रस्तावों के बारे में	१६९४—९५
सभा पटल पर रखे गये पत्र . .	१६९५—९६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
१३ नवम्बर, १९६० को भाखड़ा बांध में हुई दुर्घटना . .	१६९६—९७
भारत पाकिस्तान वित्तीय वार्ता के बारे में वक्तव्य . .	१६९७—९८
गैर-प्रनुसूचित संचालकों के प्रति नीति के बारे में वक्तव्य .	१६९८—९९
समवाय (संशोधन) विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . .	१६९९—१७१३
निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव . .	१७१३—२७
कार्य मंत्रणा समिति—	
अट्ठावनवां प्रतिवेदन .	१७२७
दैनिक संक्षेपिका . .	१७२८—३३
अंक १५—शुक्रवार, २ दिसम्बर, १९६० / ११ अग्रहायण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६३६ से ६४५	१७३५—५५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६३५ और ६४६ से ६७९ . . .	१७५५—७०
अतारांकित प्रश्न संख्या ११६९ से १२५२ . .	१७७०—१८०८
स्थगन प्रस्ताव—	
बेरूबाड़ी का पाकिस्तान को हस्तांतरण और अर्जित राज्यक्षेत्र (विलय) विधेयक का राज्य विधान मंडलों को निर्देश .	१८०८—१२

विषय	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	१८१२–१३
सभा का कार्य .	१८१३–१४, १८१४–१५
कार्य मंत्रणा समिति––	
अट्ठावनवां प्रतिवेदन . .	१८१४
निवारक निरोध (जा ी रखना) विधेयक––	
विचार करने का प्रस्ताव	१८१५––३४
ग़ैर सरका ी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति––	
तिहत्तरवां प्रतिवेदन	१८३४
सामान्य बीमा के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प . .	१८३४––४४
निशान लगा कर मतदान करने की नई प्रणाली के बा ं में संकल्प . .	१८४४––५१
दैनिक संक्षेपिका	१८५२––५८
अंक १६––सोमवार, ५ दिसम्बर, १९६० / १४ अग्रहायण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या ६८०, ६८१, ६८३ से ६८६, ६८८, ६९०, ७०३, ६९४ से ६९९, ७०१ और ७०२ . .	१८५९––८३
अल्प सूचना प्रश्न संख्या २	१८८३––८५
प्रश्नों के लिखित उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या ६८२, ६८७, ६८९, ६९१ से ६९३, ७०० और ७०४ से ७१८	१८८५––९४
अतारांकित प्रश्न संख्या १२५३ से १२६२, १२६४ से १३२८ और १३३०	१८९४––१९२६
स्थगन प्रस्ताव––	
भिलाई इस्पात कारखाने के कर्मचारियों की प्रस्तावित छंटनी	१९२६–२७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१९२८
राज्य सभा से सन्देश	१९२८
निरसन तथा संशोधन विधेयक––	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया .	१९२८
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . .	१९२९
मोटर परिवहन कर्मचारी विधेयक––	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	१९२९
अधिमान-प्राप्त अंश (लाभांशों का विनियमन) विधेयक––	
प्रवर समति का प्रतिवेदन .	१९२९

विषय	पृष्ठ
मोटर परिवहन कर्मचारी विधेयक—	
संयुक्त समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य	१९२९
गुरुद्वारा रकाबगंज के निकट घटनाओं के बारे में वक्तव्य पाकिस्तान को बेरूबाड़ी के हस्तांतरण के बारे में केन्द्रीय सरकार और पश्चिम बंगाल की सरकारके बीच हुई चर्चा के बारे में वक्तव्य निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक विचार करने का प्रस्ताव . . .	१९२९—५१
खंड २ तथा १ .	१९५१—५५
पारित करने का प्रस्ताव	१९५५—५९
सभा का कार्य	१९६०
अनुदानों की अनुपूरक मांग (रेलवे) १९६०–६१	१९६०—६६
रेलवे अभिसमय समिति के प्रतिवेदन के बारे में संकल्प	१९६६—७१
दैनिक संक्षेपिका .	१९७२—७९
अंक १७—मंगलवार, ६ दिसम्बर, १९६०/१५ अग्रहायण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७१९, ७२०, ७२२ से ७२८ और ७३० से ७३२	१९८१—२००५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७२१, ७२९ तथा ७३३ से ७४३ .	२००५—११
अतारांकित प्रश्न संख्या १३३१ से १४०५ . .	२०११—४१
सभा पटल पर रखे गये पत्र . .	२०४१–४२
विधेयक-पुरस्थापित—	
(१) विनियोग (रेलवे) संख्या ५ विधेयक	२०४२
(२) प्रसूति लाभ विधेयक . . .	२०४२
रेलवे अभिसमय समिति प्रतिवेदन के बारे में संकल्प	२०४३—७२
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६०–६१ .	२०७३—७६
कृषि-जन्य पदार्थों के निम्नतम मूल्य के बारे में आधे घंटे की चर्चा .	२०७७—८४
दैनिक संक्षेपिका	२०८५—८९
अंक १८—बुधवार, ७ दिसम्बर, १९६०/१६ अग्रहायण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७४४ से ७४७ और ७४९ से ७५२ . .	२०९१—२११०
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७४८ तथा ७५३ से ७७८ . .	२११०—२१

विषय सूची

	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या १४०६ से १४९६ . .	२१२१—६३
अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना —	
(१) एक भारतीय गांव पर कथित पाकिस्तानी हमला	२१६३–६४
(२) गैर सरकारी क्षेत्र में कच्चे लोहे के संयंत्र	२१६५—६७
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	२१६४–६५
तारांकित प्रश्न संख्या १२३० के उत्तर की शुद्धि	२१६७–६८
विनियोग (रेलवे) संख्या ५ विधेयक-पुरस्थापित	२१६८–६९
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) १९६०–६१ .	२१६९—९२
चीनी के उत्पादन, वितरण और निर्यात के बारे में प्रस्ताव . .	२१९२—२२१५
पश्चिमी बंगाल के लिये पी० एल० ४८० निधि के बारे में आधे घंटे की चर्चा	२२१५—१८
दैनिक संक्षेपिका	२२१९—२५
अंक १९—गुरुवार, ८ दिसम्बर १९६०/१७ अग्रहायण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७७९ से ७८२, ७८४, ७८५, ७८७ और ७८९ से ७९२ । . . .	२२२७—४९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७८३, ७८६, ७८८ और ७९३ से ८०४ .	२२४९—५६
अतारांकित प्रश्न संख्या १४९७ से १५५८ . .	२२५६—८३
सभा पटल पर रखे गये पत्र . .	२२८४
राज्य सभा से सन्देश	२२८४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
राष्ट्रमंडल में गणराज्य बनने का दक्षिण अफ्रीका का निर्णय .	२२८४–८५
विनियोग (संख्या ५) विधेयक-पुरस्थापित . .	२२८५
भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक के बारे में . .	२२८५–८६
वायदे के सौदे (विनियम) संशोधन विधेयक —	
विचार करने का प्रस्ताव . .	२२८१—२३००
भारतीय डाक घर (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव .	२३००–२३०१
खंड १ और २ . .	२३०१
पारित करने का प्रस्ताव . .	२३०१
भारत में खेल कूद के बारे में प्रस्ताव	२३०२—१७
दैनिक संक्षेपिका	२३१९—२३

विषय	पृष्ठ
अंक २०—शुक्रवार, ९ दिसम्बर, १९६०/१८ अग्रहायण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८०५ से ८०७, ८०९ से ८११, ८१३ से ८१५ और ८१७ से ८१९	२३२५—४९
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . .	२३४९—५१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८०८, ८१२, ८१६ और ८२० से ८२९ . .	२३५१—५७
अतारांकित प्रश्न संख्या १५५९ से १६२० . .	२३५७—८३
स्थगन प्रस्ताव—	
कांगो में भारतीय सैनिक दल	२३८३—८४
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२३८४—८५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
भारत पाकिस्तान व्यापार वार्ता	२३८५—८६
सभा का कार्य . . .	२३८७
विनियोग (संख्या ५) विधेयक, १९६०—पारित .	२३८७—८८
वायदे के सौदे (विनियमन) संशोधन विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव . . .	२३८८—२४०५
खंड २ से २२ और १ . .	२३९९—२४०५
पारित करने का प्रस्ताव .	२४०५
सदस्य की गिरफ्तारी	२४०५
दिल्ली किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक (श्री तंगामणि का) पुरस्थापित .	२४०५
नैमित्तिक श्रमिकों की नियुक्ति का अन्त विधेयक—अस्वीकृत—	
विचार करने का प्रस्ताव	२४०६—११
भारतीय पुरातत्व संस्था विधेयक—	
परिचालित करने का प्रस्ताव	२४११—१६
दैनिक संक्षेपिका	२४१७—२२

नोट—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

GIPND—LS III—1623(Ai)LSD—30-12-60—115.

लोक-सभा

शुक्रवार, ९ दिसम्बर १९६०

१८ अग्राहयण, १८८२ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

रेलों पर भिखारी

+

†*८०५. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रा० चं० मांझी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री तंगामणि :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भिखारियों और बिना लाइसेंस के फेरी वालों और खोमचों वालों को रोकने के उद्देश्य से प्रत्येक जोनल रेलवे पर रेलवे सुरक्षा बल के रक्षकों और यात्री टिकट-परीक्षकों (टी० टी० ई०) के विशेष दल (स्कवैड) नियुक्त किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उन्हें इस में कितनी सफलता मिली है; और

(ग) इस काम पर कुल कितने व्यक्ति लगाये गये हैं और १९५९–६० में कितना धन व्यय किया गया ?

†मूल अंग्रेजी में

1623(Ai) LS—1.

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) भिखारियों और बिना लाइसेंस के फेरी वालों और खोमचे वालों को रोकने के कार्य के लिये मध्य रेलवे, पूर्व रेलवे, दक्षिण रेलवे और पश्चिम रेलवे के लिये यात्री टिकट परीक्षकों के विशेष दल और रेलवे सुरक्षा बल के रक्षक विशेष रूप से नियुक्त किये गये हैं; अन्य रेलों में यह कार्य सामान्य टिकट परीक्षक दलों द्वारा किया जाता है ।

(ख) इस समस्या को सुलझाने के लिये वे दल विशेष रूप से सहायक सिद्ध हुए हैं ।

(ग) केवल इसी कार्य के लिये २७२ व्यक्ति नियुक्त किये गये थे और इस कार्य पर १९५९–६० में लगभग ४.११ लाख रुपयों का खर्च आया था ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या रेलवे विभाग इन भिखारियों के लिये भिखारी गृह स्थापित करने की किसी योजना पर विचार कर रहा है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : यह कार्य क्षेत्र रेलवे का नहीं है। यह कर्तव्य तो राज्य सरकारों का है ।

†**श्री सुबोध हंसदा**: जब से इस समस्या को सुलझाने के लिये रक्षकों और विशेष दलों की नियुक्ति योजना लागू की गई है, तब से अब तक कितने भिखारियों को दण्ड दिया जा चुका है कितने खोमचे वालों को दण्ड दिया जा चुका है और बिना लाइसेन्स के खोमचे वालों को किस प्रकार का दण्ड दिया गया है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : भिखारियों को प्लेटफार्मों से हटा दिया गया है । फिर भी वे कभी कभी आ जाते हैं, उन पर नियंत्रण रखना कठिन सा हो जाता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : कितनों को दण्ड दिया गया है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : इस सम्बन्ध में मेरे पास एक लम्बी सी सूची है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : तो वह सभा पटल पर रख दी जाये ।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : जी, हां ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : जब अन्य रेलों में नियमित कर्मचारी ही इस समस्या को सुलझा रहे हैं तो इन रेलों में इस के लिये विशेष रूप से अलग कर्मचारी नियुक्त करने की क्या आवश्यकता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रकार के प्रश्न पूछने से क्या लाभ है ? इस समस्या को सुलझाने के लिये उन्हें कोई तो उपाय अपनाना था और उस के लिये नियुक्त कर्मचारियों पर ४ लाख रुपये खर्च किये गये हैं । मुझे खेद है कि यहां पर ऐसी जानकारी मांगी जा रही है जिसे कोई भी साधारण व्यक्ति बाहर से प्राप्त कर सकता है । माननीय सदस्यों से मैं यह कहूंगा कि वे गाड़ियों की प्रथम श्रेणी की अपेक्षा तीसरी श्रेणी में बैठ कर देखें कि वास्तविक समस्या क्या है । मैं इस प्रकार के प्रश्नों की अनुमति नहीं दे सकता । माननीय सदस्य आगामी आयव्ययक सत्र तक प्रतीक्षा करें और उस समय इस समस्या के समाधान के लिये सुझाव दें ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : प्रश्न यह है कि चार रेलवे जोनों में इस कार्य के लिये विशेष कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं । शेष जोनों में नियमित कर्मचारी ही इस समस्या को सुलझा रहे हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन चार जोनों में यह समस्या अधिक मात्रा में थी ।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : जहां तक पूर्व और दक्षिण रेलों का सम्बन्ध है, यहां भिखारी समस्या सब से अधिक है जहां तक मध्य और पश्चिम रेलों का सम्बन्ध

---

†मूल अंग्रेजी में

है, यहां बिना लाइसेन्स के खोमचे वालों की संख्या सब से अधिक है। इसीलिये इन चार जोनों को चुना गया है।

†**श्री तंगामणि** : क्या यह विशेष दल या वर्तमान नियमित कर्मचारी इस बात का ध्यान रखेंगे कि जिन भिखारियों को ऐसी बीमारियां हों जिन्हें देखते ही घृणा उत्पन्न हो जाये, उन्हें प्लेटफार्म पर बिल्कुल न आने दें और बिना लाइसेन्स के खोमचे वालों को गाड़ी के कमरों में बिल्कुल प्रवेश न करनें दें ? क्या इस वर्ष के अन्त तक कम से कम यह दो काम कर दिये जायेंगे।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : इस सम्बन्ध में स्थायी हिदायतें हैं कि ऐसे भिखारियों को एकदम हटा दिया जाये और उन खोंमचे वालों कोकमरों में न जाने दिया जाये। परन्तु फिर भी जहां ध्यान नहीं रखा जाता, वहां कभी कभी दाखिल हो ही जाते हैं।

†**डित ज्वा० प्र० ज्योतिषी** : विभिन्न रेलों में कितने खोमचे वालों को गिरफ्तार कर के उन्हें दण्ड दिया गया है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : क्या मैं सूची पढ़ूं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह उसे सभा पटल पर रख दें।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : मैं सूची सभा पटल पर रखता हूं। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २०]**

कुछ माननीय सदस्य उठे ––

†**अध्यक्ष महोदय** : यह एक ऐसा मामला है जिसे किसी अलग प्रकार से सुलझाया जाना चाहिये। माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में अपने सुझाव मंत्री जी के पास भेज सकते हैं अथवा आयव्ययक सत्र में वे अपने सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।

†**श्री वारियर**: क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि कई बार ऐसी घटनायें हुई हैं कि खोमचे वालों ने रेलवे कर्मचारियों को तंग किया है ?

†**श्री तंगामणि** : कोढ़ी लोग रेलों के कमरों में दाखिल हो जाते हैं . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तो सभी को ज्ञात है। माननीय मंत्री ने बता दिया है कि इस बारे में स्थायी हिदायतें जारी कर दी गयी हैं।

†**श्री वारियर** : क्या हिदायतें जल्दी की गयी हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : आगामी आयव्ययक सत्र में मैं इस सम्बन्ध में आधे दिन की चर्चा के लिये अनुमति दूंगा।

दिल्ली के क्षय-रोग के अस्पताल के कर्मचारी

†*८०६. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली के औद्योगिक पंचाट में श्री ई० कृष्णमूर्ति द्वारा कही गई इस बात की ओर दिलाया गया है कि क्षय रोग के अस्पतालों में काम करने वाले कर्मचारियों को रोग लग जाने का बड़ा खतरा रहता है, अतः उन्हें अधिक पौष्टिक तथा अच्छा आहार मिलना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या यह पंचाट दिल्ली के क्षय रोग के अस्पतालों के सभी कर्मचारियों पर लागू होगा; और

(ग) उन के वेतनक्रमों और भत्तों का पुनरीक्षण करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं, क्योंकि वह पंच निर्णय केवल भारत की क्षय रोग संस्था और नई दिल्ली के क्षयरोग केन्द्र महरोली के क्षयरोंग के अस्पताल के कर्मचारियों के झगड़े के सम्बन्ध में किया गया था ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि उक्त दोनों संस्थाय क्षय रोग संस्था के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन चल रही हैं । भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन नहीं । क्षय रोग संस्था ने इस निर्णय के विरुद्ध अपील करने के लिये उच्चतम न्यायालय से विशेष अनुमति के लिये कार्यवाही की है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : इस पंच निर्णय में श्री कृष्ण मूर्ति ने क्षय रोग के अस्पताल के कर्मचारियों के पक्ष में फैसला किया है । क्या सरकार उन के द्वारा कही गई बातों पर विचार करेगी और उस निर्णय को विभिन्न तपेदिक के अस्पतालों के कर्मचारियों पर लागू करेगी ?

†**श्री करमरकर** : उपयुक्त समय पर जो भी मामले उत्पन्न होते हैं उन सभी पर विचार किया जाता है । जब यह प्रश्न विचार के लिये आयेगा तो सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा उस पर अवश्य विचार किया जायेगा ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : जब इस पंच निर्णय में सरकार के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा गया है, तो फिर क्षय रोग संस्था इस सम्बन्ध में अपील क्यों कर रही है । इस में तो केवल क्षय रोग के रोगियों की सेवा करने वाले कर्मचारियों को अधिक सुविधायें देने के सम्बन्ध में कहा गया है ?

†**श्री करमरकर** : सरकार ने इस सम्बन्ध में अपील नहीं की है । यह तो एक पार्टी ने अपील की है जो यह समझती है कि उसे इस निर्णय के विरुद्ध कोई शिकायत है । हमारा इस से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

†**श्री तंगामणि**: यह कहा गया है कि इस मामले को उच्चतम न्यायालय में ले जाने से इस निर्णय की कार्यान्विति में विलम्ब हो गया है । क्या सरकार इस संस्था को उच्चतम न्यायालय में अपील करने से कम से कम रोक देगी ताकि वे कर्मचारी इन सुविधाओं से वंचित न रह जायें ?

†**श्री करमरकर** : यदि किसी पार्टी को अपील करने का अधिकार प्राप्त है, तो सरकार द्वारा उसे रोकना उचित नहीं है । आशा है कि माननीय सदस्य मेरी इस दृष्टि से सहमत होंगे । जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, यह अपील उस पार्टी ने की है, भारत सरकार ने नहीं की है ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : दिल्ली के अस्पताल में क्षय रोग के रोगियों की खुराक पर सरकार द्वारा कितनी राशि खर्च की जाती है ?

†**श्री करमरकर** : इस के लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है परन्तु मुझे कुछ एक रोगियों से ही ज्ञात हुआ है कि महरौली के अस्पताल में दिया जाने वाला भोजन अन्य क्षय रोग के अस्पतालों के भोजन से अच्छा है । जहां तक किये जाने वाले खर्च का सम्बन्ध है, संभव है कि विभिन्न रोगियों पर विभिन्न राशि खर्च की जाती हो । यदि माननीय सदस्य भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन

---

†मूल अंग्रेजी में

किसी विशेष सरकारी अस्पताल के सम्बन्ध में पूछना चाहते हैं तो उस के लिये मुझे एक अलग पूर्व सूचना की जरूरत है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : उस पंचाट में प्रमुख सिफारिशें क्या की गयी हैं और क्या सरकार इस क्षय रोग संस्था को कुछ धन अदा कर रही है और क्या सरकार का इस संस्था पर कोई प्रशासनिक नियंत्रण है ?

†**श्री करमरकर** : जी, नहीं । उस पर हमारा कोई प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है, सिवाय इस के कि स्वस्थ्य सेवाओं के महा निदेशक उस की स्थायी समिति के सभापति हैं । कानून के अधीन यह एक पूर्णतया स्वायत्तशासी संस्था है । जहां तक प्रमुख सिफारिशों का सम्बन्ध है उन का सार यह है कि क्षय रोग के रोगियों के निकट संपर्क रखने वाले कर्मचारियों को स्वयं रोगी बन जाने का भय रहता है, इस लिये उन्हें कुछ जोखिम भत्ता अदा किया जाये ।

"पूर्व की यात्रा करो वर्ष"

+

*८०७. **श्री भक्त दर्शन** :
श्री विद्या चरण शुक्ल :
श्री यादव नारायण जाधव :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री दी० चं० शर्मा :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री अ० मु० तारिक :

क्या **परिवहन तथा संचार मंत्री** ३१ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९६१ को 'पूर्व की यात्रा करो वर्ष' के रूप में मनाने के जिस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा था, क्या उस के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस निर्णय का ब्यौरा बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ?

परिवहन तथा सचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां, सन् १९६१ को "पूर्व की यात्रा करो--भारत आइये" का साल घोषित करने का निर्णय किया गया है ।

(ख) जी हां, एशिया तथा सुदूर पूर्व आर्थिक आयोग के इस सुझाव पर कि उस के सदस्य देशों को १९६१ का साल 'पूर्व की यात्रा करो' साल के रूप में मनाना चाहिये, भारत सरकार द्वारा किये गये निर्णयों का ब्यौरा यथा समय सभा पटल पर रखा जायेगा ।

श्री भक्त दर्शन : यह जो नया कार्यक्रम अगले वर्ष के लिये स्वीकार किया गया है क्या उसकी कुछ विशेषताओं पर प्रकाश डाला जाएगा, और उस पर कितना अतिरिक्त खर्च होगा ?

श्री राज बहादुर : उस की विशेषतायें ये हैं कि सारे सुदूर पूर्व के देश इस कार्यक्रम में सहयोग की दृष्टि से सम्मिलित होंगे ताकि अधिकाधिक यात्री इन देशों में पश्चिम के देशों से तथा अन्य देशों से

---

†मूल अंग्रेजी में

आयें, और इसके लिये सामूहिक रूप से प्रचार का कार्य आरम्भ किया जायेगा। जहां तक रेल, हवाई यातायात और दूसरी सुविधाओं का सम्बध है, वे भी साथ साथ दी जायें ऐसा ख्याल है।

श्री भक्त दर्शन : क्योंकि यह कार्यक्रम इकाफे की प्रेरणा से स्वीकार किया गया है, तो क्या इकाफे ने इसमें कुछ आर्थिक सहयोग देने का आश्वासन भी दिया है ?

श्री राज बहादुर : मैं समझता हूं कि इकाफे की ओर से मूल में आर्थिक सहयोग मिलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जहां तक मेरी जानकारी है, इकाफे ने एक दूसरे आरगेनाइजेशन---इंटरनेशनल यूनियन आफ आफिशियल ट्रेवलिग आरगेनाइजेशन---के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए इस प्रोग्राम के लिये इस क्षेत्र के सारे सम्बन्धित क्षेत्रों को प्रेरणा दी है।

†**श्री यादव नारायण जाधव** : गत वर्ष कितने विदेशी पर्यटक भारत आये थे और उनसे कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई थी ?

†**श्री राज बहादुर** : आंकड़ों के अनुसार लगभग १०९,००० विदेशी पर्यटक यहां आये थे, इनमें पाकिस्तान और लंका से आने वाले पर्यटक भी सम्मिलित हैं और रिजर्व बैंक के प्राक्कलन के अनुसार लगभग १९ करोड़ रुपयों की विदेशी मुद्रा की आय हुई थी।

†**श्री अ० मु० तारिक** : क्या यह सच है कि भारत के होटलों में केवल ९,००० या १०,००० पर्यटकों के लिये ही स्थान हैं, और इस बार एक लाख से भी अधिक पर्यटकों के आने की आशा करते हैं ? यदि हां, तो उनके रहने के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है ?

†**श्री राज बहादुर** : जहां तक होटलों में स्थान के प्रश्न का सम्बन्ध है, यह सच है कि देश के होटलों में पर्यटकों की बढ़ती हुई संख्या के अनुसार स्थान की व्यवथा नहीं हुई है। इस कार्य में बहुत अधिक रुपया लगता है, हम इस के लिये गैर सरकारी क्षेत्र को मनाने का यत्न कर रहे हैं।

सेठ गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री जी को यह बात मालूम है कि हमारे यहां के कई दर्शनीय स्थान ऐसे हैं कि जिन स्थानों को पहुंचने के लिये न तो अब तक अच्छी सड़कें हैं और न वहां ठहरने की सुविधायें हैं, जैसे आप उत्तराखंड को ही ले लीजिये। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन यात्रियों के आने के पहले इस प्रकार की सड़कों का और ठहरने के स्थानों का निर्माण कराया जायेगा जिससे कि वे लोग उत्तराखंड और इस प्रकार के दूसरे स्थानों को भी ले जाये जा सकें ?

श्री राज बहादुर : यह सड़कों आदि का अनुभव कई पीढ़ियों और शताब्दियों का है। शनैः शनैः इस बात की चेष्टा की जा रही है और प्रयत्न किया जा रहा है कि ये सुविधायें जो अब तक नहीं मिल पाती थीं, उनको जुटाया जाय, सड़कें नई बनायी जायें, ठहरने के स्थान नये बनाये जायें, और इनके लिये एक योजना के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : पूर्व के कौन कौन से इस कार्य में सहयोग दे रहे हैं और सुविधायें देने के सम्बन्ध में वे क्या क्या कार्य कर रहे हैं ?

†**श्री राज बहादुर** : इसमें 'एशिया और सूदुर पूर्व' के अन्तर्गत आने वाले देश सम्मिलित हैं।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि पूर्व के देशों के दर्शन के लिये जो लोग दूसरे देशों से आयेंगे उनसे सम्पर्क स्थापित करने के लिये और प्रचार करने के लिये क्या तरीका अपनाया गया है और उसके लिये क्या योजना बनायी गयीं है, और इस सम्बन्ध में क्या इकाफे से भी कोई मदद पहुंच रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री राज बहादुर : जैसा मैं ने अभी निवेदन किया विभिन्न देश अपने अपने क्षेत्रों में यात्रियों की सुविधाओं के लिये व्यवस्था करेंगे और उस के अनुसार ही प्रचार और प्रसार की कार्यवाही करेंगे, इस कार्यक्रम के सम्बन्ध में ।

†**श्री अ० मु० तारिक** : क्या माननीय मंत्री ने अमेरिकन एक्सप्रैस के अध्यक्ष द्वारा दिये गये इस बयान को पढ़ा है कि इन पर्यटकों की सुविधाओं के लिये कुछ छोटी कारें किराये पर ली जायें और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**श्री राज बहादुर** : पर्यटन विकास परिषद् की गत बैठक में इस सम्बन्ध में विचार किया गया था और यह सिफारिश की गई है कि पर्यटकों को छोटी कारें देने के लिये राज्य सरकारें तथा केन्द्रीय सरकार यथासंभव अधिक से अधिक सुविधायें देने का यत्न करें ।

श्री भक्त दर्शन : जो कार्यक्रम स्वीकार किया है उसके अनुसार अगले वर्ष कितने विदेशी यात्रियों के आने की आशा है, और क्या यह अनुमान लगाया गया है कि उनसे कितनी आमदनी होगी?

श्री राज बहादुर : निश्चित आंकड़े तो मैं नहीं दे सकता लेकिन यह संख्या हर साल बढ़ती रही है और उस में बढ़ोतरी होती रही है, आशा है कि अगले साल उस से अधिक संख्या में यात्री आयेंगे और उनमें बढ़ोतरी भी अधिक होगी ।

†**श्री यादव नारायण जाधव** : क्या माननीय मंत्री के ध्यान में यह बात आयी है कि कभी कभी वायु अनुकूलित रेल डिब्बे का टिकट धारण करने वाले पर्यटकों को प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा करने के लिये बाध्य किया जाता है और किराये में जो अन्तर होता है वह शीघ्र ही अदा नहीं किया जाता और इसलिये पर्यटकों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ?

†**श्री राज बहादुर** : इस बारे में मुझे तो किसी मामले की जानकारी नहीं है । यदि माननीय सस्य रेलवे का ध्यान इस ओर आकृष्ट करें तो मुझे विश्वास है कि रेलवे विभाग अवश्यमेव मामले की जांच करेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री को ज्ञात है कि सामान्यतया ३ या ४ महीने लग जाते हैं । पर्यटकों के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति के लिये इतना समय लग जाता है ।

†**श्री राज बहादुर** : पर्यटक विभाग इस सम्बन्ध में एक समन्वयकारी विभाग है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यहां जो भी बात पक्ष या विपक्ष से कही जाती है वह किसी मंत्री के सम्बन्ध में नहीं अपितु सम्पूर्ण मंत्रिमंडल के पक्ष या विपक्ष में कही गयी समझी जाती हैं ।

†**श्री तंगामणि** : एक पर्यटक दल यहां आया था और लगभग एक महीने तक पर्यटन करने के बाद जब वे वापिस गये तो उन्होंने मदुरई में प्रैस प्रतिनिधियों से महं शिकायत की थी । उन्हों ने यह भी कहा था कि वे पर्यटन के निदेशक से भी यह शिकायत करेंगे । क्या वह शिकायत प्राप्त हुई है । यदि हां, तो उन त्रुटियों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री राज बहादुर** यदि माननीय सदस्य उस पर्यटक दल की ओर संकेत कर रहे हैं जो कि थल मार्ग से आया था, तो उस बारे में स्थिति यह है कि उन्हें सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा अमृतसर के निकट अटारी में रोक लिया गया था । मैं ने वह रिपोर्ट पढ़ी थी । सीमा शुल्क प्राधिकारी कुछ अधिक

---

†मूल अंग्रेजी में

सतर्क थे क्योंकि तस्कर व्यापार के मामले बढ़ते जा रहे थे। संभव है कि उन लोगों को अधिक समय तक रोके रखना न्यायोचित हो, परन्तु सीमाओं पर कुछ एक प्रतिबन्ध रखने पड़ते हैं और जांच करनी भी जरूरी होती है।

†**श्री तुंगामणि**: मैं सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा उन्हें केवल रोक रखने के सम्बन्ध में नहीं कहता। उन्हें इंदौर के एक होटल में चार घंटे तक कैदियों के समान रखा गया था।

†**अध्यक्ष महोदय** : हम विस्तार में चर्चा करने लगे हैं। माननीय सदस्यों को यह बातें माननीय मंत्री के ध्यान में लानी चाहियें। उनसे मेरा सुझाव यह है कि वे इस सम्बन्ध में पहले स्थानीय लोगों, रेलवे प्राधिकारियों आदि को लिखने के बाद मंत्रियों को लिखा करें। यदि माननीय मंत्री फिर भी उन शिकायतों की ओर ध्यान नहीं देते तब उन्हें सभा में ऐसे प्रश्न पूछने चाहियें।

जहाजों की मरम्मत की सुविधायें

†***८०९. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ३१ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १७९५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जहाजों की मरम्मत के विभिन्न संस्थानों के विकास और विस्तार के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ;

(ख) क्या सरकार को इन संस्थानों से कोई योजनायें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) अखिल भारतीय सलाहकार समिति की जिसमें जहाजों की मरम्मत करने वालों, जहाज बनाने वालों, जहाजों के मालिकों, मुख्य पत्तनों और सरकार के सम्बन्धित विभागों के प्रतिनिधि हों, स्थापना करने का प्रस्ताव इस समय किस प्रक्रम पर है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख). जहाजों की मरम्मत करने वाली जिन फर्मों से उनकी वर्कशापों के विकास तथा विस्तार की योजनाओं के सम्बन्ध में पूछा गया है, उसके सम्बन्ध में कुछ फर्मों से अभी तक उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं। उनके उत्तर आ जाने पर आगे मामला बढ़ाया जायेगा।

(ग) सरकार ने ध्यानपूर्वक इस सिफारिश पर विचार किया है और यह फैसला किया है कि यदि जहाज मरम्मत समिति द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार केवल बम्बई और कलकत्ता में स्थानीय मंत्रणा समितियां स्थापित की जाये तो फिलहाल उतना ही पर्याप्त होगा। इन स्थानीय समितियों की स्थापना को शीघ्रातिशीघ्र स्थापित करने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ होने से पूर्व इस योजना को अन्तिम रूप दे देने का कोई विचार है ?

†**श्री राज बहादुर** : मरम्मत सम्बन्धी सुविधायें देने के प्रश्न की ओर हम निरन्तर ध्यान दे रहे हैं और इस समय भी यदि उस पर विचार कर रहे हैं। अतः मैं समझ नहीं सका कि माननीय सदस्य के

---

†मूल अंग्रेजी में

तृतीय पंचवर्षीय योजना के पूर्व कहने से क्या क्या तात्पर्य है। हम तो इस सम्बन्ध में अपनी ओर से यह प्रयत्न कर रहे हैं कि मरम्मत सम्बन्धी इस प्रकार की सुविधायें शीघ्राताशीघ्र दी जा सकें ।

†**श्री मुहम्मद इलियास** : हमारे देश में जहाज मरम्मत करने की तथा जहाज निर्माण सम्बन्धी कई अच्छी फैक्टरियां हैं। उन में से एक विदेशी फैक्टरी—टर्नर मेरिसन एण्ड कम्पनी स्वातन्त्र्य के बाद अच्छी प्रकार से नहीं चल रही है। उसमें सर्वोत्तम प्रविधिक व्यक्ति हैं, उस फैक्टरी में कई बहुत अच्छी मशीनें भी हैं, परन्तु उन्हें उचित प्रकार से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। क्या सरकार इस फैक्टरी को भी अपने नियंत्रण में इसी प्रकार से ले लेगी। जैसे कि प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा गार्डन रीच वर्कशाप अपने हाथ में ले लिया गया है ?

†**श्री राज बहादुर**: माननीय सदस्य ने जिस फैक्टरी की ओर संकेत किया है, उसके सम्बन्ध में मुझे तो कोई शिकायत नहीं मिली है। इस सम्बन्ध में मैं यह बता देना चाहता हूं कि हम ने जहाज की मरम्मत करने वाली १९ फर्मों को पत्र लिखे हैं जिस में यह पूछा है कि उन्हें सरकार से किस प्रकार की विकास सम्बन्धी सहायता की जरूरत है। ११ सार्थों से जवाब आ गये हैं। केवल दो ही सार्थों ने विस्तार सम्बन्धी अपने कार्यक्रम भेजे हैं और दो ने अपने अन्तरिम उत्तर भेजे हैं जिस में उन्होंने लिखा है कि यदि आवश्यकता होगी तो वे सहायता मांग लेंगे।

†**श्री मुहम्मद इलियास** : उस फैक्टरी के सम्बन्ध में क्या विचार है ?

†**श्री राज बहादुर** : मुझे उस बारे में ज्ञात नहीं है।

†**श्री साधन गुप्त** : क्या सरकार ने इस मंत्रणा समितियों की स्थापना में मजदूरों के प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित करने के औचित्य पर विचार किया है, और यदि हां, तो क्या परिणाम निकले हैं ?

†**श्री राज बहादुर** : दो मंत्रणा समितियां स्थापित की जायेंगी और उनमें विभिन्न वर्गों तथा सेक्शनों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा जिनमें दो प्रतिनिधि भारतीय राष्ट्रीय जहाज स्वामी संथा के, एक प्रतिनिधि जहाज रानी निगम, एक प्रतिनिधि जहाजी सामान बेचने वालों का, एक प्रतिनिधि बम्बई पत्तन न्यास का तथा कुछ अन्य वर्गों के प्रतिनिधि होंगे।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : गार्डन रीच वर्कशाप जहाज मरम्मत करने वाला देश में एक सर्वोत्तम वर्कशाप था, अब उसे सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। क्या उस में मरम्मत सम्बन्धी सामान्य सुविधायें उपलब्ध हो सकेंगी यदि वह केवल प्रतिरक्षा मंत्रालय के कार्यों के लिये इस्तेमाल किया जा सकेगा ?

†**श्री राज बहादुर** : माननीय सदस्य को ज्ञात है कि गार्डन रीच वर्कशाप और मेजगांव गोदी को प्रतिरक्षा मंत्रालय ने अपने हाथ में ले लिया है। मुझे विश्वास है कि वह मंत्रालय अब भी इन वर्कशापों के उस स्तर की क्षमता तथा कार्यकुशलता को न ही केवल बनाये रखेगा, अपितु सुधार करने का भी यत्न करेगा।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : मेरा प्रश्न यह था कि क्या जहाजों की मरम्मत का सामान्य कार्य भी किया जाता रहेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राज बहादुर** : मैं समझता हूं कि मेरा उत्तर स्पष्ट है। इस वर्कशाप में न ही केवल मरम्मत आदि की वर्तमान सुविधाओं को ही जारी रखा जायेगा, अपितु इन सुविधाओं को और भी बढ़ा दिया जायगा, क्योंकि वे इस वर्कशाप को लाभप्रद सार्थ के रूप में चलाना चाहते हैं।

†**श्री वारिधर** : क्या सरकार अन्य प्रमुख पत्तनों के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार की परामर्शदात्री समितियां स्थापित करने का विचार रखती है ?

†**श्री राज बहादुर** : यह इस बात पर निर्भर करता है कि किस क्षेत्र में यह उद्योग केन्द्रीभूत है। मैं इस सम्बन्ध में अभी तो निश्चित रूप से कोई विश्वास नहीं दिला सकता।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि जो जहाजों की मरम्मत के काम होने जा रहे हैं उस में सरकारी क्षेत्र में भी क्या कोई मरम्मत का काम शुरू किया जायेगा यदि नहीं तो क्यों नहीं?

अध्यक्ष महोदय : कितने प्रश्न हैं ?

श्री म० ला० द्विवेदी : एक ही प्रश्न है। और जो प्राइवेट लोग खोलेंगे उनको सरकार से क्या सहायता मिलेगी ?

श्री राज बहादुर: सरकारी क्षेत्र में जैसा मैं ने निवेदन किया मेजागांव डौक और गार्डन रीच वर्कशाप पहले से ही मौजूद हैं और हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है वह भी जब ड्राई डौक की सुविधा वहां हो जायेगी तो वहां भी यह काम कर सकेंगे। जो उनका छोटा ड्राई डौक है उस से थोड़ा बहुत काम हो सकेगा।

श्री म० ला० द्विवेदी : प्राइवेट लोगों को क्या सहायता मिलेगी ?

श्री राज बहादुर : प्राइवेट लोगों को सहायता जो उनकी आवश्यकता होगी और देश की जो आर्थिक वित्त व्यवस्था होगी उसको ध्यान में रखते हुए सहायता की जायेगी।

श्री म० ला० द्विवेदी : पहले जो मैं ने प्रश्न पूछा था उसका आधा उत्तर नहीं दिया था।

अध्यक्ष महोदय : नहीं नहीं। खड़े हो कर प्रश्न पूछना चाहिये। एक प्रश्न पूछने के बाद माननीय सदस्य को शेष प्रश्न बैठ कर नहीं पूछने चाहियें।

गांव का विद्युतीकरण

†*८१०. { **श्री अजित सिंह सरहदी** : + **श्री सै० अ० मैहदी** : **श्री तंगामणि** :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री १९ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ७५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांवों में बिजली लगाने के बारे में इस बीच कोई फैसला किया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†मूल अंग्रेज़ी में

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्ति)** : (क) और (ख) २६ नवम्बर, १९६० को केन्द्रीय समिति की बैठक में गावों के विद्युतीकरण के प्रश्न पर चर्चा हुई थी। यह निर्णय हुआ था कि इस मामले पर योजना आयोग तथा सम्बद्ध मंत्रालय के प्रतिनिधियों की एक समिति में विचार किया जाय।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : इस पर चर्चा तो हो रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस दिशा में अन्तिम निर्णय कब किया जायेगा ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति** : यह समिति अभी नियुक्त नहीं की गयी है।

†**श्री तंगामणि** : क्या केन्द्रीय समिति की जो हाल ही में दिल्ली में बैठक हुई थी, उसमें यह बताया गया था कि कितने गांवों में विद्युतीकरण हो चुका है और कितने गांवों में बिजली का उपयोग सिंचाई के लिए किया जा रहा है ; यदि हां, तो तीसरी योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण का कार्यक्रम क्या है और इस काल में उन गांवों की संख्या कितनी होगी जहां बिजली चली जायेगी ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति** : इस प्रकार की सब बातों का उत्तर देना सम्भव नहीं होता। मार्च १९६१ तक २३,००० गांवों में बिजली पहुंच जायेगी। तीसरी योजना के अन्त तक ५०,००० और गांवों में बिजली का प्रकाश पहुंच जायेगा।

सेठ गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री को यह बात मालूम है कि जिन देहातों में अब तक बिजली जा चुकी है और जहां जाने वाली है वहां अभी तक कोई इस प्रकार का प्रबन्ध नहीं हुआ कि वहां पर कुटीर उद्योग भी शुरू किये जायं और क्या यह जो कमेटी बनाई जा रही है यह इस बात की भी जांच करेगी कि इस प्रकार के गांवों में किस प्रकार के कुटीर उद्योग बनाये जा सकते हैं और इस प्रकार के कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिए क्या सरकार वहां के लोगों को कुछ आर्थिक सहायता भी देगी ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति** : कुटीर उद्योगों के लिए विद्युत बड़ी आवश्यक है, परन्तु गांवों में पहले बिजली लगाकर पुनः इस बात पर विचार किया जायेगा कि उसे कुटीर उद्योगों के लिए दिया जाय।

सेठ गोविन्द दास : मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या इस प्रकार के कुटीर उद्योगों की स्थापना में सरकार वहां के लोगों को कुछ आर्थिक सहायता भी देगी ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति** : माननीय सदस्य का अभिप्राय सस्ते दामों पर बिजली देने से है अथवा कुटीर उद्योगों को आरम्भ करने से ?

†**सेठ गोविन्द दास** : दोनों से।

†**अध्यक्ष महोदय** : हम विषय से परे जा रहे हैं। प्रश्न तो गांवों को बिजली देने का है। इसे विभिन्न कामों के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है।

†**सेठ गोविन्द दास** : मैं यह जानना चाहता था कि विद्युतीकरण के पश्चात् गांव वालों को कुटीर उद्योगों की स्थापना करने के लिए सहायता दी जायेगी अथवा नहीं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रश्न का मुख्य प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं, अतः माननीय मंत्री को इस प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न केवल इतना है कि विद्युतीकृत गांवों की संख्या क्या है। विद्युत का प्रयोग कृषि के लिए भी किया जा सकता है। परन्तु माननीय सदस्य तो केवल उद्योगों की बात पूछ रहे हैं। उदाहरणार्थ, वह यह क्यों नहीं पूछते कि कितने कुओं की व्यवस्था की गयी है? (**अन्तर्बाधायें**) शांति शांति, माननीय सदस्यों को अपने आप कुछ विचार करना चाहिए।

अब में केवल उन माननीय सदस्यों को बुलाऊंगा जिन्होंने प्रश्न का नोटिस दिया है। मुझे पता नहीं कि जिस प्रश्न का उल्लेख डा० गोविन्द दास कर रहे हैं वह किस माननीय सदस्य का है। होता यह है कि मूल प्रश्न पूछने वाले माननीय सदस्य पीछे हट जाते हैं और अन्य सदस्य उनके स्थान पर प्रश्न पूछने लग जाते हैं। यह भी एक कठिनाई है। जिन प्रश्नों का उत्तर दिया जा चुका है उसका पता उस पर प्रश्न पूछने वाले माननीय सदस्य को होता है। अतः ऐसे मामलों में जब तक वह सम्बद्ध माननीय सदस्य अपने प्रश्न समाप्त न कर लें अन्य माननीय सदस्यों को प्रश्न नहीं पूछने चाहिएं।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : प्रश्नों के जो उत्तर दिये गये होते हैं उन्हें पढ़कर ही हम अनुपूरक प्रश्न पूछते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : परन्तु जिस माननीय सदस्य का प्रश्न हो उसे तो प्राथमिकता दी ही जानी चाहिये?

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : यह ठीक है श्रीमान।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि समय हो तो दूसरे माननीय सदस्यों को भी अवसर दिया जा सकता है।

श्री म० ला० द्विवेदी: देहातो में जो बिजली पहुंचाई जा रही है, उसकी दरें शहरों की दरों से बहुत ऊंची हैं। यहां तक कि जब कि दिल्ली में दर साढ़े तीन आने है, देहातों में आठ, नौ और बारह आने है। मैं यह जानना चाहता हूं कि देहातों में सस्ती बिजली पहुंचाई जाये, इसके लिए क्या सरकार ने सोचा है, यदि हां, तो क्या?

†**श्री ब० सू० मूर्त्ति** : इस सम्बन्ध में सहायता देने के मामले पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त की गयी है।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या राज्यों में गांवों के विद्युतीकरण का कोई वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है।

†**श्री ब० सू० मूर्ति** : लक्ष्य है और इसी लक्ष्य की दिशा में ही विद्युतीकरण किया जा रहा है।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : इस लक्ष्य का आधार क्या है?

†**श्री ब० सू० मूर्ति** : मैंने कहा है कि तीसरी योजना के अन्तर्गत ५०,००० गांवों में बिजली पहुंच जायेगी। पांचवीं योजना के अन्तर्गत १,४०,००० गांवों और कस्बों में बिजली पहुंच जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तंगामणि** : क्या मद्रास की सरकार ने तीसरी योजना के अन्तर्गत १०,००० गांवों में विद्युतीकरण करने के लिए सरकार से सहायता मांगी है, यदि हां, तो भारत सरकार की इस दिशा में क्या प्रतिक्रिया है ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति** : प्रत्येक राज्य योजनाओं के बारे में निर्णय के लिए केन्द्र के पास आता है। आवश्यकता के अनुसार जितनी धन राशि की अपेक्षा होगी उतनी दी जायेगी।

†**श्री मुहम्मद इमाम** : जिन थोड़े से गांवों में बिजली पहुंची है, वहां पर बहुत ऊंचा है। कुछ व्यापारियों के अतिरिक्त सामान्य व्यक्ति इसका लाभ उठाने में असमर्थ है। क्या गांवों को बिजली देने के लिए दरों में कुछ कमी किये जाने की कोई प्रस्थापना है।

†**श्री ब० सू० मूर्ति** : मैंने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है।

†**श्री त्यागी** : क्या गांवों में बिजली की तीन चार गुनी दर ली जा रही है ? यदि ऐसा है, तो नगर और गांवों की दरों में इतना अन्तर क्यों है ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति** : कोई निश्चित नीति नहीं है। नीति में आवश्यकता पड़ने पर परिवर्तन भी किया जाता है। इस सम्बन्ध में, जैसा कि मैं कह चुका हूं, एक समिति नियुक्त की जानी है जिसको यह काम सौंपा जायेगा कि इस बात का पता चलाये कि गांवों में कहां तक बिजली सस्ते दरों पर दी जा सकती है ताकि कुटीर उद्योगों और कृषि उद्देश्यों के लिए प्रयोग की जाने वाली बिजली की दरें कुटीर उद्योग के संचालन अथवा कृषक की क्षमता से अधिक न हों।

†**श्री त्यागी** : मैं यह जानना चाहता हूं कि गांवों और नगरों की बिजली के दरों में इतना अन्तर किस आधार पर रखा जाता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या गांव के दर नगरों से अधिक हैं ?

†**श्री त्यागी** : गांवों के लिए आठ आने और नगर के लिए तीन आने ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह अन्तर क्यों है ? माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि यह भेदभाव क्यों होता है।

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : लघु उद्योगों के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें सहायता देती हैं। जब कभी दर ९ नये पसे से अधिक होता है तो वास्तविक दर और ९ नये पैसे के अन्तर का आधा केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। यह सहायता लघु उद्योगों को दी जा रही है ।

†**श्री त्यागी** : प्रकाश के लिए बिजली के दर क्या हैं। आठ आने गांव में और तीन आने नगर में ।

†**श्री हाथी** : दर का आधार यह होता है कि प्रत्येक केन्द्र में बिजली के उत्पादन में क्या व्यय होता है । यदि गांव के पास कोई बड़ा जल विद्युत् केन्द्र है तो दर कम होता है, अन्यथा उत्पादन व्यय बढ़ जाने से दर बढ़ जाती है । इस पर भी लघु उद्योगों को सहायता दी जाती है और दर ९ नया पैसा से अधिक नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी** : कई गांव ऐसे हैं जिन्हें उन्हीं केन्द्रों से बिजली मिलती है जहां से नगर में दी जाती है, ऐसी अवस्था में स्थिति क्या होती है ?

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : हजारीबाग में चार आना प्रति यूनिट लिया जा रहा है जब कि राज्य सरकार . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति । यह नीति का प्रश्न है । यह मत है कि गांवों में बिजली को प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें थोड़ी दरों पर बिजली दी जानी चाहिए । नगर वाले थोड़ा अधिक दर भी सहन कर लेते हैं । माननीय सदस्य इस मामले को लेना चाहें तो अलग से ले सकते हैं ।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : मेरा निवेदन है कि यह नीति का प्रश्न नहीं है । हजारीबाग में चार आने प्रति यूनिट पर बिजली दी जा रही है जब कि राज्य सरकार को एक आना प्रति यूनिट में दी जा रही है । यह तीन आना प्रति यूनिट का अन्तर क्यों ? मंत्री महोदय को इसका उत्तर देना चाहिए ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या मुझे देश के सभी ५ लाख गांवों के बारे में प्रश्नों की अनुमति देनी होगी ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति** : मैं सदन को बताना चाहता हूं कि सामुदायिक विकास मंत्रालय यह प्रयत्न कर रहा है कि गांवों में बिजली दी जाय और बहुत ही थोड़े दर पर दी जाये ।

श्री त्यागी : आप हमारे साथ हैं ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : तीसरी योजना के अन्तर्गत विद्युत् व्यय की राशि का अनुमान क्या है ? किस राज्य में यह विशेष रूप से अधिक होगा ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति** : तीसरी योजना के अन्तर्गत इस दिशा में होने वाला व्यय का अनुमान ९२५ करोड़ रुपये हैं । इसमें से १०५ करोड़ रुपया गांवों के विद्युतीकरण पर खर्च किया जायेगा ।

†**श्री मुहम्मद इमाम** : क्या राज्य सरकारों से केन्द्रीय सरकार को यह जानकारी प्राप्त हुई है कि कितनी संख्या में आगामी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत गांवों का विद्युतीकरण हो जायेगा ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति** : उस आधार पर ही मैं ने कहा था कि ५०,००० गांवों का विद्युतीकरण हो जायेगा ।

क्षय-रोग और कोढ़

†***८११. श्री नंजप्प** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिचूर (केरल) के डा० एन० आर० मेनन कुछ नई विशिष्ट औषध और जड़ी बूटियों से तैयार की गयी औषधियों से क्षय-रोग और कोढ़ का इलाज करने के बारे में जो प्रयोग कर रहे थे, उनका क्या परिणाम निकला है ;

(ख) इस संबंध में विशेषज्ञों का क्या मत है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इस संबंध में अनसंधान करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या सहायता दी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). कोढ़ के जिन १५ रोगियों का इलाज ट्रोपीकल मेडीसिन स्कूल कलकत्ता में डा० मेनन के निदेशानुसार हुआ था उस में कोई सुधार के लक्षण दिखाई नहीं दिये, तीन मामलों में तो कुछ रोग बढ़ भी गया। औषधि को रोगी ने सहन कर लिया । बहुत से मामलों में इस से पेट ठीक रखने में सहायता मिलती है ।

(ग) डा० मेनन को अपना अनुसंधान कार्य जारी रखने के लिये कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गयी थी।

†**श्री नंजप्प** : क्या केरल सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने डा० मेनन की प्रयोगशाला में जा कर उस के बारे में कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था ?

†**श्री करमरकर** : मुझे पता नहीं कि केरल के स्वास्थ्य मंत्री वहां गये, और न ही मुझे इस बात का कुछ ज्ञान है कि उन्होंने इस संबंध में कोई रिपोर्ट की अपेक्षा की ।

†**श्री नंजप्प** : क्या यह ठीक नहीं है कि इस के लिए उन्हें भारत सरकार का कोई आदेश प्राप्त हुआ था ?

†**श्री करमरकर** : मुझे इस सम्बन्ध में कुछ पता नहीं, मैं स्थिति का पता करूंगा। इस मामले का सीधा संबंध भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् से है । भारत सरकार इस में कहीं नहीं आती। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है इस के सम्बन्ध में स्थिति का पता करूंगा।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या इन औषधों के बारे में भारतीय क्षय संघ का मत मालूम किया गया है; यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**श्री करमरकर** : कोढ़ के प्रश्न के लिए हम तपेदिक संघ से परामर्श नहीं करते।

श्री स० मो० बनर्जी उठे--[1]

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य का यही आशय है कि क्या उन्होंने कुष्ठ संघ का परामर्श प्राप्त किया है ?

†**श्री करमरकर** : भारत सरकार के अन्तर्गत कोई कुष्ठ संघ काम नहीं कर रहा है।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या कुष्ठ निवारण संघ या ऐसी ही कोई संस्था नहीं है ?

†**श्री करमरकर** : कुष्ठ निवारण संघ थोड़ा बहुत कार्य कर रहा है। उन के पास सारे प्रश्न पर अध्ययन करने के लिए अपेक्षित वस्तुओं का अभाव है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या हमदर्द दवाखाना चिकित्सा अनुसंधान संस्था चालू कर रहा है और वहां पर तपेदिक और कुष्ठ रोग पर भी अनुसंधान होगा ? क्या सरकार

---

†मूल अंग्रेजी में

उन्हें कोई सहायता दे रही है ताकि वह अपनी अनुसन्धान संस्था की स्थापना कर सकें ?

†**श्री करमरकर** : हमदर्द दवाखाना द्वारा स्थापित की जाने वाली अनुसन्धान संस्था का समाचार मैं ने अखबारों में पढ़ा है। मैं इतना ही जानता हूं। यदि माननीय सदस्य इस मामले में विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो मैं पता करूंगा।

श्री अब्दुल लतीफ : क्या गवर्नमेंट को मालूम है कि आयुर्वेदिक और यूनानी तरीके इलाज में दिक, कुहड़ के कामयाब इलाज मौजूद हैं जिसको सदियों से कामयाबी के साथ आजमाया जाता रहा है ? क्या गवर्नमेंट ने आयुर्वेदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट और हमदर्द दवाखाना हिस्ट्री आफ मैडिसिस रिसर्च इंस्टीट्यूट की मजीद रिसर्च करने के लिये कोई इमदाद की है, अगर नहीं की तो क्या गवर्नमेंट इमदाद करने का इरादा रखती है ?

†**श्री करमरकर** : जो मैं माननीय सदस्य के प्रश्न से समझ सका हूं वह यह है सरकार ऐसे केसों में जड़ी बूटियों का क्या उपयोग कर रही है और यह कि हमदर्द दवाखाने के इन प्रयत्नों में सरकार उनकी क्या सहायता कर रही है ? यदि प्रश्न यही है, तो इस के लिये मुझे नोटिस मिलना चाहिये ।

†**श्री नंजप्प** : क्या इस बूटी पर अखिल भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने अपना कोई मत प्रकट किया है ?

†**श्री करमरकर** : उन्होंने इस बारे में कोई मेडिकल राय नहीं दी । उन्होंने इस औषध को प्रयोग के लिये कलकत्ता के ट्रोपीकल स्कूल में भेजा था । जो कुछ मैंने बताया वह उस स्कूल द्वारा निकाला गया परिणाम है ।

डीजल से रेल गाड़ियां चलाना

+

†*८१३. { **श्री विद्याचरण शुक्ल :**
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या **रेलवे** मंत्री १० अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २७५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार डीजल से और अधिक रेलगाड़ियों को चलाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां ।

(ख) तीसरी योजना की अवधि में जो बहुत यातायात वाली लाइने हैं उन पर ३८०० मील तक माल गाड़ियां डीजल से चलाने की प्रस्थापना है । इनका प्रयोग कोयला, इस्पात कारखानों के लिये कच्चा माल आदि लाने ले जाने के लिये किया जायेगा ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : इस डीजल के कार्यक्रम की वित्तीय स्थिति क्या होगी ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : इसका अभी अनुमान नहीं लगाया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : डीजल के न मिलने के कारण आजकल बसें और ट्रक भी पेट्रोल का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि डीजल का आयात करना पड़ता है। इस स्थिति में रेलवे जो परिवर्तन करने जा रही है उस संबंध में डीजल की उपलब्धि की स्थिति क्या होगी ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी**: सारी बातों का ध्यान रखा गया है और मामला योजना आयोग के समक्ष है। तेल संसाधनों का अनुमान लगाया जा रहा है और उसके अनुसार ही सारा कार्यक्रम बनाया जायेगा ।

सड़क परिवहन से आय

†*८१४. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष सड़क परिवहन से (१) केन्द्रीय सरकार और (२) राज्य सरकारों के कोष में कितना धन जमा हुआ ;

(ख) सड़क परिवहन के प्रयोक्ताओं को सुविधायें प्रदान करने के लिये कितनी धन-राशि व्यय की गयी ; और

(ग) सड़क परिवहन और रेलवे में से प्रत्येक के पूंजी परिव्यय को देखते हुये, रेलवे को होने वाली आय की तुलना में सड़क परिवहन से होने वाली आय कितनी है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है। राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से उसे प्राप्त करने का यत्न किया जा रहा है और उपलब्ध होते ही उसे लोक सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या सरकार ने इस मामले में आर्थिक गवेषणा के महानिदेशक के प्रतिवेदन का परीक्षण किया है, और रिपोट में जो परिणाम निकाले गये हैं क्या सरकार उससे सहमत है ?

†**श्री राज बहादुर** : हम उनके निकाले परिणामों से सहमत नहीं हैं।

†**श्री मुहम्मद इमाम** : सड़क परिवहन से जो आय हुई उससे एक 'सड़क विकास निधि' के नाम से अलग कोष का निर्माण कर दिया गया था। उसका प्रयोग सड़कों का सुधार करने तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने पर खर्च किया जाना था। क्या सरकार इस बात की व्यवस्था करेगी कि सड़क परिवहन की सारी आय को एक अलग कोष में रखा जाय और उसका व्यय सड़कों के विकास करने और यात्रियों को सुविधायें प्रदान करने के लिये किया जाय ?

†**श्री राज बहादुर** : मेरे विचार में माननीय मंत्री केन्द्रीय सड़क निधि का उल्लेख कर रहे हैं। इस निधि का निर्माण परिवहन तथा अन्य उद्योगों द्वारा जो पेट्रोल और गैसोलीन प्रयोग होता है उस पर लगाये गये प्रतिकर से होता है और यह कोष बिलकुल अलग ही है।

†**श्री मुहम्मद इमाम** : परिवहन बसों इत्यादि पर जो उपकर लगाया जाता है उससे होने वाली आय का क्या किया जाता है। उस सब का एक अलग कोष बना देना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : उसका केन्द्र से कोई संबंध नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मुहम्मद इमाम** : राज्यों को इस संबंध में निदेश दिया जाना चाहिये । यही नियम रहा है ।

†**श्री राज बहादुर** : कई निकायों ने इस प्रकार के सुझाव समय समय पर दिये हैं परन्तु सरकार के विचाराधीन ऐसी कोई प्रस्थापना वर्तमान समय में नहीं है ।

†**श्री तंगामणि** : व्यावहारिक अर्थशास्त्रीय अनुसंधान परिषद् का प्रतिवेदन मंत्री महोदय ने लोक सभा पटल पर रखा था । यह बताया गया था कि उसमें कितने कर्मचारी लग सकते हैं और कितने वस्तुतः लगे हुये हैं । काम पर होने वाली आय के संबंध में भी उससे ब्यौरा दिया गया था । यह हम जानना चाहते हैं कि इस दिशा में सरकार का मत क्या है ।

†**श्री राज बहादुर** : मेरे विचार में माननीय सदस्य १७ मार्च, १९५९ को पूछे गये प्रश्न संख्या २०४२ का उल्लेख कर रहे हैं ।

†**श्री तंगामणि** : मैं चालू सत्र की बात कर रहा हूं । सभा-पटल पर रिपोर्ट का एक उद्धरण रखा गया था जिसमें यह बताया गया था कि सड़क परिवहन उद्योग में कितने आदमी लगे हुये हैं और केन्द्रीय राजस्व में उसका कितना अंशदान है । ऐसी ही जानकारी रेलवे के बारे में भी दी गई थी ।

†**श्री राज बहादुर** : इन मामलों को अध्ययन करने का कार्य व्यावहारिक अर्थशास्त्रीय गवेषणा परिषद् का है । माननीय सदस्य शायद उसी का उल्लेख कर रहे हैं । वह एक स्वतंत्र संस्था है और उसने इस मामले का अच्छी प्रकार अध्ययन किया है । इन्होंने तथ्य और आंकड़ों का परीक्षण भी किया है और उसके आधार पर इसने अपने कुछ परिणाम निकाले हैं । यह निकाले गये परिणाम ऐसे नहीं हैं कि सरकार उन्हें तुरन्त स्वीकार कर ले ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या सहकारी सड़क परिवहन संस्थाओं से जो आयकर प्राप्त होता है उसे सड़कों के सुधार के लिये प्रयोग किया जाता है ?

†**श्री राज बहादुर** : आयकर गैर सरकारी संस्थाओं से प्राप्त किया जाता है । परन्तु जब किसी का राष्ट्रीयकरण हो जाता है तो आयकर नहीं लिया जाता । परिवहन विभागीय तौर पर चलाया जाता है, अतः इस पर आयकर नहीं लिया जाता । जहां परिवहन को कोई निगम चलाता है, वहां आयकर लिया जाता है ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : सड़क परिवहन सहकारी संस्थाओं की स्थिति क्या है ?

†**श्री राज बहादुर** : मेरा विचार है कि इस प्रकार की संस्थाओं की संख्या बहुत अधिक नहीं है । परन्तु हम भारी प्रयत्न कर रहे हैं कि परिवहन सहकारी संस्थाओं की स्थापना की जाय । और इनमें उन शिक्षित युवकों को लगाया जाय जोकि बेकार हैं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : प्रश्न के भाग (ख) के संबंध में मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार के समक्ष यात्रियों की सुविधाओं के संबंध में कोई प्रश्न नहीं है ?

†**श्री राज बहादुर** : यह बात तो नहीं है । यह बहुत महत्वपूर्ण बात है और हम इसे महत्व देते हैं । यात्रियों और अन्य मोटर परिवहन का प्रयोग करने वाले लोगों को सुविधायें देने का प्रश्न हमारे सामने है । इसके लिये समय समय पर नियंत्रकों और आयुक्तों की चर्चा होती रहती है । अन्य निकाय भी इस पर चर्चा करते रहते हैं । इन चर्चाओं के फलस्वरूप जो परिणाम निकाले जाते हैं उनके आधार पर राज्य सरकारों तथा अन्य निकायों को उन्हें कार्यान्वित करने की सिफारिश

†मूल अंग्रेजी में

की जाती है। यह बात मैं मानता हूं कि इस दिशा में हमारी सफलता बहुत बढ़िया और सन्तोषजनक नहीं रही है। परन्तु यह मामला ऐसा है जिस पर हमने अभी हाल ही में विचार करना आरम्भ किया है।

†**डा० मा० श्री अणे** : स्टेशनों पर जो यात्रियों को घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ती है, क्या उनके आराम के लिये शैड बनाये जायेंगे ?

†**श्री राज बहादुर** : नगर में चलने वाली बसों के लिये बहुत सी राज्य सरकारों ने इस दिशा में पग उठाये हैं परन्तु लम्बी यात्रा के परिवहन के लिये यह व्यवस्था नहीं हो सकी। हमारी इच्छा है कि इस दिशा में भी कुछ किया जाये।

†**श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या विभिन्न राज्यों के राष्ट्रीयकृत सड़क परिवहन निकायों से कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है कि वे ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहीं, यदि हां, तो इस कार्य में सुधार लाने के लिये क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

†**श्री राज बहादुर** : राज्य परिवहन उपक्रमों के सम्बन्ध में किस प्रतिवेदन का माननीय सदस्य उल्लेख कर रहे हैं, उसका मुझे पता नहीं ।

पब्लिक लॉ ४८० के अन्तर्गत खाद्यान्न का नौवहन

†*८१५. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय जहाज-मालिकों ने भारत सरकार को एक योजना पेश की है जिस के अनुसार वे विदेशी मुद्रा में पर्याप्त बचत करने में सहायता दे सकेंगे और संयुक्त राज्य अमरीका के साथ हुए समझौते के अनुसार पब्लिक लॉ ४८० के अन्तर्गत मिलने वाले खाद्यान्न के नौवहन का काम अपने हाथ में ले सकेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का क्या ब्यौरा है और इस सम्बन्ध में सरकार की प्रक्रिया क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या कोई ऐसी योजना है कि कुछ और जहाज प्राप्त कर के भारतीय नौवहन एजेण्टों को माल उठाने का ठेका दिया जाय और यदि हां, तो कौन कौन से अभिकरण इस से सहमत हैं ?

†**श्री राज बहादुर** : परिवहन विभाग अमेरिका से खाद्यान्न के इस आयात के अवसर का टन भार प्राप्त करने के लिए भरसक उपयोग करना चाहता है । इस प्रयोजन के लिए हम एक या दो निर्दिष्ट प्रस्तावों पर विचार कर रहे हैं जो हमें कुछ पक्षों से प्राप्त हुए हैं ।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या सरकार को इसका कोई अनुमान है कि इन खाद्यान्नों के परिवहन के लिए कितनी राशि के नौवहन बिल का भगतान करना होगा और क्या ऐसा

---

†मूल अंग्रेजी में

कोई कार्यक्रम बनाया गया है जिस से उसका कम से कम कुछ भाग भारतीय नौवहन के लिए मिल सके ?

†**श्री राज बहादुर** : अनुमान है कि भाड़े की राशि लगभग ७० करोड़ रुपए से ८० करोड़ रुपये होगी ।

†**श्री वें० प० नायर** : यह मेरे प्रश्न के केवल पहले भाग का उत्तर है । क्या सरकार का ऐसा कोई कार्यक्रम है कि उसका कम से कम एक भाग भारतीय नौवहन को भी मिले ?

†**श्री राज बहादुर** : यह इस पर निर्भर है कि हम इस प्रयोजन के लिए कितने जहाज प्राप्त कर सकते हैं । उस के लिए हमें विदेशी मुद्रा का तुरन्त प्रबन्ध करना होगा ।

†**श्री हेम बरूआ** : क्या यह सच है कि अमेरिका के इस खाद्यान्न को हटाने के लिए नौवहन समवायों के साथ दीर्घकालीन व्यवस्था के बजाए मासिक व्यवस्था की जाएगी ? क्या यह भी सच है कि जहाज किराए पर लेने के बजाए उनकी खरीद करने का विचार किया जा रहा है ?

†**श्री राज बहादुर** : टेंडर आ चुके हैं और वाशिंगटन स्थित भारतीय संभरण मिशन द्वारा उन की जांच की जा चुकी है । जैसे ही हमें उन से प्रतिवेदन मिल जाएगा हम यह निर्णय करेंगे कि यह किस आधार पर किया जाना चाहिए—मासिक, वार्षिक अथवा चार वर्षीय आधार पर ।

†**श्री त्यागी** : माननीय मंत्री ने अभी कहा था कि भाड़ा लगभग ८० करोड़ रुपए के होगा । मैं समझता हूं कि ८० करोड़ रुपये से ८ जहाज खरीदे जा सकते हैं । अतः क्या सरकार ने इतना भाड़ा देने के बजाए कछ जहाज खरीदने के संबंध में विचार किया है ?

†**श्री राज बहादुर** : यह ठीक है कि ८० करोड़ रुपए से ८ जहाज खरीदे जा सकते हैं परन्तु प्रश्न यह है कि हम इतनी राशि का तुरन्त भुगतान कहां से करेंगे ? हम इस संबंध में विचार कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि किसी प्रकार के प्रस्ताव से हम कुछ जहाज प्राप्त कर सकेंग ।

†**श्री त्यागी** : क्या हम उन्हें आस्थगित भुगतान के आधार पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन्)** : मैं यह और जोड़ देना चाहता हूं कि जब हम ८० करोड़ रुपए कहते हैं तो उसका मतलब उतनी विदेशी मुद्रा से है । मैं नहीं जानता कि श्री त्यागी ने इस पहलू के संबंध में विचार किया है या नहीं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री रघुनाथ सिंह भी यह प्रश्न सभा में उठा चुके हैं । यदि ८० करोड़ रुपए खर्च किए जान हैं तो उस राशि से जहाजों की खरीद क्यों नहीं की जाती ?

: मेरा निवेदन है कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करने और जहाजों की खरीद के लिए विदेशी मुद्रा की एक बड़ी राशि का आवण्टन करने में बहुत अन्तर है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री त्यागी : जैसे भी हो ८० करोड़ रुपए का एक निश्चित अवधि में भुगतान किया ही जाना है ।

†अध्यक्ष महोदय : पहले भी यही प्रश्न उठाए गए थे और उत्तर में यही तर्क पेश किए गए थे ।

†श्री न० रा० मुनिस्वामी : क्या भारतीय जहाज मालिकों से प्रतिवेदन देने के लिए कहा गया था अथवा उन्होंने स्वेच्छा से वैसा किया था ?

†श्री राज बहादुर : हम ने भारतीय जहाज मालिकों से इस प्रस्ताव के संबंध में किसी अस्थायी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कहा था । वास्तव में मैं ने उनका एक सम्मेलन आमंत्रित किया था जिस में मैं उपस्थित था । बाजार में प्रचलित दरों के कारण उन्होंने कहा कि इस समय उन के लिए यह कार्य शुरू करना लाभकारी नहीं होगा । वे चाहते हैं कि सरकार उन्हें कुछ राजसहायता प्रदान करे । यह प्रश्न भी विचारणीय है ।

†श्री वें० प० नायर : क्या यह सच नहीं है कि पब्लिक ला ४८० के अन्तर्गत अमेरिका यह समझता है कि कुछ नौवहन अमरीकी जहाजों को सौंपा जाना चाहिए । यदि ऐसा है तो उसका प्रतिशत क्या है ?

†श्री राज बहादुर : ५० प्रतिशत खाद्यान्न अमरीकी जहाजों में ले जाया जाएगा और ५० प्रतिशत हम किन्हीं भी जहाजों से मंगा सकते हैं । यह इस पर निर्भर है कि इस प्रयोजन के लिए कितने भारतीय भारवाहक जहाजों की व्यवस्था की जा सकती है ।

एयर इंडिया इंटरनेशनल की भारवाही सेवा (फ्रेटर सर्विस)

+

†*८१७. { श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री हाल्दर :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री ५ सितम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १०७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया इन्टरनेशनल ने अपने साज सामान और कर्मचारियों से संयुक्त राज्य अमेरिका को भारवाही सेवा (फ्रेटर सर्विस) प्रारम्भ कर दी है ; और

(ख) क्या इस से संयुक्त राज्य अमरीका की हवाई कम्पनी के साथ किया हुआ करार अपने आप समाप्त हो जायेगा ?

†असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) एयर इंडिया इन्टरनेशनल ने अपने साज सामान और कर्मचारियों से संयुक्त भारवाही सेवा १४ नवम्बर, १९६० से भारत और ब्रिटेन के बीच चालू की है ।

(ख) सी बोर्ड एण्ड वैस्टर्न एयर लाइन्स के साथ करार १३ नवम्बर, १९६० को खत्म हो गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या सरकार ने इस योजना के परिणामस्वरूप एयर इंडिया इंटरनेशनल को होने वाली अतिरिक्त आय का आकलन किया है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : एयर इंडिया इन्टरनेशनल एक वाणिज्यिक निगम है अतः वह कोई कार्य तभी करेगा जब कि उसे कुछ लाभ होता हो ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : इस से कितनी अतिरिक्त आय होने का अनुमान है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : यह अभी बताना कठिन है । यह ठेका नवम्बर, १९६० में ही किया गया है अतः हम कुछ समय प्रतीक्षा करेंगे । मुझे आशा है कि उस से कुछ लाभ अवश्य होगा ।

बम्बई पत्तन में रेत आदि का इकट्ठा होना

†*८१८. **श्री यादव नारायण जाधव** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १७ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ११०७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई पत्तन से मिट्टी रेत आदि हटाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ख) मिट्टी रेत आदि जमा हो जाने के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ग) मिट्टी और रेत आदि को हटाने के कार्य में क्या प्रगति हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) से (ग) : बम्बई बन्दरगाह के प्रवेश पाट के सावधानी से किए गए सर्वेक्षण के आधार पर और गहरे डुबाव वाली नावों के लिये आवश्यक गहराई का विचार कर के पाट के तलकर्षण के लिए एक तीन प्रावस्थाओं वाली योजना तैयार की गई है । पहली दो प्रावस्थाओं का कार्य, जो पाट के मध्य एवं उत्तरी भाग से संबंधित है, ठेके के तलकर्षण द्वारा किया जाएगा । तीसरी प्रावस्था, जो दक्षिणी भाग से संबंधित है इतनी आवश्यक नहीं है और उसका क्रियान्वयन बम्बई पोर्ट ट्रस्ट के लिए नीदरलैंड्स में बनाए जा रहे नए तलकर्षक के आ जाने के पश्चात् विभाग द्वारा किया जाएगा ।

पूना स्थित केन्द्रीय जल तथा विद्युत् गवेषणा केन्द्र द्वारा किए गए प्रयोगों के आधार पर बाढ़ और ज्वार के पानी के साथ मिट्टी को बहाने के लिए बन्दरगाह के मुहाने पर दो स्थानों को चुना गया है—(१) थाल रीफ के परे और (२) प्रौंग्स रीफ़ के परे।

इस समय प्रवेश पाट की गहराई ३० फीट है । अब उसकी गहराई ३३ फीट कर देने का विचार किया जा रहा है । इस के अतिरिक्त एक ३८ फीट गहरा लांग्ल स्थान बनाया जाएगा जिस में तीन गहरे डुबाव वाले तेलवाहक जहाज आ सकें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री यादव नारायण जाधव** : क्या यह सच नहीं है कि यह योजना उस समय बनाई गई थी जब कि श्री स० का० पाटिल मंत्री थे ? योजना के वास्तविक क्रियान्वयन में कितना समय लगेगा ?

†**श्री राज बहादुर** : इस योजना की तीन प्रावस्थायें थीं । प्रथम प्रावस्था यथा-शीघ्र क्रियान्वित हो जाएगी। विवरण में बताया गया है कि इस प्रयोजन के लिए तलकर्षक बनाया जा रहा है ।

†**श्री यादव नारायण जाधव** : नीदरलैंड्स में तलकर्षक के निर्माण कार्य के संबंध में क्या प्रगति है ?

†**श्री राज बहादुर** : व्यादेश भेजा जा चुका है और सामान्यतः उसकी प्राप्ति में १८ महीने या कुछ अधिक समय लगता है ।

†**श्री आसर** : इस प्रयोजन के लिए रेडियमधर्मी तत्वों के उपयोग के संबंध में सरकार ने क्या प्रगति की है ?

†**श्री राज बहादुर** : रेडियमधर्मी तत्वों का प्रयोग तलकर्षक द्वारा निकाली जाने वाली मिट्टी को जमा करने के लिये सर्वोत्तम स्थान का पता लगाने के लिये किया जाता है । उसके लिये कुछ निर्णय कर लिये गये हैं कि मिट्टी कहां जमा की जायेगी ।

दिल्ली में बस्तियां बसाना

+
†*८१६. { **श्री राधा रमण** :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के मुख्य आयुक्त ने सरकार को कोई योजना पेश की है जिसमें दिल्ली के जमीन के उपयोग और भविष्य में बस्तियां बनाने के कार्यक्रम के नियमित करने के बारे में सुझाव दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने रिपोर्ट और उसमें दिये गये सुझावों को पूर्णतः स्वीकार कर लिया है अथवा आंशिक रूप में ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) से (ग). दिल्ली के मुख्य आयुक्त ने दिल्ली में भूमि के बड़े पैमाने पर अर्जन और विकास के सम्बन्ध में एक नोट भेजा है जो इस समय विचाराधीन है । परन्तु उसमें दिल्ली में जमीन के उपयोग अथवा भविष्य में बस्तियां बनाने के कार्यक्रमों की विस्तृत योजनायें नहीं हैं ।

†**श्री राधा रमण** : क्या मुख्य आयुक्त के नोट में जमीन के उपयोग और उसके वितरण के सम्बन्ध में कुछ निर्दिष्ट सिफारिशें सन्निहित थीं और यदि हां, तो वे निर्दिष्ट प्रश्न क्या हैं ?

†**श्री करमरकर** : जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, उन्होंने जमीन के उपयोग के विषय का उल्लेख नहीं किया है । वह कार्य नगर आयोजन संगठन और दिल्ली विकास प्राधिकार

†मूल अंग्रेजी में

का है । उन्होंने यह सुझाव दिया है कि भूमि का वितरण किस आधार पर किया जाना चाहिये। भूमि अर्जित की जा चुकी है और उसके सम्बन्ध में अनेक प्रश्नों के उत्तर दिये जा चुके हैं।

†**श्री राधा रमण** : भूमि के वितरण की क्या सिफारिशें हैं ?

†**श्री करमरकर** : वह संलेख अभी सरकार के विचाराधीन है और जैसे ही कोई निर्णय कर लिया जायेगा मैं उसकी प्रति सभा-पटल पर रख दूंगा । पिछले सप्ताह भी इसके सम्बन्ध में प्रश्न पूछे गये थे । गृह-मंत्री के सभापतित्व के अन्तर्गत अन्तर्विभागीय बैठक द्वारा कुछ अस्थायी निष्कर्ष निकाले गये हैं। वह मामला अब निर्णय किये जाने की अन्तिम अवस्था में है।

†**अध्यक्ष महोदय** : पिछले दिन माननीय मंत्री ने यह कहा था कि मास्टर प्लान की सदस्यों के साथ चर्चा की जायेगी । क्या वैसा किया गया है ?

†**श्री करमरकर** : मैं इसके लिये आपका आभारी हूं कि आपने मुझे यह अतिरिक्त घोषणा करने का अवसर दिया । हमने इस चर्चा के लिये १३ तारीख को ९½ बजे प्रातःकाल से ११ बजे तक का समय निश्चित किया है । आशा है माननीय सदस्य उपयोगी सुझाव पेश करेंगे ।

†**श्री राधा रमण** : क्या मुख्य आयुक्त के नोट में दिल्ली में बस्तियां बनाने अथवा नई योजना के अन्तर्गत दिल्ली के बस्तियां बनाने वालों के साथ किये जाने वाले व्यवहार के सम्बन्ध में कुछ कहा गया है ?

†**श्री करमरकर** : जैसा मैं बता चुका हूं वह नोट भूमि के अर्जन और विकास के सम्बन्ध में है । जहां तक वितरण का सम्बन्ध है, जैसा कि मैं सभा में पिछली बार भी बता चुका हूं, सहकारी निर्माण समितियों को अधिमान्यता देने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

†**श्री राधा रमण** : माननीय मंत्री ने कहा कि मुख्य आयुक्त ने अपने नोट में जो बातें लिखी हैं उन पर सरकार विचार कर रही है । सरकार को इस नोट के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय करने में कितना समय लगेगा ?

†**श्री करमरकर** : इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर देना बड़ा कठिन है । परन्तु यदि मेरा बस चलता तो मैं ने उसे छै महीने के समय में खत्म कर दिया होता ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या इस योजना में पूर्वी बंगाल के विस्थापित व्यक्तियों को दिल्ली और कालकाजी में बसाने की योजना भी सम्मिलित है ? उनके लिये दिल्ली में एक बस्ती बनाई जानी है ।

†**श्री करमरकर** : यह प्रश्न केवल दिल्ली से सम्बन्धित है, पूर्वी बंगाल या पश्चिमी बंगाल से नहीं ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : यह बस्ती सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले पूर्वी बंगाल के विस्थापित व्यक्तियों के लिये दिल्ली में ही होगी ।

†**श्री करमरकर** : मैं समझता हूं कि इन सब प्रश्नों पर विचार किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : सरकार की नीति अस्पृश्यता निवारण करना है और सरकार ऐसी सामान्य बस्तियां बनाने का विचार कर रही है जिनमें अनुसूचित जातियों के लोगों को प्लाट दिये जायेंगे । यदि ऐसा है तो क्या सरकार ऐसी कोई शर्त रखेगी कि सहकारी गृह निर्माण समिति की रजिस्ट्री केवल तभी की जायेगी जब वह प्लाटों का २० प्रतिशत भाग अनुसूचित जाति के लोगों के लिये रक्षित कर देगी ?

†**श्री करमरकर** : माननीय सदस्य का तात्पर्य व्यक्तियों को बेचे गये प्लाटों के २० प्रतिशत से है अथवा समस्त भूमि के २० प्रतिशत से ?

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : सरकार को यह शर्त रख देनी चाहिये कि प्रत्येक सहकारी समिति के २० प्रतिशत प्लाट अनुसूचित जातियों के लोगों के लिये सुरक्षित होंगे ताकि सरकार की नीति के अनुसार सामान्य बस्तियां बन सकें ।

†**श्री करमरकर** : मैं माननीय सदस्य का सुझाव सम्बन्धित प्राधिकारियों को भेज देने के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं कर सकता हूँ ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

लौंगजू का खाली किया जाना

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३. श्री हेम बरूआ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचारपत्रों में प्रकाशित यह खबर सच है कि चीनियों ने नेफा स्थित भारतीय चौकी लौंगजू को हाल में खाली कर दिया है जिसे उन्होंने अगस्त, १९५९ में अपने कब्जे में कर लिया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस समय लौंगजू की वास्तविक स्थिति क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). हमें इस प्रकार के समाचार प्राप्त हुए हैं कि चीनियों ने लौंगजू की चौकी को छोड़ दिया है और तीन मील उत्तर की ओर लौट गये हैं । यह भी ज्ञात हुआ है कि इसका कारण उस क्षेत्र में किसी संक्रामक रोग का फैल जाना है । इसलिये यह समझा जाना चाहिये कि वे अपने सुभीते के लिये ही पीछे हटे हैं ।

†**श्री हेम बरुआ** : चूंकि चीनी सेनाओं ने अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर के लौंगजू पर जबरन कब्जा किया था इसलिये क्या सरकार उस क्षेत्र को चीनी सेनाओं के चले जाने पर पुनः अपने कब्जे में लेने का विचार कर रही है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : लौंगजू के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को याद होगा, क्योंकि यह श्वेतपत्र में कहा गया है, कि हमने यह सुझाव दिया था कि चूंकि हम इन मामलों के सम्बन्ध में चर्चा कर रहे हैं इसलिये दोनों में से किसी भी पक्ष को उस पर कब्जा नहीं करना चाहिये । यह ठीक है कि चीनी सरकार ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया था और वे उस पर अपना कब्जा किये रहे । परन्तु चूंकि उन्होंने बीमारी के कारण उसे खाली किया है इसलिये हमें वहां जाने का अधिक आकर्षण नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** : यह बड़ी अजीब सी बात है कि चीनी लोग, जिन्होंने एवरेस्ट को पहले ही आक्रमण में जीत लिया था, बीमारी से हार गये। इसलिये क्या सरकार पेकिंग से यह मालूम करेगी कि यह उनकी ओर से मैत्री भाव का प्रदर्शन तो नहीं है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : पहले तो वह फासला इतना कम—हमारी जानकारी के अनुसार ३ मील—है कि यह बताना कठिन है कि लौंगजू कहां खत्म होता है और अगला गांव कहां शुरू होता है। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न चीन से पूछने के लिये कहा है वह इस रूप में वांछनीय नहीं है। मैं आपकी अनुमति से कुछ और भी निवेदन करना चाहता हूं। कुछ माननीय सदस्यों ने रंगून की भारत-चीन वार्ता के सम्बन्ध में एक अल्प सूचना प्रश्न भेजा था। मुझे ज्ञात हुआ है कि वह वार्ता खत्म हो गई है और हमारा प्रतिनिधिमंडल उन प्रतिवेदनों सहित, जिन पर वहां हस्ताक्षर हुए हैं तीन चार दिन में वापस आ जायेगा।

†**श्री हेम बरुआ** : चीनी सेनाओं ने लौंगजू किस तारीख को खाली किया था और सरकार को यह सूचना किस तारीख को मिली ? क्या इन दोनों के बीच में कोई अन्तर है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : उसमें काफी समय का अन्तर है। मैं नहीं कह सकता कि ऐसा क्यों हुआ। वास्तव में मैं अभी भी निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कह सकता हूं क्योंकि हमें उन लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है जो उस पर से इस ओर आते हैं। हम अपने लोगों को वहां नहीं भेजते हैं। हम अपने विमानों को वहां उड़ान के लिये नहीं भेजते हैं क्योंकि हमारा यह करार है कि हम एक दूसरे के राज्यक्षेत्र में प्रवेश नहीं करेंगे। जैसा कि माननीय सदस्यों को याद होगा, लौंगजू सीमान्त के अन्दर है। हमारे अनुसार भी सीमान्त लौंगजू से कुछ ही आगे है। वह केवल दो तीन मील की दूरी है और यदि आप उस पर उड़ान करेंगे तो वह संभव नहीं होगा। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हम उड़ान द्वारा अथवा किसी अन्य प्रकार से ही इसके सम्बन्ध में निश्चित जानकारी नहीं प्राप्त कर सके हैं। चूंकि ये सूचनायें हमारे पास विभिन्न जरियों से आई हैं इसलिये हम तारीख आदि नहीं बता सकते।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या सरकार इसके लिये कोई कदम उठा रही है कि उस चौकी पर पुनः कब्जा न किया जा सके जिसे अभी चीनी सेनाओं ने बीमारी के बहाने खाली कर दिया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : नहीं, श्रीमान्। उस स्थान की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करना मेरे लिये कठिन है। परन्तु यदि हम लौंगजू पर कब्जा करने का प्रयत्न करें भी तो सर्वप्रथम वह हमारे समझौते के विरुद्ध होगा क्योंकि उसके अन्तर्गत हम ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकते हैं। दूसरे उसके लिये बहुत बड़ा प्रयास करना होगा।

†**श्री मोहम्मद इमाम** : यह कहा गया है कि वहां बड़े जोर से बीमारी फैल रही है। क्या सरकार ने वहां के लोगों को चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये कोई कदम उठाये हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : नहीं, श्रीमान्, क्योंकि वहां कोई रहता ही नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या लौंगजू को चीन तथा हमारी सरकार दोनों ने ही छोड़ दिया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : लौंगजू सीमांत के पास है और हमारी ओर है। उस पर चीनियों ने जबरन कब्जा कर लिया था। अब वे वहां से चले गये हैं। वास्तव में हमें पता चला है कि उन्होंने

---

†मूल अंग्रेजी में

लौंगजू के मकान इसलिये नष्ट किये हैं कि उनकी ईंटों तथा अन्य सामग्री को तीन मील दूर निर्माण कार्य में काम में लाया जा सके। लौंगजू का क्षेत्र ऐसा है जिसमें कोई भी नहीं रहता है।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : इसके लिये क्या कदम उठाये गये हैं कि चीनी हमारे राज्य क्षेत्र में फिर न घुस आयें ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इसका उत्तर दिया जा चुका है।

†**श्री त्यागी** : क्या सरकार ने यह पता लगाया है कि वह बीमारी किस प्रकार की है। प्राकृतिक अथवा कृत्रिम और इसलिये जो उत्पन्न नहीं की गई है कि हम वहां न पहुंच सकें ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे नहीं मालूम।

†**श्री त्यागी** : वह बीमारी कौनसी है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे डाक्टरी प्रतिवेदन नहीं मिला है। ये यात्रियों की कही हुई बातें हैं जिनकी बार बार पुष्टि होने पर हम उन्हें मान लेते हैं।

†**श्री त्यागी** : बीमारी का नाम क्या है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे नहीं मालूम।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

यात्री पोत

†*८०८. **श्री प्र० गं० देव** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ९ सितम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १२०० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्रियों को लेजाने वाले दो जहाज प्राप्त करने की प्रस्थापना पर इस बीच विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या फैसला किया गया है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी. नहीं। प्रस्ताव पर तीसरी पंचवर्षीय योजना में विचार होगा।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

डिवीजनल सुपरिन्टेंडेंट, जयपुर के विरुद्ध आरोप

†*८१२. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **रेलवे** मंत्री २६ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १६१६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के जयपुर डिवीजन के सुपरिंटेंडेंट के विरुद्ध विशेष पुलिस संस्थान की रिपोर्ट पर इस बीच विचार किया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निश्चय किया गया है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री श्री सें०वें० रामस्वामी) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रतिवेदन की जांच के बाद पता लगा कि डिवीजनल सुपरिंटेंडेंट जयपुर ने कोई अनियमितता नहीं की है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

क्षय-रोगी

†*८१६. **श्री रामी रेड्डी** : क्या स्वास्थ्य मंत्री २३ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १३१४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंच वर्षीय योजना की अवधि में अस्पतालों में क्षय-रोगियों के पलंगों की संख्या में कितनी वृद्धि करने की प्रस्थापना थी ;

(ख) कितनी वृद्धि होने की संभावना है ; और

(ग) प्रस्तावित संख्या पूरी करने में यदि कोई कमी रह गयी हो, तो उसके क्या कारण हैं ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) ८९४० पलंग ।

(ख) ८७११ पलंग ।

(ग) इस कमी का मुख्य कारण यह है कि भवन का निर्माण समय पर पूरा न हो सका ।

कलकत्ता में विदेशी हवाई पत्रों के फार्मों की कमी

†*८२०. **श्री साधन गुप्त** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कलकत्ता के डाकघरों में अक्तूबर, १९६० से ५० न० पैं० के विदेशी हवाई पत्रों के फार्मों की कमी पड़ गयी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कमी नासिक के सीक्योरिटी प्रेस से सप्लाई बन्द होने के कारण हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो सप्लाई बन्द होने का क्या कारण है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारयन) : (क) जी, नहीं । १४ से २६ अक्तूबर १९६० तक अस्थायी कमी थी ।

(ख) और (ग). कलकत्ता ट्रेजरी में रिजर्व भंडार के खत्म हो जाने तथा पूजा की छुट्टियों के आ जाने के कारण मांग पूरी करने में विलम्ब के कारण तथा केन्द्रीय स्टाम्प, नासिक रोड में छमाही भंडार की जांच के कारण यह कमी हुई थी। इस प्रकार की कमियां पुनः न हो पायें इसके बारे में उचित कार्यवाही की जा रही है ।

नागार्जुन सागर परियोजना

†*८२१. { **कुमारी मो० वेदकुमारी** :
श्री उस्मान अली खां :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात की कमी के कारण नागार्जुन सागर परियोजना पर निर्माण कार्य में देरी हो गयी है ; और

---

†मूल अंग्रजी में

(ख) इस बात की व्यवस्था करने के लिये अब तक क्या कदम उठाये गये हैं कि उक्त कार्य के लिये पर्याप्त मात्रा में इस्पात समय पर पहुंचता रहे ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). प्रगति सामान्यतः कार्यक्रम के अनुसार है । परन्तु ट्रिस्टल पुल के लिये इस्पात शीघ्रता से उपलब्ध करना है और ऐसा करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

हसन–मंगलौर लाइन

†*८२२. **श्री आचार** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हसन–मंगलौर लाइन के निर्माण के बारे में रिपोर्ट पेश करते समय रेलवे बोर्ड ने अपने पिछले प्राक्कलनों में लौह अयस्क के निर्यात की संभावनाओं का बिल्कुल उल्लेख नहीं किया गया था ;

(ख) क्या सरकार ने अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड से यह कहा था कि वह इस लाइन से लौह-अयस्क के निर्यात की गुंजाइश का यथोचित अनुमान लगा कर अपनी रिपोर्ट पेश करे ।

(ग) क्या बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है ; और

(घ) यदि हां, तो इस नई लाइन के निर्माण के बारे में सरकार ने क्या फैसला किया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) इस लाइन का निर्माण लौह-अयस्क के निर्यात के लिये मंगलौर पत्तन के विकास पर निर्भर है ।

बम्बई पत्तन

†*८२३. **श्री आसर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई पत्तन के प्रवेश द्वारा पर पत्तन न्यास प्राधिकारियों द्वारा पर्याप्त रूप से दिखायी देने वाले पोत-पथ सूचक पैराक पीपे न रखवाये जाने के कारण बाहर से आने वाले विदेशी जहाजों के लिये एक गम्भीर समस्या खड़ी हो गयी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ बड़े बड़े जहाजों के कप्तानों ने हार्बर मास्टर को यह चेतावनी दी है कि यदि उपचारात्मक कदम न उठाये गये तो जहाजों का धोखे से चट्टानों की श्रृंखला से टकरा जाने का खतरा है ; और

(ग) इस खतरे को दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी नहीं । बम्बई पत्तन के प्रवेशद्वार पर पोत पथ सूचक पैराक पीपे केवल प्रोंग रीफ के एक पैराक पीपे को छोड़ सभी भली प्रकार काम कर रहे हैं । प्रोंग रीफ का स्थायी पैराक पीपा मरम्मत के लिये हटाया गया है और उसके स्थान पर एक छोटा पैराक पीपा लगा दिया गया है। छोटे पैराक पीपे से रात्री में चमक निकलने के कारण नाविकों को सहायता मिल जाती है और मुख्य उद्देश्य पूरा हो जाता है। दिन में अवश्य यह स्थायी पैराक पीपे के समान उपयोगी नहीं होता है परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का अवश्य है। प्रोंगरीफ में लाइट हाउस भी है और लाइट कीपर रीफ की ओर गलती से जाने वाले जहाजों को सिगनल आदि देकर चेतावनी दे देता है। इसके अतिरिक्त जहाजों के मास्टर मुख्यत: पैराक पीपों पर निर्भर नहीं रहते हैं अपितु तट के मान्यता प्राप्त भूमि चिन्हों की ओर अपनी स्थिति रखते हैं । पत्तन के प्रवेश के समय सभी मास्टरों को सावधानी रखनी होती है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) पत्तन न्यास पदाधिकारी प्रौंग रीफ पर स्थायी मार्ग दर्शक पैराक पीपा लगाने की कार्यवाही कर रहे हैं ।

देश में खाद्य पदार्थों में मिलावट

†*८२४. **श्री तंगामणि :**
श्री मो० ब० ठाकुर :
डा० राम सुभग सिंह :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री हेम राज :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट की अखिल भारतीय औसत २९.१ प्रतिशत है ;

(ख) यदि हां, तो अखिल भारतीय अधिनियम को कड़ाई से लागू करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ग) किन राज्यों में ६६.७ प्रतिशत तक मिलावट होती है ; और

(घ) किन राज्यों में ५० प्रतिशत से ऊपर मिलावट होती है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** (क), (ग) और (घ). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २१]** ।

(ख) खाद्य अपमिश्रण अधिनियम तथा नियमों की क्रियान्विति की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर है । परन्तु उनको अधिनियम तथा नियमों को कठोरता से लागू करने का समय समय पर परामर्श दिया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में उर्वरकों का संभरण

†*८२५. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार से ये रिपोर्ट मिली है कि सल्फेट आफ अमोनिया न मिलने के कारण उड़ीसा राज्य के समस्त कृषकों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

(ख) क्या यह सच है कि राज्य ने १९६०–६१ के लिए ६०,००० टन सल्फेट आफ अमोनिया की मांग की थी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि अभी तक राज्य को केवल ६,००० टन उर्वरकों की सप्लाई की गयी है ; और

(घ) यदि हां, तो इस विकट परिस्थिति पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार की सहायता करने के वास्ते क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) उड़ीसा सरकार ने हमें बताया है कि राज्य में उर्वरकों की बहुत कमी है और हमसे उनका शीघ्रता से संभरण करने की मांग की है।

(ख) जी, नहीं। सल्फेट आफ अमोनिया की ३९,००० टन की मांग थी। परन्तु राज्य सरकार ने निम्नलिखित नाइट्रोजिनस उर्वरक की मांग की थी।

(१) अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट	१००० टन
(२) कैल्सियम अमोनियम नाइट्रेट	१०,००० टन

(ग) जी, नहीं। पहले नौ महीनों (अप्रैल से दिसम्बर १९६०) के लिए १४,९५० टन सल्फेट आफ अमोनिया का आवंटन किया गया था। इसमें से ११,३५० टन का अब तक संभरण कर दिया गया है।

(घ) सिंदरी से उड़ीसा को संभरण के लिए उच्च प्राथमिकता दी गई है। आशा है कि शेष पूरी मात्रा का संभरण १५ दिसम्बर, १९६० तक हो जायेगा। अमोनियम सल्फेट के साथ साथ, १,१३५ टन अमोनियम सल्फेट नाईट्रेट का भी संभरण कर दिया गया है। कलकत्ते के बन्दरगाह से २००० टन के कैल्सियम अमोनियम नाइट्रेट का संभरण करने की भी व्यवस्था की गई है।

डाक तथा तार विभाग में कल्याण पदाधिकारी

*८२६. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री १० अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ५२१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि डाक तथा तार विभाग में कल्याण

---

†मूल अंग्रेजी में

पदाधिकारियों का पद रखने अथवा समाप्त करने के सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर): इस मामले की अभी तक जांच की जा रही है ।

नौवहन उद्योग के लिये विदेश मुद्रा

†*८२७. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री सरजू पांडेय :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २६ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ७९९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नौवहन उद्योग की आयात सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नौवहन के महानिदेशक को अपेक्षित विदेशी मुद्रा का कोटा उपलब्ध करने की प्रस्थापना इस समय किस प्रकम पर है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) :** नौवहन, जहाज बनाने वाली तथा जहाजों की मरम्मत करने वाली अधिकांश फर्मों ने जिनको पत्र भेजे गये थे, अभी तक अपनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकतायें नहीं बताई हैं । उनके उत्तर मिल जाने पर मामले पर और विचार होगा ।

रेलवे में भ्रष्टाचार

†*८२८. **श्री रामी रेड्डी :**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री प्र० गं० देव :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पंजाब के मुख्य मंत्री द्वारा २३ अक्तूबर, १९६० को अम्बाला में दिये गये भाषण में इस कथन की ओर ध्यान दिलाया गया है कि रेलवे में भ्रष्टाचार के परिणामस्वरूप चीनी उद्योग पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख). इसके बारे में समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों की ओर सरकार का ध्यान दिला दिया गया था, परन्तु जांच के बाद यह पता लगा कि समाचार एकदम गलत तथा झूठा था ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली लन्दन बस सेवा

†*८२९. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री भक्त दर्शन :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १९ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५१९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली और लन्दन के बीच लाहौर हो कर जाने वाली बस सेवा चालू करने की प्रस्थापना किस प्रक्रम पर है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : मामला अभी विचाराधीन है ।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या ५

†१५५९. **श्री विन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ५ सितम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २०५२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तालाडांग से निरगुंडी रेलवे समपार तक राष्ट्रीय राजपथ संख्या ५ के संशोधित निर्माण प्राक्कलनों की जांच कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो संशोधित प्राक्कलन क्या हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** :(क) जी हां ।

(ख) ९,३४,००० रुपये के संशोधित प्राक्कलनों की स्वीकृति दे दी गई है।

विमान दुर्घटनायें

†१५६०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया इंटरनेशनल तथा इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमानों की अप्रैल १९६० से हुई विमान दुर्घटनाओं के ब्यौरे क्या हैं ;

(ख) प्रत्येक दुर्घटना के क्या कारण थे ; और

(ग) प्रत्येक दुर्घटना में कितनी हानि हुई ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) से (ग). १ अप्रैल,१९६० से इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के डकोटा विमान की एक बड़ी दुर्घटना हुई है। दुर्घटना के ब्यौरों का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। इसी अवधि में एयर इंडिया इंटरनेशनल के किसी विमान की कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

१२ सितम्बर, १९६० को भारतीय समय के अनुसार ०५·२८ बजे अगरताला में उतरते हुए इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का डकोटा विमान वी० टी०—डी० एफ० एम० उतरने की पट्टी से अलग चला गया। विमान कलकत्ता से अगरताला को अनुसूचित मालवाही सेवा पर था जिसमें चालक कप्तान जी० थामस, सह-चालक श्री आइ० सी० वशिष्ठ तथा रेडियो आफीसर श्री ओ० मोगन थे। विमान के स्टार बोर्ड अन्डरकैरिज, स्टार बोर्ड विंग, मध्य भाग, स्टार बोर्ड प्रोपैलर, टेल व्हील तथा विमान कबन्ध का ढांचा, तथा स्टारबोर्ड टेलप्लेन टूट गये। कोई घायल नहीं हुआ।

विमान की मरम्मत का प्राक्कलित व्यय ६३,३५० रुपये है।

दुर्घटना की जांच की जा रही है।

महाराष्ट्र में खाद्यान्नों का स्टाक

†१५६१. **श्री पांगरकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६०-६१ में महाराष्ट्र सरकार को खाद्यान्नों का रक्षित भंडार (रिजर्व स्टाक) बनाने तथा उसके वितरण के लिये कितना अग्रिम धन दिया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : खाद्यान्नों का रक्षित भंडार (रिजर्व स्टाक) बनाने के लिये तथा उसके वितरण के लिये महाराष्ट्र सरकार को कोई अग्रिम धन नहीं दिया गया है।

क्विलोन–त्रिवेन्द्रम लाइन पर पेरुन्गुज़ी हाल्ट

†१५६२. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे पर क्विलोन-त्रिवेन्द्रम विभाग में पेरुन्गुज़ी हाल्ट कब तक चालू हो जायेगा ;

(ख) क्या यह सच है कि निकटस्थ फ्लैग स्टेशनों से पेरुन्गुज़ी हाल्ट पर अधिक आय होती है; और

(ग) क्या इस हाल्ट को फ्लैग स्टेशन बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) पेरुन्गुज़ी ट्रेन हाल्ट १४–४–१९५० को चालू कर दिया गया था।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हां। दक्षिण रेलवे ने हाल्टों को फ्लैग स्टेशन बनाने के कार्यक्रम में १८ हाल्टों को शामिल किया है। उसमें इसका नम्बर आने पर इसको फ्लैग स्टेशन बना दिया जायेगा।

डाकघरों की इमारतें

†१५६३. **श्रीमती मफ़ीदा अहमद** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम के जोरहाट में डाकघर की नई इमारत बनाने के लिये भूमि ले ली गई है :

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो मामले में क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके तथ्य क्या हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन्)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जोरहाट हैड पोस्ट आफिस इस समय विभागीय भवन में था। कर्मचारियों की वृद्धि के कारण अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता होने पर, वर्तमान विभागीय भवन के विस्तार का प्रश्न विभाग के विचाराधीन है ।

रेलगाड़ियों में डकैतियां

†**१५६४. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० में अब तक उत्तर रेलवे के दिल्ली तथा अमृतसर के बीच चलती हुई यात्री गाड़ियों में कितनी डकैतियां हुईं ;

(ख) उनमें कितनी प्राक्कलित हानि हुई ;

(ग) इन घटनाओं की जांच के क्या परिणाम हुये ; और

(घ) भविष्य में रेलवे यात्रियों की सुरक्षा के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) अब तक कोई डकैती नहीं हुई है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

(घ) इस समय ऐसी घटनाओं के लिये निम्नलिखित सुरक्षात्मक व्यवस्था है :—

(१) गश्त बढ़ा दी गई है ।

(२) सभी महत्वपूर्ण रात्री गाड़ियों में सिपाही तैनात हैं ।

(३) जी० आर० पी० सिपाहियों के लिये स्थान गाड़ी के मध्य में यथासंभव महिला डिब्बों के निकट सुरक्षित होता है ।

(४) विशेष रात्रि दस्ते तथा वरिष्ठ अधिकारी रात्रि में गश्तों तथा गाड़ियों का अचानक निरीक्षण करते हैं ।

(५) महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलिस के सिपाही तैनात हैं तथा बड़े पैमाने पर छापे मारे जाते हैं ।

(६) प्लेट फार्म पर जी० आर० पी० कर्मचारियों को आदेश है कि गाड़ी चलने से पहले वह इसका पता लगायें कि महिला डिब्बों में बैठी महिलाओं ने सेफ्टी कैच (चटकनी) लगाये हैं अथवा नहीं ।

(७) अंधेरा होने के बाद डिब्बों में अकेला बैठने से यात्रियों को रोका जाता है और अनुरोध किया जाता है कि वह यात्रियों वाले डिब्बों में बैठें क्योंकि प्रायः अपराधी अपराध करने के लिये खाली डिब्बे ही छांटते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(८) टी० टी० ई० और कन्डक्टर गार्डों को आदेश हैं कि गाड़ी चलने से पहले वे सभी पहले तथा दूसरे दर्जे के डिब्बों को देख लें कि उनमें सेफ्टी फिटिंग हैं अथवा नहीं और कोई व्यक्ति बर्थ के नीचे अथवा पाखाने में तो नहीं छिपा है।

विजयवाड़ा में दुग्ध चूर्ण (मिल्क पाउडर) कारखाना

†१५६५. **श्री रामी रेड्डी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ६ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १३०३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विजयवाड़ा में दुग्ध चूर्ण (मिल्क पाउडर) कारखाना बनाने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मों० वे० कृष्णप्पा)** : हैदराबाद-विजयवाड़ा परियोजना के लिये यूनीसैफ द्वारा किया गया १६ लाख डालर का आवंटन स्वीकार कर लिया गया है। इसमें १०.७५ लाख डालर की विजयवाड़ा दुग्धशाला के लिये सहायता भी शामिल है। कारखाने की स्थापना का कार्य आरम्भ हो चुका है। राज्य सरकार का एक वरिष्ठ अधिकारी योजना का प्रभारी बना दिया गया है। कारखाने के लिये भूमि का अर्जन कर लिया गया है तथा विकास कार्य हो रहा है। कारखाने के निकट एक रेलवे साइडिंग बनाने को अन्तिम रूप दिया जा सकता है। भवन के नक्शे बनाये जा रहे हैं। गांवों में दूध ठंडा करने के स्टेशनों के स्थान चुन लिये गये हैं। दूध इकट्ठा करने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिये गांवों का व्यौरेवार सर्वेक्षण किया गया है।

विलिंगडन अस्पताल

†१५६६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २६ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २५४८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली के विस्तार में क्या प्रगति हुई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : लारेंस स्क्वैयर में वार्ड ब्लाक बनाने की तथा इर्विन रोड पर आउट पेशंट विभाग बनाने की स्वीकृति के साथ साथ पेयिंग वार्ड में वृद्धि और परिवर्तन की स्वीकृति भी दे दी गई है। सबसे पहले इर्विन रोड पर आउट पेशंट विभाग बनाने का विचार है। सरकारी क्वार्टरों के खाली हो जाने तथा गिराये जाने पर निर्माण कार्य आरम्भ हो जायेगा। केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग सर्वेक्षण प्रतिवेदन बना रहा है।

दिल्ली में खेती के योग्य बेकार पड़ी भूमि

†१५६७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली राज्य में इस समय कितने एकड़ खेती के योग्य बेकार पड़ी भूमि है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मों० वे० कृष्णप्पा)** : ३६,४२४ एकड़।

पंजाब में सिंचाई और बिजली का विकास

†१५६८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६०-६१ में पंजाब में सिंचाई और बिजली विकास का कार्यक्रम अन्तिम रूप से तैयार किया जा चुका है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) विभिन्न मदों के अधीन कितनी रकम मंजूर की गयी है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). वर्ष १९६०–६१ में पंजाब में सिंचाई और बिजली के क्षेत्र के लिये १५७५.०२ लाख रुपये की अधिकतम रकम मंजूर की गयी है । इसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

	लाख रुपयों में
(१) भाखड़ा .	१०४५.२९
(२) बड़ी और मंझली सिंचाई . .	२३६.५८
(३) पानी इकट्ठा होने की रोक आदि . .	४१.१५
(४) बिजली	२५२.००
कुल . .	१५७५.०२

भारत में आयुवद की उन्नति

†**१५६९. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने वर्ष १९५९–६० में भारत में आयुर्वेद की उन्नति के लिये कितनी रकम मंजूर की है ;

(ख) किन किन मदों के लिये यह अनुदान मंजूर किया गया है ; और

(ग) प्रत्येक मद के लिये कितनी रकम मंजूर की गयी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) १४,५१,१०० रुपये (राज्य के सरकारी संस्थाओं को दिये गये वे अनुदान छोड़कर, जो मार्गोपाय पेशगियों से समायोजित किये जाते हैं)

	रुपये
(ख) और (ग). १. सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जामनगर . .	३,५०,०००
२. पोस्ट-ग्रेजुएट ट्रेनिंग सेंटर, जामनगर . .	८,१६,३००
३. क्लिनीकल रिसर्च योजनायें . .	२,४४,३००
४. तदर्थ अनुदान . .	३५,०००
५. आयुर्वैदिक शब्दकोष की छपाई . .	५,५००
कुल . . .	१४,५१,१००

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

†१५७०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० में पठानकोट में रेलवे कर्मचारियों के लिये कितने क्वार्टर बनाये गये ;

(ख) कितने क्वार्टर दिये गये ; और

(ग) १ अप्रैल, १९६० को प्रतीक्षा-सूची में कितने कर्मचारियों के नाम थे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) कोई नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) वर्ग ३ कर्मचारी

आवश्यक	५९
अनावश्यक	१६५
वर्ग ४ कर्मचारी	
आवश्यक	१७१
अनावश्यक	२०२

चित्तरंजन इंजन कारखाने में एप्रेंटिस

†१५७१ **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चित्तरंजन इंजन कारखाने में जो अनेक एप्रेंटिस अपना शिक्षा-क्रम पूरा कर चुके हैं, उन्हें उनके प्रमाणपत्र नहीं दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). चितरंजन इंजन कारखाने के एप्रेंटिसों ने जो करार किया है उसकी शर्तों के अनुसार, प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के प्रमाणपत्र उन प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद दिये जाते हैं जो किसी पद पर नहीं रखे जा सकते और जो किसी जगह काम में लगाये जाते हैं उन्हें उस पदपर पांच साल की नौकरी के बाद वे प्रमाणपत्र दिये जाते हैं ।

बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों को अनाज का सम्भरण

†१५७२. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री सूपकार :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष बाढ़-पीड़ित राज्यों को कुल कितना अनाज दिया गया ;

(ख) प्रत्येक राज्य को कितना कितना दिया गया ; और

(ग) प्रत्येक राज्य ने कितनी मात्रा मांगी थी ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) से (ग). केवल उड़ीसा सरकार ने अपने राज्य के बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में बांटने के लिये २,००० टन गेहूं का विशेष कोटा मांगा था। उसके २,६०० टन माहवार कोटे के अतिरिक्त यह कोटा केन्द्रीय स्टाक से दिया गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर प्रदेश के सीमांत जिलों में टेलीफोन सुविधायें

१५७३. श्री भक्त दर्शन : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २३ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६८२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब से उत्तर प्रदेश के तिब्बत सीमावर्ती क्षेत्र में उत्तरकाशी, चमौली व पिथौरागढ़ के नये जिलों का निर्माण हुआ है, तब से उन जिलों के किन-किन स्थानों पर नये डाकघर, तारघर, टेलीफोन एक्सचेंज, सार्वजनिक टेलीफोन-घर, बेतार के तार के केन्द्र खोले जा चुके हैं ;

(ख) अन्य किन-किन स्थानों पर उपरोक्त सुविधायें देने का प्रश्न विचाराधीन है; और

(ग) इन जिलों के डाक तथा तार की सुविधाओं को बढ़ाने के लिये कौन से विशेष कदम उठाये गये हैं या अब भी उठाये जा रहे हैं ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). लोक-सभा के पटल पर एक विवरण-पत्र रखा जाता है । **[देखिय परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २२]**

रेलवे दुर्घटनाओं में हताहत व्यक्तियों को क्षति-पूर्ति

†**१५७४. श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **रेलवे** मंत्री २३ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६५५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे दुर्घटनाओं में हताहत व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति देने की नयी योजना इस बीच अंतिम रूप से तैयार हो गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी प्रति सभा पटल पर रखी जायगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रेनीगुन्टा–तिरुपति रेलवे लाइन

†**१५७५. श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **रेलवे** मंत्री १६ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ७३७के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि रेनीगुन्टा-तिरुपति छोटी रेलवे लाइन को बड़ी लाइन (ब्राड-गेज) में बदलने की योजना किस अवस्था में है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** दक्षिण रेलवे से पुनर्मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है और रेलवे बोर्ड उसकी छानबीन कर रहा है ।

गंडक परियोजना

†**१५७६.** **श्री राजेन्द्र सिंह :**
श्री झूलन सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६१-६२ और १९६२-६३ के लिए गंडक परियोजना के लिए क्या कार्यक्रम बनाया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : पक्का निर्माण कार्यक्रम अभी तैयार नहीं किया गया है । वर्ष १९६१-६२ में प्रारंभिक कार्य, जैसे भैंसालोटन तथा अन्य स्थानों में इमारतें , सड़कें आदि बनाने और बांध बनाने के काम के साथ-साथ डोन शाखा नहर बनाने का काम करने का विचार है ।

१९६२-६३ में मुख्य पूर्वी नहर का काम भी शुरू किया जा सकता है जब कि डोन शाखा नहर तथा बांध का शेष काम भी जारी रहेगा ।

बिहार में मक्खन का कारखाना

†१५७७. { **श्री रा० चं० माझी :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में बरौनी के पास सोगराहा में मक्खन का कारखाना खोलने के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) क्या भारत के अन्य भागों में मक्खन के ऐसे कारखाने खोलने की कोई योजना है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें कृष्णप्पा)** : (क) बरौनी (बिहार) के पास सोगराहा में मक्खन के कारखाने की इमारत बनायी जा रही है और मई, १९६१ तक वह सम्भवत: पूरी हो जायगी। अधिकतर साज सामान निर्माणस्थल पर पहुंच चुका है । बाकी सामान भी संभवत: शीघ्र ही पहुंच जायगा और उस के बाद संयंत्र स्थापित करने का काम शुरू होगा।

(ख) जी हां, दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में दो और कारखाने, एक गुजरात राज्य में जूनागढ में और दूसरा उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ में खेले जा रहे हैं।

तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में मक्खन के ग्यारह कारखाने खोलने का विचार है।

क्षयरोग का सर्वेक्षण

†१५७८. { **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय क्षय रोग सर्वेक्षण मदनपल्ले और दिल्ली क्षेत्र के आगे भी किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो कब और कहां ;

(ग) सर्वेक्षण का परिणाम मालूम होने के बाद गांवों में क्षय रोग के गैर-सरकारी चिकित्सालयों को अब तक कितनी मदद दी गयी है ; और

(घ) अब तक क्षय रोग के कितने चिकिसा लयों ने सहायता मांगी है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). १९५५ में आरम्भ किया गया। राष्ट्रीय क्षय रोग सर्वेक्षण १९५८ में पूरा हो गया था और वह ६ क्षेत्रों में अर्थात्

†मूल अंग्रेजी में

कलकत्ता, दिल्ली, हैदराबाद, मदनपिल्ले, पटना और त्रिवेन्द्रम में किया गया था दूसरा राष्ट्रीय क्षय रोग सर्वेक्षण करने की अभी फिलहाल कोई योजना नहीं है ।

(ग) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(घ) वर्ष १९५९–६० में क्षय रोग, कुष्ठ रोग तथा अन्य रोगों संबंधी स्वयं सेवी संस्थाओं को अनुदानों की योजना के अधीन १५ क्षय रोग चिकित्सालयों ने वित्तीय सहायता मांगी थी ।

बनारस के पास दुर्घटना

†१५७९. **श्री सुबिमन घोष :**
श्री हेम बद्रुआ :
श्री सैं० अ० मेहदी :
श्री प्र० गं० देव :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २ अक्तूबर, १९६० को बनारस के पास मगल सराय-लखनऊ-कानपुर सवारी गाड़ी की दुघटना हो गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के क्या कारण थे ;

(ग) कितने व्यक्तियों को चोट लगी और रेलवे की कितनी हानि हुई ;

(घ) क्या उस के लिए किन्हीं कर्मचारियों को दंड दिया गया है ; और

(ङ) यदि हां, वे किस श्रेणी के कर्मचारी हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां ।

(ख) सरकारी रेलवे निरीक्षक द्वारा की गयी जांच के अनुसार, रेलवे कर्मचारियों की असावधानी के कारण दुर्घटना हुई ।

(ग) आहत

गंभीर .	१
छोटी मोटी	९
	१०

अनुमान है कि रेलवे सम्पति को लगभग ११ हजार रुपये की हानि हुई है ।

(घ) और (ङ). रेलवे प्रशासन इस मामले की छानबीन कर रहा है ।

जल विद्युत् शक्ति

†१५८०. **श्री रामी रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री ३१ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १८११ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस में उल्लिखित योजनाओं का विस्तृत सर्वेक्षण करने की योजना पर विचार किया गया है और कोई निर्णय किया गया है ; **और**

(ख) उस में उल्लिखित ६४ योजनाएं कौन सी हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) प्रस्तावित जांच पड़ताल के लिए संगठन स्थापित करने और काम के संबन्ध में विस्तृत कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए राज्य सरकारों से प्रार्थना की गयी है ।

(ख) संभव है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में ६४ योजनाओं की बजाय ६५ योजनाओं के संबंध में जांच पड़ताल की जायेगी । उन के नाम बताने वाला विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २३]**

भागलपुर रेलवे स्टेशन

†**१५८१. श्री प्र० के० देव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भागलपुर रेलवे स्टेशन के निर्माण में कितनी रकम खर्च की जा चुकी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां)** : लगभग ११ लाख रुपये ।

तेज माल गाड़ियां[1]

†**१५८२. श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितनी रेलों में तेज़ मालगाड़ियां चालू की गयी हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : सभी भारतीय रेलों में तेज़ माल-गाड़ियों चालू की गयी हैं ।

उत्तर रेलवे में सहकारी संस्थायें

†**१५८३. श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे में कर्मचारियों की कितनी सहकारी संस्थाएं काम कर रही हैं;

(ख) कितने कर्मचारी उन के सदस्य हैं, उन की कौन सी श्रेणियां हैं और क्या काम हैं; और

(ग) क्या वे पूर्णतः सफल हुई हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) उत्तर रेलवे में अभी फिलहाल ५ सहकारी ऋण संस्थायें और २३ सहकारी उपभोक्ता संस्थायें काम कर रही हैं।

(ख) ३१-३-१९६० को ५ सहकारी ऋण संस्थाओं के ४५,७३१ सदस्य थे और २३ सहकारी उपभोक्ता संस्थाओं के ४०२९ सदस्य थे । प्रत्येक संस्था जिस भी क्षेत्र में काम करती हैं उस क्षेत्र में काम करने वाले सभी रेलवे कर्मचारी इन संस्थाओं के सदस्य हो सकते हैं। कर्मचारियों की श्रेणी और उनके कार्य के अनुसार सदस्य संख्या का विस्तृत ब्यौरा उपलब्ध नहीं है ।

(ग) जी हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Quick Transit Service.

सुपारी का उत्पादन

†१५८४. **श्री कोडियान** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में अब तक सरकार ने सुपारी का उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की है ;

(ख) क्या इन कार्यवाहियों के फलस्वरूप उत्पादन में कोई वृद्धि हुई है ;

(ग) यदि हां, तो कितनी ; और

(घ) दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में अब तक केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में कितनी रकम खर्च की है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) (१) केरेल, मैसूर, असम, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा राज्यों में प्रादेशिक सुपारी अनुसन्धान केन्द्र तथा संलग्न नर्सरीज स्थापित की गयी हैं ।

(२) सुपारी पैदा करने वाले राज्यों की सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में केन्द्रीय-सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता से नर्सरीज स्थापित कर सुपारी का उत्पादन बढ़ाने की योजनायें चालू की हैं ।

(३) सुपारी पैदा करने वाले राज्यों में ग्राम केन्द्रों में नर्सरीज कायम की गयी हैं ।

(४) सुपारी पैदा करने वाले किसानों को खेती के अधिक अच्छे तरीकों और पौधे के रोग दूर करने के बारे में शिक्षा देने के लिये प्रचार किया गया है ।

(५) उर्वरक और सिंचाई की सुविधाओं के लिये ऋण मंजूर किये जा चुके हैं ।

(ख) और (ग). प्रारम्भिक अनुमान से वृद्धि दिखायी पड़ती है लेकिन परिणाम का अंदाज लगाया जा रहा है । यह पूरा हो जाने के बाद में सभा पटल पर एक विवरण रखूंगा ।

(घ) अब तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार ३०,३२,०३५ रुपये ।

अम्बाला और चंड़ीगढ़ के बीच का रेल किराया

†१५८५. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अम्बाला और चंड़ीगढ़ के बीच का किराया मैदानी प्रदेश में लिये जाने वाले किराये के बराबर नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या वह किराया मैदानी प्रदेश में लिये जाने वाले किराये के बराबर करने की कोई योजना है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां । अम्बाला-चंडीगढ़-कालका सेक्शन में सवारी किराया वास्तविक दूरी के डेढ़ गुने पर लिया जाता है ।

(ख) पहाड़ी सेक्शनों में अधिक पूंजी, संचालन तथा रखरखाव का खर्च ।

(ग) जी नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आसाम रेल लिंक

†१५८६. **श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या **रेलवे** मंत्री २३ फरवरी, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ३५४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम रेल लिंक को स्थायी बनाने की दिशा में अब तक क्या प्रगिति हुई है ; और

(ख) वह संभवत: कब तक पूरा हो जायेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) आसाम रेल लिंक मार्ग को मजबूत बनाने के लिये ५१ पुलों सहित सभी निर्माणकार्य महान-दा, नवेरा, घटिया, डिमडिमा और पुनीमरी नदियों पर पुलों के लिये धरनें (गर्डर्स) लगाने तथा माल स्थान पर पुन: रेखांकन को छोड़कर पूरे हो चुके हैं।

(ख) शेष सभी निर्माण-कार्य मई, १९६१ तक संभवत: पूरे हो जायेंगे ।

दामोदर घाटी निगम के कर्मचारियों के लिये क्षयरोग का अस्पताल

†१५८७. **श्री सुबिमन घोष** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम के कर्मचारियों के लिये क्षयरोग का एक अस्पताल खोलने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो वह किस जगह खोला जायेगा, उसमें कितने पलंग होंगे, उसे खोलने में कितनी लागत लगेगी और कितना आवर्तक खर्च किया जायेगा ; और

(ग) दामोदर घाटी निगम के कितने कर्मचारी क्षयरोग से पीड़ित हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी हां।

(ख) अस्पताल हजारीबाग जिले में कोनार नाम की जगह पर खोलने का विचार है और उसमें २० पलंग होंगे (१४ पुरुष रोगियों के लिये और ६ स्त्री रोगियों के लिये) अनुमान है कि उसकी प्रारम्भिक लागत ४,३३,००० रुपये होगी और ६८,००० रुपये का वार्षिक आवर्तक व्यय होगा ।

(ग) लगभग १०० व्यक्ति, जिनमें दामोदर घाटी निगम के आश्रित भी शामिल हैं।

परिवार नियोजन

†१५८८. **श्री वारियार** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का ध्यान केरल राज्य के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा ८ अक्तूबर, १९६० को दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि जिन सरकारी कर्मचारियों को परिवार नियोजन के कार्यों में सहयोग करने की मानसिक आपत्ति है वे परिवार नियोजन की योजनाओं से सम्बन्धित कार्यों में भाग नहीं लेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में सरकार की क्या राय है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) जी हां। परिवार नियोजन कार्यक्रम के बारे में केरल सरकार भारत सरकार के दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत है और यदि किसी विशिष्ट सरकारी कर्मचारी को कार्यक्रम में सहयोग देने में मानसिक आपत्ति हो तो सरकार किसी दूसरे कर्मचारी द्वारा परिवार नियोजन का काम कराने की व्यवस्था करेगी।

(ख) भारत सरकार प्रगति की ओर ध्यान देगी।

दिल्ली के कमला नगर में भूमि तल में पानी

१५८९. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कमला नगर और उसके आसपास के क्षेत्रों में भूमि तल में पानी का स्तर काफी ऊंचा हो गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि गत अक्तूबर में दिल्ली विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के तीसरे तहखाने में पानी तेजी से निकल आया था और इसका स्तर ६ से ८ इंच तक हो गया था ; और

(ग) यदि हां, तो इसे रोकने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) दिल्ली नगर निगम ने बतलाया है कि निश्चित रूप से यह कहना कि पानी का स्तर ऊंचा हो गया है सम्भव नहीं है किन्तु निरीक्षणों से पता चलता है कि इस क्षेत्र की कुछ इमारतों के तहखानों में पानी निकल आया है। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि भूमि तल में पानी का स्तर ऊंचा होने से ऐसा हुआ है। इन क्षेत्रों के भूमि तल में पानी के स्तर के बारे में नगर निगम में कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।

(ख) दिल्ली नगर निगम के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ग) इस विषय में नगर निगम जांच-पड़ताल कर रहा है।

इस्पात का माल उठाना

१५९०. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या रेलवे मंत्री १८ मार्च, १९६० के †अतारांकित प्रश्न संख्या १२४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बम्बई पत्तन पर इस्पात का माल उठाने के ठेके क्लीयरिंग एजट मेसर्स दादाभाई हरमसजी एंड कम्पनी को टेंडर आमंत्रित किये बिना क्यों दिये गये थे ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : स्थिति इस प्रकार है कि जब ३१-३-६० को क्लीयरिंग एजेंट, मेसर्स दादाभाई हरमसजी एण्ड कम्पनी के साथ मध्य रेलवे का ठेका समाप्त हुआ, तो उसके लिये टेण्डर मंगाये गये और १-४-६० से जिस दूसरे ठेकेदार को नया ठेका दिया गया, उसके टेण्डर की दर सब से कम थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

चीनी की कीमत

†१५९१. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री प्र० गं० देव :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी की कीमत में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि करने का विचार है और उसके क्या कारण हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० म० थामस)** : ऐसे मामलों में सरकार के इरादों का प्रकट करना जनहित में नहीं होता ।

पंजाब में लघु विद्युत् परियोजनायें

†१५९२. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने, पंजाब में बिजली की कमी की पूर्ति करने के लिए लघु विद्युत् परियोजनाओं के निर्माण के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या मदद मांगी गयी है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) उत्तर हां में है ।

(ख) लाहौल घाटी में छः सैट (पांच ५० किलोवाट के और एक २५ किलोवाट का) स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता मांगी गयी है ।

(ग) इस विषय में विचार किया जा रहा है ।

कृष्णा और गोदावरी सम्बन्धी परियोजनायें

†१५९३. **श्री रामी रेड्डी :**
श्री अगाड़ी :
श्री सुगन्धि :
श्री आचार :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर और महाराष्ट्र राज्यों की सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि नागार्जुनसागर परियोजना पर हो रहे कार्य को बन्द कर दिया जाये और आन्ध्र प्रदेश में श्री शैलम और पोचमपाद परियोजनाओं की मंजूरी न दी जाये ;

(ख) इन दोनों सरकारों ने अपने अनुरोध की पुष्टि के लिए क्या तर्क दिये हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया इस बारे में क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) महाराष्ट्र और मैसूर राज्यों की सरकारों ने भारत सरकार से यह अनुरोध किया है कि कृष्णा और गोदावरी नदियों के पानी का प्रयोग करने के बारे में चल रहे विवाद का फैसला होने तक नागार्जुनसागर परियोजना के बारे में कोई नया वचन न दे और इन नदियों की घाटी में किसी नयी परियोजना की मंजूरी न दे ।

(ख) इन राज्यों की सरकारों की मुख्य आपत्ति यह है कि कृष्णा और गोदावरी नदियों के पानी में से विभिन्न राज्यों को समान हिस्सा नहीं मिल रहा ।

(ग) इस मामले पर विचार किया जा रहा है ।

डाक और तार कर्मचारी

†**१५९४. श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य के डाक तथा तार विभाग के कुछ कर्मचारियों को न्यायालयों द्वारा अभी हाल ही में हुई हड़ताल के बारे में अपराधी ठहराये जाने पर नौकरी से निकाल दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इनमें से किसी व्यक्ति को अपीलीय न्यायालयों द्वारा बरी किया गया है ;

(ग) क्या इन बरी किये गये व्यक्तियों को पुनः नौकरी पर बहाल कर दिया गया है ;

(घ) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को ;

(ङ) बरी किये गये कितने व्यक्तियों को नौकरी पर वापस नहीं लिया गया ; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां ।

(घ) २० कर्मचारियों को ।

(ङ) १ कर्मचारी को, जिसे मुअत्तल किया गया है ।

(च) इस व्यक्ति के विरुद्ध शुरू की गयी अनुशासनात्मक कार्यवाही अभी पूरी नहीं हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दक्षिण क्षेत्र में पानी का बंटवारा

†१५९५. **श्री तंगामणि** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी क्षेत्र (जोन) के चारों राज्यों के बीच पानी का बंटवारा करने के लिए कोई आधार-सूत्र (फार्मूला) बनाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह फार्मूला क्या है ; और

(ग) कृष्णा और गोदावरी नदियों के फालतू पानी का हिस्सा मद्रास राज्य को देने के लिए क्या कदम उठाये जायेंगे ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जब सम्बन्धित राज्यों के बीच इन नदियों के पानी के बंटवारे के बारे में समझौता हो जायेगा, तब उनके फालतू पानी को मद्रास राज्य को देने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है ।

मद्रास पत्तन

†१५९६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में मद्रास पत्तन के लिये साज सामान के वास्ते विदेशी मुद्रा मांगी गयी है ;

(ख) क्या जितनी विदेशी मुद्रा की मांग की गयी थी, उसकी मंजूरी दे दी गयी है ; और

(ग) यदि हां, क्या साज सामान खरीदा जाना है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां ।

(ख) दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि के अन्तिम वर्ष के लिए ६७·३३ लाख रुपये की आवश्यकता का अनुमान था, और अब तक कुल ५१·३३ लाख रु० की मंजूरी दी गयी है । शेष १६ लाख रु० की मंजूरी मद्रास पत्तन न्यास द्वारा आवेदन प्राप्त होने पर दे दी जायेगी ।

(ग) सूची संलग्न है **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २४]**

ब्रह्मपुत्र पुल

†१५९७. **श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रह्मपुत्र पुल के निर्माण के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) ३१ अक्तूबर, १९६० तक कितनी रकम व्यय की गयी है ; और

(ग) इसमें विदेशी मुद्रा कितनी थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) आठ मुख्य खम्भों[1] और दो किनारे के खम्भों का निर्माण पूरा हो चुका है । शेष तीन मुख्य खम्भों, दोनों किनारों पर जाने वाले मार्गों, मार्शलिंग यार्ड, लोको-शैड और कर्मचारियों के क्वार्टरों के निर्माण का कार्य जारी है ।

(ख) ४·३८ करोड़ रु० ।

(ग) ३३·३८ लाख रु० ।

फल परिरक्षण

१५९८. **डा० रामसुभग सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय भाण्डागार निगम का फलों तथा सब्जियों के परिरक्षण के लिए एक गोदाम बनाने का विचार है ; और

(ख) निगम ने पहले ऐसे कितने गोदाम बनाये हैं ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और ख). केन्द्रीय भाण्डागार निगम फलों तथा सब्जियों के परिरक्षण के लिए एक गोदाम बनाने के प्रश्न पर विचार कर रहा है । अब तक ऐसा कोई गोदाम नहीं बनाया गया है ।

संयुक्त राज्य अमरीका को भारतीय पक्षियों का निर्यात

†१५९९. **श्री राधा रमण :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संयुक्त राज्य अमरीका की किसी परियोजना को मंजूरी दी है, जिसके अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमरीका को भारतीय पक्षियों का निर्यात किया जायेगा ;

(ख) क्या इस कार्य के लिए वहां से जीव-विज्ञान अनुसन्धानकर्त्ताओं का कोई दल भारत आया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना का ब्योरा क्या है और इसे किस प्रकार क्रियान्वित किया जायेगा ?

†**कृषि मंत्री (श्री पं० शा० देशमुख)** : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) इस परियोजना का प्रयोजन कुछ ऐसे पक्षियों के बारे में वैज्ञानिक अध्ययन करना है, जो दोनों देशों में पाये जाते हैं, ताकि कुछ ऐसे भारतीय पक्षियों का पता लगाया जा सके जो अपने आपको अमरीका की शिकारगाहों के अनुकूल ढाल सकें, जहां पर उन्हें परीक्षण के लिए छोड़ा जायेगा । यह परियोजना लगभग ३–४ वर्ष चलेगी ।

भारत सरकार समय समय पर इस बात का फैसला करेगी कि पक्षियों को पकड़ने, उन्हें पिंजरों में बन्द करने और उनके स्वभाव का अध्ययन करने के लिए यह दल अपना समय

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Piers

किन इलाकों में व्यतीत करेगा। इस दल को हिमालय-प्रदेशों में जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

बिहार में 'गलगण्ड'[1] रोग

†१६००. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बिहार राज्य को दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में 'गलगण्ड' नामक रोग का निवारण और उपचार करने के लिए, जो राज्य के चम्पारन और मुजफ्फरनगर जिलों के लोगों को सबसे अधिक होता है, कोई वित्तीय सहायता दी गयी है?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : बिहार को कोई कोई सीधी वित्तीय सहायता नहीं दी जाती किन्तु केन्द्रीय सरकार की 'गलगण्ड' नियंत्रण योजना के अन्तर्गत चम्पारन जिले में जुलाई, १९६० से एक सर्वेक्षण दल सर्वेक्षण कर रहा है और अब तक ५५ गांवों और ५३ स्कूलों में ४३,९७९ लोगों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। इस जिले में सर्वेक्षण समाप्त होने पर, यह दल बिहार के अन्य जिलों में, जहां पर गोइत्र रोग फैला करता है, सर्वेक्षण कार्य करेगा। सर्वेक्षण समाप्त होने पर इस रोग से प्रभावित इलाकों के वासियों को 'आयोडाइज्ड साल्ट' सप्लाई किया जायेगा?

मलेरिया और फाइलेरिया कार्यक्रम

†१६०१. **डा० सामन्त सिंहार** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलेरिया और फाइलेरिया निवारण कार्यक्रमों का, इन दोनों रोगों का सफलतापूर्वक नियंत्रण करने के लिए, मलेरिया निवारण कार्यक्रम के अन्तिम दौर में एक एकीकृत कार्यक्रम के अन्तर्गत एकीकरण करने का विचार है; और

(ख) क्या मलेरिया और फाइलेरिया रोग पैदा करने वाले मच्छरों की आदतों में अभी हाल ही कुछ तब्दीलियां होने का पता चला है?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है।

(ख) मलेरिया और फाइलेरिया के कीड़ों की आदतों में किसी किस्म की तब्दीली होने का पता नहीं चला। किन्तु कुछ अध्ययनों से पता चला है कि रोगाणु-नाशक औषधियों से उन पर पड़ने वाले प्रभाव कुछ में परिवर्तन हुआ है।

इम्फाल नगरपालिका

†१६०२. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इम्फाल नगरपालिका के हिसाब किताब का लेखा-परीक्षण पिछले पांच वर्षों से नहीं हुआ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां।

(ख) मणीपुर प्रशासन में स्थानीय निकायों के हिसाब किताब का लेखा-परीक्षण करने का कोई विभाग नहीं है, इसलिए उन्होंने आसाम के अकाउन्टेन्ट जनरल से १९५८ में यह

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Goitre

अनुरोध किया कि वे नगरपालिका के हिसाब किताब का लेखा-परीक्षण शुल्क लेकर, यदि शुल्क लेना आवश्यक हो तो कर दें। आसाम के अकाउन्टेन्ट जनरल ने जो ब्योरा मांगा था, मनीपुर प्रशासन द्वारा वह उन्हें भेज दिया गया था किन्तु प्रशासन द्वारा बार बार याद दिलाने के बावजूद अकाउन्टेन्ट जनरल द्वारा नगरपालिका के हिसाब किताब के लेखा-परीक्षण का कार्य अभी तक हाथ में नहीं लिया गया।

रामपुर में टेलीफोन कनेक्शन

†१६०३. **श्री सै० अ० मेहदी :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रामपुर में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए १ सितम्बर, १९५९ से ३० नवम्बर, १९६० तक कितने आवेदनपत्र अनिर्गीत पड़े रहे; और

(ख) अभी तक कितने कनेक्शन दिये जा चुके हैं?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० पं० सुब्बरायन) :** (क) १ सितम्बर, १९५९ से ३० नवम्बर, १९६० तक की अवधि में प्राप्त आवेदनपत्रों में से २० आवेदनपत्र अभी प्रतीक्षा-सूची पर हैं।

(ख) उपरोक्त अवधि में १० नये कनेक्शन दिये गये।

कटक के लिये कोबाल्ट एकक

†१६०४. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कनाडा द्वारा कोलम्बो योजना के अन्तर्गत भारत को दिये गये कोबाल्ट के ६० एककों में एक एकक एस०सी०वी० मेडिकल कालेज अस्पताल, कटक के लिये निर्धारित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा को यह प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था और इस एकक को इस अस्पताल को कब तक उपलब्ध किये जाने की सम्भावना है?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) जी हां।

(ख) उड़ीसा सरकार के अनुरोध को १९५९–६० के लिए पूंजी सहायता कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है और अनुमान है कि यह एकक १९६१–६२ में सप्लाई कर दिया जायेगा।

विद्युदणु तोलन-यंत्र[1]

†१६०५. **श्री कालिका सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन की फेयरबैंक्स मोर्स एण्ड कम्पनी द्वारा निर्मित, १०,००० पौंड मूल्य के विद्युदणु यंत्र का, जिससे रेलवे के माल डिब्बे का, जब कि वह अभी गतिशील हो, सही सही भार तोला जा सकता है, भारत में निर्यात तथा स्थापना की जा रही है;

(ख) क्या भारतीय निर्माता भी इस प्रकार के यंत्रों का निर्माण करते हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Electronic Weighing Machine.

(ग) यदि नहीं, तो क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में भारत में ऐसे यंत्रों के निर्माण की कोई योजना है ;

(घ) क्या भार तोलने में देर होने से कई महत्वपूर्ण केन्द्रों पर बहुतसा माल इकट्ठा हो जाता है ; और

(ङ) यदि हां, तो किन स्टेशनों पर ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां):** (क) से (ग). रेलवे को इस विषय में कोई जानकारी नहीं है।

(घ) और (ङ). विभिन्न रेलों से जानकारी मांगी गयी है और उसे यथासमय सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

बम्बई पत्तन न्यास

†**१६०६. श्री आसर :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त—अक्तूबर, १९६० के दौरान बम्बई पत्तन न्यास में कितनी चोरियां हुईं ; और

(ख) इन चोरियों के बारे में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और कितने माल की चोरी हुई ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) और (ख) —

महीना	चोरियों की संख्या	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त रकम
			रु०
अगस्त . . .	७०	५४	१,३१,८८८
सितम्बर	४६	२९	२१,८१०
अक्तूबर . . .	११०	४७	४४,९२१

रेलवे की अनाज की दुकानों के कर्मचारी

†**१६०७. श्री यादव नारायण जाधव :** क्या **रेलवे** मंत्री ८ सितम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २४०९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न भारतीय रेलों पर १९४२ से १९४८ तक की अवधि में अनाज की दुकानों पर नियुक्त किये गये कर्मचारियों की वरिष्ठता के बारे में मंत्रालय द्वारा दिये गये आश्वासन की पूर्ति के बारे में क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ख) क्या यह सच है कि कर्मचारियों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनकी वरिष्ठता निर्धारित नहीं की गयी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी):** (क) और (ख). मामला अभी विचाराधीन है।

†मूल अंग्रेजी में

दक्षिणपूर्व रेलवे का लोको रनिंग स्टाफ

†१६०८. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणपूर्व रेलवे के लोको रनिंग स्टाफ (इंजन चलाने वाले कर्मचारियों) के बारे में १९५० की संयुक्त सलाहकार समिति की सिफारिशों को लागू कर दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो रिटायर होने वाले व्यक्तियों सहित कर्मचारियों को अदा की जाने वाली बकाया रकमों का भुगतान करने के बारे में क्या व्यवस्था की गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी)**: (क) संयुक्त सलाहकार समिति की सिफारिशों को ड्राइवरों के मामलों में पूरी तरह से और 'शन्टर' तथा फायरमैन के मामलों में आंशिक रूप से लागू कर दिया गया है।

(ख) उन कर्मचारियों को, जिन्हें बकाया राशि मिलनी है, बकाया राशि दिये जाने का कार्य जारी है।

चीनी

†१६०९. **श्री अगाड़ी :**
श्री वोडयार :
श्री नेत्तवी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में स्थित निम्नलिखित चीनी कारखानों में १९५७–५८ से १९५९–६० तक के मौसमों में गन्नों से कितनी औस्त चीनी प्राप्त होती रही ;

(एक) इंडिया शूगर एण्ड रिफाइनरीज़ लिमिटेड, हास्पेट ;

(दो) काम्पली कोआपरेटिव शूगर फैक्टरी, काम्पली ; और

(तीन) सालारजंग शूगर मिल्ज़ लिमिटेड, मुनीराबाद ;

(ख) उपरोक्त (एक) और (तीन) कारखानों में, जिनका प्रबन्ध जायंट स्टाक कम्पनियों द्वारा होता है, चीनी की कम प्राप्ति होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार को इस बात का पता है कि इन कारखानों के लिए इस क्षेत्र में एक ही किस्म का गन्ना बोया जाता है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क)

कारखाने	प्रतिशत गन्ने से चीनी की वसूली		
	१९५७–५८	१९५८–५९	१९५९–६०
(एक) हास्पेट	९.७१	९ ५१	१०.४२
(दो) काम्पली	६.२०	११ १९	११.०६
(तीन) मुनीराबाद	९.३८	९.७७	१०.१८

†मूल अंग्रेजी में

उपरोक्त (एक) और (तीन) कारखाने जायंट स्टाक कम्पनियां हैं और (दो) एक सहकारी कारखाना है।

चीनी की प्राप्ति मुख्यतः इस बात पर निर्भर करती है कि गन्ने में कितनी चीनी है। कारखाने की कार्यकुशलता से भी इसका सम्बन्ध होता है। गन्ने की किस्म के एक ही होने के बावजूद प्रत्येक क्षेत्र में गन्ने में चीनी की मात्रा भिन्न भिन्न होती है और इसके परिणामस्वरूप उसकी प्राप्ति में भी अन्तर आ जाता है। बल्कि कई बार तो एक ही क्षेत्र में एक मौसम की मात्रा दूसरे मौसम से भिन्न होती है।

(ग) जी हां।

मैसूर राज्य में चीनी का कारखाना

†१६१०. **श्री अगाड़ी :**
श्री वोडयार :
श्री नेसवी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य के रायचूर जिले में गंगावती नामक स्थान पर एक सहकारी चीनी कारखाना स्थापित करने के लिए लाइसेंस देने के वास्ते १९५७–५८ में केन्द्रीय मंत्रालय को, मैसूर राज्य की सिफारिश के साथ, एक आवेदनपत्र मिला था ;

(ख) क्या लाइसेंस दे दिया गया था ;

(ग) यदि नहीं, तो इस आवेदनपत्र के बारे में कितनी देर तक फैसला नहीं किया गया था ;

(घ) क्या यह सच है कि बाद में एक जायंट स्टाक कम्पनी को इसी क्षेत्र के लिए लाइसेन्स प्रदान किया गया था ; और

(ङ) यदि हां, इसके लिये आवेदन पत्र किस तिथि को प्राप्त हुआ था और किस तिथि को लाइसेंस दिया गया था ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) से (ग). जी हां। आवेदनपत्र फरवरी, १९५७ में प्राप्त हुआ था। इसे जून, १९५७ में रद्द किया गया था; क्योंकि लाइसेंस देने के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी।

(घ) और (ङ). उसी इलाके में कारखाना स्थापित करने के लिए एक जायंट स्टाक कम्पनी से २९ दिसम्बर, १९५८ को एक आवेदनपत्र प्राप्त हुआ था। इस कम्पनी को लाइसेंस देने का फैसला २३ जुन, १९६० को मैसूर राज्य सरकार की सिफारिश पर किया गया था। मैसूर सरकार ने यह सूचित किया था कि सहकारी समिति ने अपना विघटन भरने का और इकट्ठी की गयी हिस्सा-पूंजी को वापस करने का संकल्प किया है क्योंकि उस क्षेत्र में कारखाना स्थापित करने की कोई संभावना नहीं थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

मूंगफली की फसल को क्षति

†१६११. **श्री तंगामणि :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष लाल कीड़ों से मूंगफली की फसल को अत्यधिक क्षति हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों पर असर पड़ा तथा कितनी क्षति हुई ; और

(ग) कीड़े मारने तथा इस प्रकार की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा):** (क) और (ख). हाल ही में मद्रास राज्य के मदुरई जिले के उसीलमपट्टी क्षेत्र में मूंगफली की फसल पर लाल कीड़ों ने बड़े पैमाने पर आक्रमण किया था। इसी मौसम में इसी जिले के डिंडीगल क्षेत्र में तथा थानजावर और रामनाथपुरम् जिलों के कुछ भागों में लाल कीड़ों ने आक्रमण किया था। उसीलम पट्टी को छोड़कर, जहां २३,००० एकड़ भूमि पर असर पड़ा था और लगभग ११.५० लाख रुपये की फसल की क्षति हुई, अन्य सारे क्षेत्रों में इसका प्रकोप कम था।

(ग) मद्रास सरकार ने ५०% क्रय मूल्य पर ३१,०००.५० रुपये की कीड़े नाशक वस्तुयें वितरित कीं और पीड़ित क्षेत्रों में छिड़कने वाली दवाइयां पहुंचाईं। तिरुचिरापल्ली में स्थित भारत सरकार के केन्द्रीय पौधा संरक्षण केन्द्र से सामान तथा प्रविधिक सहायता भी दी गई। इन सब नियंत्रण संबंधी उपायों से कीड़ों का प्रकोप बहुत कम हो गया।

लाल बाल वाले कीड़ों पर कीड़े नाशक दवाइयों द्वारा सफलतापूर्वक नियंत्रण पाया जा सकता है यदि उनके लग जाने के बारे में जल्दी ही पता लग जाये। यह सुनिश्चित करने के लिये कि यह उपाय समय पर काम में लाये जायें आन्ध्र प्रदेश और मद्रास के कृषि विभाग कीड़े लगने तथा बीमारी फैलने के बारे में और साथ ही लाल कीड़ों के बारे में भविष्यवाणियां निकालते हैं। मद्रास सरकार मदुरई जिले में एक पौधा संरक्षण एकक भी स्थापित करने के बारे में विचार कर रही है ताकि भविष्य में तत्काल कीड़ा नियंत्रक उपाय अपनाये जा सकें।

मनमद के निकट रेलगाड़ी का पटरी से उतरना

†१६१२. { **श्री तंगामणि :**
श्री सुबिमल घोष :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २० नवम्बर, १९६० को बम्बई जाने वाली कलकत्ता डाक गाड़ी के कुछ डिब्बे मनमद के निकट पटरी से उतर गये थे ;

(ख) यदि हां, तो रेलवे सम्पत्ति की कितनी क्षति हुई तथा यदि यात्रियों के चोटें पहुंची हों, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) दुर्घटना का कारण क्या था ; और

(घ) क्या जांच पड़ताल की गई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां। मध्य रेलवे के भुसावल-इगतपुरी सेक्शन पर पिम्परेखंड स्टेशन पर।

(ख) लगभग तीन हजार रुपये, कोई भी घायल नहीं हुआ।

(ग) और (घ). एक वरिष्ठ पदाधिकारी की जांच समिति द्वारा दुर्घटना के कारण की जांच की जा रही है।

हमदर्द दवाखाना, दिल्ली

†१६१३. डा० गंगाधर शिव :
श्री कोडियान :
श्री अब्दुल लतीफ :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली का हमदर्द दवाखाना दिल्ली से १३ मील दूर तुगलकाबाद में चिकित्सा-विज्ञान के इतिहास की एक संस्था स्थापित कर रहा है ;

(ख) क्या सरकार ने उक्त संस्था के लिये हमदर्द वक्फ को कोई सुविधायें दी हैं ; और

(ग) भारत में इस समय कितने आयुर्वेदिक तथा यूनानी अनुसन्धान तथा निर्माता संस्थायें हैं ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली के वर्तमान स्तर का अनुमान लगाने तथा आंकने के लिये समिति की १९५९ में प्रकाशित की गई रिपोर्ट के अनुसार आयुर्वेदि अनुसन्धान एककों तथा फार्मेसियों की संख्या क्रमशः २८ और ४१ थी। यूनानी प्रणाली के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

बारसोई स्टेशन

†१६१४. श्री भोलानाथ विश्वास :
श्री फ० गो० सेन :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बारसोई जंक्शन का प्रथम श्रेणी का प्रतीक्षालय ठीक कर दिया गया है तथा द्वितीय श्रेणी का प्रतीक्षालय उस से अलग कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो उसे एक जंक्शन स्टेशन के उपयुक्त बनाने के हेतु उस में सुधार लाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) इस में कितना समय लग जायेगा ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) बारसोई में उच्च श्रेणी का प्रतीक्षालय ठीक कर दिया गया है। द्वितीय श्रेणी का प्रतीक्षालय अलग नहीं किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). इस समय द्वितीय श्रेणी का पृथक प्रतीक्षालय बनाना ठीक नहीं है। तथापि, सिलीगुरी से मुकुरिया तक बारसोई के निकट चौड़ी पटरी को रेलवे लाइन बन जाने पर स्थिति का पुनर्विलोकन किया जायेगा।

कटिहार जंक्शन

†१६१५. श्री भोलानाथ विश्वास :
श्री फ० गो० सेन :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटिहार जंक्शन के लिये कोई वृहद् योजना तयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो यह कब कार्यान्वित की जायेगी; और

(ग) काम पूरे होने में कितना समय लगेगा।

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) काम के लिये जितना अनुमान आया है उस के लिये मंजूरी दे दी गई है।

(ग) टेन्डर स्वीकार होने तथा सामान मिलने के एक वर्ष के भीतर काम के पूरे होने की आशा है। टेन्डर १६-१२-१९६० को खोले जायेंगे।

आंध्र प्रदेश में मेडिकल स्टोर डिपो

†१६१६. श्री एन्थनी पिल्ले : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार आन्ध्र प्रदेश में एक मेडिकल स्टोर डिपो खोलना चाहती है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां, हैदराबाद में।

(ख) यह डिपो आन्ध्र प्रदेश में सरकार तथा स्थानीय सरकार के लगभग दो हजार औषधालयों तथा अस्पतालों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये स्थापित किया जा रहा है।

दवाइयां मंगाने वालों से यदि दी गई चीजों की कीमत वसूल होती रही तो लगभग २० लाख रुपये का वार्षिक पूंजी व्यय होगा।

बम्बई/मद्रास/कलकत्ता/करनाल के अन्य मेडिकल स्टोर डिपो के समान यह डिपो एक विभागीय उपक्रम के रूप में वाणिज्यिक आधार पर चलेगा किन्तु इसका सिद्धान्त 'न लाभ, न हानि' का होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

संसद्-सदस्यों के क्वार्टरों में डी० डी० टी० छिड़कना

†१६१७. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगरपालिका समिति के संसद्-सदस्यों के निवास स्थानों तथा उनसे सम्बद्ध नौकरों के क्वार्टरों में मुफ्त डी० डी० टी० छिड़कने से इंकार कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां ।

(ख) (१) नई दिल्ली नगरपालिका समिति मकान के आंके गये मासिक किराये के अनुसार अधिक से अधिक ६ रुपये और कम से कम १ रुपये पर कहे जाने पर मकानों में डी० डी० टी० छिड़कवाती है ।

(२) नई दिल्ली नगरपालिका समिति इस मामले में विभिन्न वर्गों के नागरिकों के बीच विभेद करना उचित नहीं समझती ।

(३) नई दिल्ली नगरपालिका समिति के क्षेत्र में सभी मकानों में डी० डी० टी० छिड़कने का लागत अत्यधिक होगी ।

अन्तर्राज्यीय मार्गों पर चलने वाली मोटर गाड़ियों पर एक स्थान पर कर लगाना

†१६१८. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अस्थायी अथवा स्थायी परमिटों पर चलने वाली सभी प्रकार की मोटरगाड़ियों पर एक स्थान पर कर लगाने के सिद्धान्त को बढ़ाने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : अन्तर्राज्यीय मार्गों पर चलने वाली मोटरगाड़ियों पर एक स्थान पर कर लगाने का सिद्धान्त सब राज्यों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है यद्यपि मद्रास सरकार का यह ख्याल है कि अन्तर्राज्यीय मार्गों पर गाड़ियां चलाना राज्याभ्यन्तर मार्गों पर गाड़ियां चलाने से अधिक लाभप्रद है, अतः अन्तर्राज्यीय मार्गों पर चलने वाली गाड़ियों से कुछ ऊंची दर से कर लिया जाये। तथापि यह सिद्धान्त कुछ राज्यों में अस्थायी परमिटों पर चलने वाली गाड़ियों के सम्बन्ध में लागू नहीं किया गया है। सभी के द्वारा स्वीकृत एक रूप नीति बनाने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

दक्षिणावर्त विमान सेवा[1]

†१६१९. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास, विजयवाड़ा, विशाखापटनम और हैदराबाद के लिये एक दक्षिणावर्त विमान सेवा का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री अहमद मुहीउद्दीन)** : (क) नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Clockwise Air Service

फोनोग्राम

†१६२०. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में किन-किन स्थानों पर, फोनोग्राम की सुविधा उपलब्ध है; और

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक किन-किन स्थानों पर इस प्रकार की सेवा की व्यवस्था की जायेगी ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) : (क) जिन कार्यालयों में फोनोग्राम की सुविधा उपलब्ध है, उनकी सूची डाक तथा तार निर्देशिकाओं में दी हुई है । तार निर्देशिका के १९६० के संस्करण के खण्ड २ में दिसम्बर, १९५९ तक की स्थिति बताई गई है। कार्यालयों की संख्या लगभग ४०० है ।

(ख) जिन स्थानों में टेलीफोन लगे हुए हैं, उन सभी स्थानों में फोनोग्राम सेवा चालू करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

स्थगन प्रस्ताव

कांगो में भारतीय सैनिक दल

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे कांगो में भारतीय सैनिक दल के सामने उत्पन्न संकटकालीन स्थिति के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री इन्द्रजीत गुप्त से मिली है । इस में कहा गया है कि यह स्थिति लंका, यूगोस्लाविया, संयुक्त अरब गणराज्य तथा घाना की सरकारों द्वारा अपनी सनिक टुकड़ियां वापस बुला लेने के निश्चय के परिणामस्वरूप हुई है, वह यह जानना चाहते हैं कि हमारी सैनिक टुकड़ी के बारे में क्या हुआ ?

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (कलकत्ता-दक्षिण-पश्चिम) : मैं एक बात कहना चाहता हूं । पिछले एक दो दिनों में समाचार पत्रों में जो समाचार प्रकाशित हुए हैं उनसे प्रकट होता है कि हमारी सनिक टुकड़ी के सामने एक नया संकट आ गया है । क्योंकि इन दो दिनों में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो कि पहले नहीं हुई थी । कुछ देशों ने अपने सैनिक दल कांगों से वापस बुला लिये हैं । पी० टी० आई० के संवाददाता को कांगो से बाहर जाने का आदेश दे दिया गया है। कांगों के उच्चतम पदाधिकारियों का रवैया भी ठीक नहीं है । उनका वर्ताव भी खराब है । वहां बड़ी गम्भीर स्थिति है । मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारी सरकार इस विषय में क्या करना सोच रही है ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरु)** : इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि कांगो में जो स्थिति पैदा हो गई है वह बड़ी गम्भीर तथा खतरनाक है । मैं समझता हूं कि इसके बारे में एक अल्प सूचना प्रश्न भी है, अतः मैं सोमवार को एक वक्तव्य इसके बारे में दूंगा । मैं समझता हूं कि कभी कभी और थोड़ी थोड़ी जानकारी देने की अपेक्षा एक विस्तृत वक्तव्य देना अधिक अच्छा होगा ।

इसमें कोई शक की बात नहीं है कि वहां वह सब कुछ हुआ है जिसका उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है और वहां की स्थिति बड़ी विचित्र है । हर एक के लिये और विशेष रूप से कांगो के लिये

---

†मूल अंग्रेजी में

यह बड़ी असाधारण स्थिति है। इस समय सुरक्षा परिषद् द्वारा इस मामले पर चर्चा की जा रही है और बहुत कुछ इस बात पर निर्भर होगा कि स्थिति का सामना करने के लिये वह क्या निश्चय करती है। शायद, अगले कुछ दिनों के दौरान में इस मामले में हमें कुछ और जानकारी प्राप्त हो जायेगी। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि लड़ाई में भाग लेने वाले हमारे सैनिक वहां नहीं हैं, कुछ ऐसे सैनिक हैं जो संभरण का काम कर देते हैं, कुछ हवाई सैनिक हैं जो परिवहन के काम में लगे हुए हैं—परिवहन के साधन हमारे नहीं हैं। कुछ वायुयान चालक हैं—और अधिकतर आदमी अस्पतालों के काम कर रहे हैं कड़ा मसला तो यह है कि क्या राष्ट्र संघ को इस काम को करते रहना है अथवा नहीं। यदि राष्ट्र संघ इस काम से अपने आप को अलग कर लेता है तो एक ओर वहां पूर्ण अराजकता फैल जायेगी तथा निकृष्टतम गृहयुद्ध हो जायेगा और यह भी संभव है कि बाहरी शक्तियां भी उन में हस्तक्षेप करें। दूसरी ओर यदि राष्ट्र संघ प्रभावी ढंग से काम नहीं कर सका, तो उस के लिये कोई भी काम कर पाना कठिन हो जायेगा। बस यही एक विकट समस्या है अगर आप मुझे अनुमति दें तो इस बारे में एक वक्तव्य अगले सोमवार को दूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : अच्छी बात है। इस बात को देखते हुए कि प्रधान मंत्री सोमवार को, इस बारे में तथा अल्प सूचना प्रश्न के बारे में एक वक्तव्य देंगे, मैं इस स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं देता।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

आश्वासनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : मैं दूसरी लोक सभा के विभिन्न सत्रों में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाले निम्नलिखित विवरण की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) अनुपूरक विवरण संख्या ३ ग्यारहवां सत्र, १९६०

(दो) अनुपूरक विवरण संख्या ८ दसवां सत्र, १९६०

(तीन) अनुपूरक विवरण संख्या ११ नवां सत्र, १९५९

(चार) अनुपूरक विवरण संख्या १३ आठवां सत्र, १९५९

(पांच) अनुपूरक विवरण संख्या २० सातवां सत्र, १९५९

(छैः) अनुपूरक विवरण संख्या २२ पांचवां सत्र, १९५८

[देखिये परिशिष्ट ३; अनुबन्ध संख्या क्रमशः २५ से ३०]

अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग नियम

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : मैं मोटर गाड़ी अधिनियम १९३९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ३० जनवरी, १९६० की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २८६ में प्रकाशित अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग नियम, १९६० की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई; देखिय संख्या एल० टी० २५१६ ६०]

---

†मूल अंग्रेजी में

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचनायें

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस): मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की धारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेशों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिनांक २६ नवम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४०९ में प्रकाशित चावल (पंजाब) दूसरा मूल्य नियंत्रण (दूसरा संशोधन) आदेश, १९६० ।

(दो) दिनांक २६ नवम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४१० में प्रकाशित चावल (पूर्वी खण्ड) लाने ले जाने पर नियंत्रण (तीसरा संशोधन) आदेश, १९६० ।

[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये क्रमशः संख्या एल० टी० २५१७/६० तथा २५१८/६०]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

भारत-पाकिस्तान व्यापार वार्ता

†श्री महन्ती (ढेंकनाल) : नियम १९७ के अधीन मैं वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वे इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"करांची में हाल में हुई भारत पाकिस्तान व्यापार वार्ता"

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र): मैं एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं ।

वक्तव्य

२१ मार्च, १९६० को भारत तथा पाकिस्तान के बीच जिस व्यापार करार पर हस्ताक्षर हुये थे उस के प्रारूप संख्या १ के अनुसार दोनों देश अपने अपने यहां से ४१० लाख रुपये तक की विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान करेंगे, यह व्यापार अपरिवर्तनीय भारतीय रुपयों में होगा। पाकिस्तान कपास, जूट के टुकड़े, ताजे फल और पौदे, पशु, पान, तथा अन्य विविध वस्तुयें भेजेगा और भारत लोहा और इस्पात, पशु पान, बीड़ी बनाने की पत्ती, सीमेंट, पत्थर, ताजे फल और पौदे, तथा अन्य विविध सामान जिस में इंजीनियरी सामान भी होगा, भेजेगा ।

प्रारूप संख्या ५ की कंडिका २ के अनुसार दोनों सरकारें इस करार के लागू होने के ६ महीने बाद रुपये के भुगतान सम्बन्धी प्रबन्ध की स्थिति का निरीक्षण किया करेंगी । यह निरीक्षण सितम्बर, १९६० के अन्त में होना चाहिये था और इस उद्देश्य से पाकिस्तान सरकार ने भारत के एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल को आमंत्रित किया । इस आमंत्रण को स्वीकार किया गया और फलस्वरूप वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री डी शांडिल्य के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल २३ नवम्बर, १९६० को करांची गया ।

२४ से २६ नवम्बर तक पाकिस्तान के प्रतिनिधियों से इस बारे में विचार विमर्श हुआ । बातचीत के दौरान में इस बात का पता चला कि २९ अक्तूबर १९६० तक भारत ने सीमित भुगतान प्रबन्ध के अधीन कुल १.१० करोड़ रुपये का निर्यात किया और पाकिस्तान से १.५८ करोड़ रुपये

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सतीश चन्द्र]

का आयात हुआ इस प्रकार पाकिस्तान ने ४८ करोड़ रुपये का अधिक माल भेजा । अतः दोनों देशों के प्रातनिधियों के बीच यह निश्चित हुआ है कि करार के पहले वर्ष की समाप्ति तक अर्थात् २१ मार्च, १९६१ तक इस करार को पूर्णतः लागू करने के लिये दोनों सरकारों की ओर से पूरे पूरे प्रयत्न किये जाने चाहियें । पाकिस्तान सरकार को यह बताया गया कि कच्चे लोहे तथा इस्पात की वह मात्रा, जिसे देने के लिये सहमति दी गई है, मार्च, १९६१ के अन्त तक पूरी कर दी जायेगी । पाकिस्तान सरकार की ओर से उन के प्रतिनिधिमण्डल ने यह आश्वासन दिया कि दोनों पक्षों द्वारा स्वीकृत उपरिसीमा तक आयात अनुज्ञप्तियां जारी करने का काम शीघ्र ही पूरा कर दिया जायेगा ।

दोनों देशों के प्रतिनिधि उन मदों की सूची बढ़ाने के लिये तैयार हो गये जिनका आदान प्रदान दोनों देशों के बीच भारतीय रुपये के आधार पर किया जा सकता है । निम्नलिखित वस्तुओं के बारे में समझौता हो गया :—

पाकिस्तान से

१. नाइलोन गट तथा मोनोफिलामेंट; और

२. फ्लोरस्पार

भारत से

१. वैज्ञानिक यंत्र

२. हौजरी की मशीनों की सुइयां

३. मछली फंसाने के कांटे

४. आग बुझाने वाले यंत्र

५. ट्रांसमीशन लाइन टावर

६. अल्यूमीनियम कन्डक्टर्स, स्टील रेन्फोर्स्ड (ए० सी० एस० आर०)

इस उद्देश्य से कि नेशनल बैंक पाकिस्तान द्वारा भारत के स्टेट बैंक के साथ रखे गये रुपये के हिसाब किताब की सीमा दोनों देशों के बीच के व्यापार पर कुप्रभावी न हो, अतः इस नये करार के अधीन यह सीमा स्थगित रहेगी । यह प्रबन्ध स्वीकृत सीमा के अन्दर रुपये के भुगतान सम्बन्धी करार के लागू करने में काफी सुविधा पहुंचायेगा ।

दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने व्यापार करार के प्रारूप संख्या २ की मदों पर भी विचार किया । इस के अन्तर्गत भारत कोयला, लकड़ी, और पत्थर पाकिस्तान को देगा और जूट के टुकड़ों का पाकिस्तान से आयात करेगा ।

कोयले के संभरण की कमी संबंधी कठिनाइयों के बारे में पाकिस्तान को परिचित कराया गया और उसे इस बात का आश्वासन दिया गया कि करार की शेषावधि में सहमति प्राप्त कार्यक्रम के अनुसार कोयले का संभरण किया जायेगा । लकड़ी के रेलवे स्लीपरों सम्बन्धी पाकिस्तान की मांग के बारे में भी स्पष्टीकरण किया गया ।

दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल इस बात पर भी सहमत हुए कि आगामी परीक्षण फरवरी १९६१ में किया जा सकता है, और दोनों देशों के बीच रुपये भुगतान प्रबन्ध के अधीन अधिक से अधिक वस्तुओं का व्यापार किया जाये ।

———

सभा का कार्य

†**संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं सोमवार १२ दिसम्बर, १९६० को आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिये जाने वाले सरकारी कार्य की घोषणा करता हूं, जो इस प्रकार होगा :—

१. आज की कार्यसूची से बचे हुए किसी सरकारी कार्य पर विचार ।

२. प्रसूति लाभ विधेयक १९६० को संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर विचार।

३. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार तथा उन्हें पारित किया जाना :—

(क) मोटर परिवहन कर्मचारी विधेयक, १९६०, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ;

(ख) अधिमान प्राप्त अंश (लाभांशों का विनियमन) विधेयक, १९६०, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ;

(ग) बाल विधेयक, १९६०, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में ;

(घ) ब्रिटिश संविधि (भारत पर लागू होना) निरसन विधेयक १९६०, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में ;

(ङ) निरसन तथा संशोधन विधेयक, १९६०, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में ।

४. मंगलवार १३ दिसम्बर को ३ बजे श्री हरिश्चन्द्र माथुर तथा अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले दो प्रस्तावों पर सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों के बारे में चर्चा ।

५. गुरुवार १५ दिसम्बर को ३ बजे श्री तंगामणि द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्ताव पर निवेली लिगनाइट कार्पोरेशन के वर्ष १९५८-५९ के वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार ।

†**श्री महन्ती** (ढेंकानाल) : अल्पसंख्यक भाषायी आयोग के द्वितीय प्रतिवेदन पर हम चर्चा करना चाहते हैं वह सभा में कब रखा जायेगा ।

†**श्री सत्यनारायण सिंह** : हम ने वचन दिया है कि हम इस सत्र में उस पर चर्चा करेंगे । माननीय सदस्य थोड़ा धैर्य से काम लें यह सत्र इसी सप्ताह तो समाप्त नहीं हो रहा है ।

विनियोग (संख्या ५) विधेयक

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (डा० ब० गोपालन रेड्डी)** : मैं, श्री मोरारजी देसाई की ओर से, प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष १९६०-६१ में व्यय के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९६०-६१ में व्यय के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ और ३, अनुसूची, खण्ड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २ और ३, अनुसूची, खण्ड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

वायदे के सौदे (विनियमन) संशोधन विधेयक—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा वायदे के सौदे (विनियमन) अधिनियम, १९५२ में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेगी ।

कल श्री हेडा बोल रहे थे । वह अपना भाषण जारी रखें ।

†**श्री हेडा** (निजामाबाद) : कल मैं खण्ड ६ के बारे में कह रहा था कि आयोग यदि अधिक शक्तियां ग्रहण करना चाहता है, तो करे । मुझे कोई आपत्ति नहीं । लेकिन, क्या वे शक्तियां इतनी पर्याप्त हैं कि सभी कठिनाइयों पर पार पाया जा सके ? आयोग ने देखा है कि कुछ व्यापारी अधिनियम की व्यवस्थाओं का उल्लंघन करते हैं । कुछ गैर-मान्यता प्राप्त संस्थायें अधिनियम के क्षेत्र में आने वाली वस्तुओं का क्रय-विक्रय रक्षण के तौर पर करती हैं । कुछ संस्थायें निषिद्ध वस्तुओं का व्यापार करती हैं । निर्धारित समय के बाद भी सट्टा चलता है आयोग को यह सब रोकने में कोई सफलता नहीं मिली है ।

इन नयी शक्तियों को ग्रहण करने के बाद भी, आयोग निर्धारित घंटों के बाद होने वाले सट्टे को नहीं रोक पायेगा । उनका तो पता भी चलना कठिन होता है । ऐसा व्यापार करने वाले सटोरिये अपने सौदों को दूसरे दिन निर्धारित घंटों में विनियमित बना लेते हैं ।

अवैधानिक ढंग से ऐसा व्यापार करने वालों के खिलाफ़ कोई भी कार्यवाही करना इसलिये कठिन होता है कि मान्यता प्राप्त संस्थाओं के जरिये ही उनके खिलाफ़ कोई कार्यवाही की जा सकती है । इसलिये इस नये अध्याय का कोई बहुत अधिक असर नहीं पड़ेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

एक माननीय सदस्य ने दण्ड के सम्बन्ध में कहा है कि जेल की सजा की व्यवस्था नहीं की जानी चाहिये । मैं इससे सहमत नहीं । ऐसी सजा का असर पड़ेगा । लेकिन केवल इसी व्यवस्था से सारी समस्या हल नहीं की जा सकती । हो सकता है कि ऐसे सौदे करने वाले कुछ दूसरों के नाम में सौदे करने लगें । तब भी वास्तविक अपराधी को पकड़ा नहीं जा सकेगा ।

इसीलिये, इस समस्या को हल करने के लिये, इन नयी शक्तियों के प्रयोग के अतिरिक्त, इस अधिनियम के क्षेत्राधिकार से बाहर की भी कुछ कार्यवाहियां करनी पड़ेंगी ।

आशा है कि अब आयोग पहले की तरह हिचकिचायेगा नहीं । उसे अब अधिक ब्यौरेवार जांच करने की शक्ति प्रदान की जा रही है । इसलिये उसे मुकदमे चलाने में ज्यादा कठिनाई नहीं पड़ेगी । आशा है कि उस में विलम्ब नहीं होने दिया जायेगा ।

मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

†**श्री अ० प्र० जैन** (सहारनपुर) : श्री वें० प० नायर ने कल कहा था कि योजनापूर्ण अर्थ-व्यवस्था में वायदे के सौदों के लिये कोई गुंजाइश ही नहीं रहती । लेकिन वह भूल जाते हैं कि हमारी योजनापूर्ण अर्थ व्यवस्था में कई क्षेत्र हैं—साकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र और एक मिला जुला क्षेत्र । हमारी अर्थ व्यवस्था अभी समाजवादी अर्थ-व्यवस्था नहीं है । इसलिये उस में वायदे के सौदों की गुंजाइश भी है और वे जरूरी भी हैं । वायदे के सौदे यदि एक सीमा में किये जायें, तो उनसे मूल्यों को स्थायित्व देने में सहायता मिलती है ।

इस विधेयक में कई बड़ी अच्छी व्यवस्थायें की गई हैं । लेकिन कुछ खामियां भी हैं, जो बाज़ार के पूरे पूरे नियंत्रण की दृष्टि से हानिकारक रहेंगी । मैं माननीय मंत्री की यह बात नहीं मानता कि अधिनियम का काम ठीक चला है । वायदा सौदा आयोग सट्टेबाज़ी की प्रवृत्तियां रोकने में असफल रहा है । स्टाकों और शेयरों में ही नहीं, खाद्यान्नों और कच्चे माल के क्षेत्र में भी सट्टा चल रहा है ।

विधेयक में एक यह व्यवस्था बड़ी अच्छी की गई है कि यदि कुछ व्यवस्थाओं विशेष का उल्लंघन किया जायेगा, तो ऐसे सौदे अवैध हो जायेंगे । यह व्यवस्था भी अच्छी है कि सरकार किसी भी मान्यता-प्राप्त संस्था के सदस्यों को निलम्बित कर सकेगी, उसे वायदे के सौदे करने से रोक सकेगी । यदि इस शक्ति का ठीक ढंग से प्रयोग किया जाये, तो देश पर सट्टेबाज़ों की जकड़ तोड़ी जा सकती है । वायदे के सौदे करने वाली संस्थाओं के अनिवार्य पंजीयन और निर्धारित घंटों में ही वायदे के सौदे हो सकने की व्यवस्था भी बड़ी उचित हैं ।

विनियमनों और विधियों के उल्लंघन के लिये अधिक दण्ड की व्यवस्था करना भी बहुत ठीक रहा है । दूसरी बार भी ऐसा ही अपराध करने वालों को जेल की सज़ा भुगतनी पड़ेगी । वायदा सौदा आयोग को व्यवहार न्यायालय की शक्ति प्रदान कर देने से वह प्रभावशाली बन जायेगा । कुछ विशेष लेखों और ज्ञापनों को अनिवार्यतः तैयार करने और विवरणियां जुटाने की व्यवस्थाओं से संस्थाओं के काम में सुधार होगा ।

लेकिन मूलतः विधि का ढांचा ज्यों का त्यों रखा गया है । इस संशोधन के बाद भी, आयोग को शक्ति रहेगी कि वह कुछ वस्तुओं में वायदे के सौदों पर प्रतिबन्ध लगा दे ।

पहले एक बार चने में वायदे के सौदे करने पर प्रतिबन्ध लगाया गया था । नतीजा यह हुआ था कि चने का सट्टा-व्यापार अरहर के नाम से किया जाने लगा था । अरहर के नाम से वास्तव में

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री अ० प्र० जैन]

चने के वायदे के सौदे होने लगे थे। यदि सट्टे का क्षेत्र इतना ही विशाल रहने दिया जायेगा, तो सट्टेबाज़ विधियों के उल्लंघन के कई रास्ते निकाल लेंगे और वायदा सौदा आयोग को बाजार पर नियंत्रण नहीं करने देंगे। होना यह चाहिये कि विधि का पूरा ढांचा बदल दिया जाये। सभी वस्तुओं के वायदे के सौदों पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाये। वायदे के सौदे केवल कुछ इनी गिनी वस्तुओं में ही, वायदा सौदा आयोग द्वारा स्वीकृत वस्तुओं में ही, करने की इजाजत रहे, वह भी मान्यता-प्राप्त संस्थाओं द्वारा ही। तभी बाजार पर नियंत्रण किया जा सकेगा।

वायदे के सौदों से सट्टेबाज़ी को प्रोत्साहन मिलता है। और सट्टेबाज़ी को बढ़ने से रोकना इसलिये जरूरी है कि तृतीय योजना काल में मूल्यों को लगभग स्थिर रखना अत्यावश्यक है। मूल्यों में स्थायित्व लाने के लिये रक्षित बैंक ने कई वित्तीय उपाय किये हैं, और उन को थोड़ी सफलता भी मिली है। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिये कि हमारी जैसी मिली-जुली अर्थ-व्यवस्था में वित्तीय उपायों और धन सम्बन्धी नियंत्रणों को एक सीमा तक ही सफलता मिल सकती है। रूस जैसे देश में भी मूल्य-निर्धारण को पूरी सफलता नहीं मिल पाई।

हमारे देश में मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियां भी उभर रही हैं। वायदा बाजार तभी फल-फूलता है जब मूल्य चढ़ रहे हों। इसलिये हमें और भी सावधानी रखनी चाहिये। हमें सट्टेबाज़ी को खुल कर नहीं खेलने देना चाहिये। सट्टे के लिये वायदे के सौदे नहीं होने देने चाहियें। मैं जानता हूं कि वायदा सौदा आयोग विधियों में उग्र परिवर्तन करने से घबराता है। लेकिन समचे देश के स्वस्थ आर्थिक विकास में प्रशासकीय बाधाओं को आड़े नहीं आने देना चाहिये।

आवश्यक है कि इस विधि को अधिक सख्त बनाया जाये। अभी इस विधेयक को पारित करने की इतनी कोई जल्दी भी नहीं है। इसलिये इसे प्रवर समिति को सौंपा जा सकता है। उससे कोई हानि भी नहीं होगी। आशा है कि माननीय मंत्री मेरा सुझाव स्वीकार करेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : 'हाउस ऑफ कामन्स' में यह प्रथा है कि संसद् की बैठकें शुरू होते ही विभिन्न विभागों के लिये कई स्थायी समितियां नियुक्त कर दी जाती हैं। प्रत्येक विधेयक उनके सामने जाता है। मेरी भावना है कि हमें यहां भी उस प्रथा को अपनाना चाहिये। उससे हमें पता चलता रहेगा कि उनके बारे में विभिन्न दलों और माननीय सदस्यों की क्या राय है और सरकार उनको स्वीकार करती है या नहीं। यदि परिस्थिति असाधारण न हो, कोई विधेयक पारित करना बड़ा अविलम्बनीय न हो, तो इस प्रथा का अनुसरण किया जा सकता है। मैं इस पर बड़ी गम्भीरता से विचार कर रहा हूं। कल और परसों छुट्टी है, इसलिये यदि इसे प्रवर समिति को सौंपा जाये और सोमवार को वह हमें वापस मिल जाये, तो कोई हानि नहीं दिखती। माननीय मंत्री इस पर विचार करें।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : प्रथा को सामान्य तौर पर अपनाने के बारे में तो आप सरकार के साथ परामर्श करके, जो भी निर्णय करेंगे वही हमें मान्य होगा।

इस विधेयक विशेष को प्रवर समिति को सौंपने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उसे संयुक्त समिति होना चाहिये।

मैं चाहता हूं कि यह विधेयक इसी सत्र में पारित हो जाये। इसलिय कि कुछ वस्तुओं के सम्बन्ध में हमें शीघ्र ही कुछ कार्यवाही करनी है। मेरे सहयोगी ने बताया भी था कि जूट की स्थिति बड़ी बिगड़ती जा रही है। इसलिये हमें वे शक्तियां दरकार हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का प्रयोजन तब तक पूरा नहीं होगा, जब तक कि इस पर अच्छी तरह से विचार करने का समय उसे न दिया जा सके। प्रवर समिति में माननीय सदस्यों की राय के अतिरिक्त उत्पादकों और वायदा बाजार के हितों की राय जानना और साक्ष्य उपस्थित करना भी जरूरी होगा। वह इतने शीघ्र नहीं हो पायेगा। और जल्दी में विचार करने से प्रयोजन सिद्ध नहीं हो पायेगा। इस विधेयक में इतनी कोई महत्वपूर्ण व्यवस्थायें भी नहीं हैं।

†**श्री अ० प्र० जैन** : सरकार इस पर दो वर्ष से विचार कर रही है। बाजार की परिस्थिति इतनी खराब भी नहीं कि इसमें थोड़ा अधिक समय लग जाने से कोई बड़ी हानि हो जायेगी। अच्छा यही रहेगा कि इसे प्रवर समिति को सौंपा जाये।

†**श्री वारियार (त्रिचुर)** : मूल अधिनियम पारित करते समय भी उत्पादकों से परामर्श नहीं किया गया था। अब कुछ राज्य सरकारों को भी वायदे के सौदों का अनुभव हो गया है, क्योंकि अब यह भारत भर में फैल चुका है। इसलिय इस पर अधिक गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये। जरूरी है कि पहले सभी सम्बन्धित हितों से परामर्श लिया जाय। इसलिय इसे प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिये।

†**श्री अ० प्र० जैन** : प्रवर्तनकारी भाग तो इस विधेयक में भी वही रहेगा, जो अधिनियम में मौजूद है। इसलिय सरकार को जो कार्यवाही करनी है, वह अधिनियम के अन्तर्गत भी की जा सकती है।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : यदि इस विधेयक द्वारा कोई बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन किया ही नहीं जा रहा है, तो फिर श्री जैन को इस पर कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिये। यदि आवश्यकता पड़े, तो इसे किसी और अवसर पर प्रवर समिति को सौंपा जा सकता है। बात सिर्फ जूट की नहीं, मूल्यों में स्थायित्व लाना भी अविलम्बनीय है, जिस पर माननीय सदस्यों, और विशेषकर कम्युनिस्ट दल के सदस्यों ने इतना ज़ोर दिया है।

इस तरह तो आप हमें प्रभावशील कार्यवाही करने से रोक रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आपकी राय के अनुसार, मैं इसे प्रवर समिति को सौंपने के लिय तैयार हूं। आपसे मैंने यही अनुरोध किया है कि इसे इसी सत्र में पारित कराना आवश्यक है।

इस विधेयक में कई प्रकार की व्यवस्थायें की जा रही हैं। इसमें निर्धारित समय के बाद के वायदे के सौदों को बन्द करने की व्यवस्था भी है। हमने सोचा है कि बाजार बन्द होने के बाद के भाव भी यदि समाचारपत्रों में अनिवार्य रूप से प्रकाशित करने की व्यवस्था की जाये, तो वह बन्द हो जायेगा। अन्य कई मामलों के सम्बन्ध में भी व्यवस्थायें की गई हैं।

अब यह दूसरी बात है कि विधेयक की व्यवस्थाओं के बावजूद कुछ अवैधानिक कार्यवाही होती रहे। यह तो वही बात हुई कि दण्ड संहिता के लागू होते हुये भी देश में डाकेजनी होती रहती है। हमें तो कोई कार्यवाही अपनी तरफ से करनी पड़गी। श्री जैन चाहते हैं कि सभी वस्तुओं में वायदे के सौदे निषिद्ध कर दिये जायें, केवल कुछ ही वस्तुओं में विनियमित ढंग से व्यापार करने की अनुमति दी जाये। आज यदि १४ वस्तुओं में वायदे के सौदों पर प्रतिबन्ध है तो कल उसे २५ वस्तुओं पर भी लागू किया जा सकता है। लेकिन उसके लिये और बड़ा संगठन और अधिक कर्मचारी भी तो चाहियें। इसीलिये हमने अभी तक नियंत्रित वस्तुओं की संख्या बढ़ाई नहीं है। बढ़ाना तो हम चाहते हैं। श्री जैन भी यही चाहते हैं। इसलिय मेरा अनुरोध है कि इस विधेयक को पारित होने दिया जाये।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

अब इसे प्रवर समिति को सौंपने का समय नहीं रहा। मूल्यों में स्थायित्व लाने का प्रश्न अविलम्बनीय महत्व का है। हो सकता है कि हम इसके जरिये कोई बहुत बड़ा परिवर्तन न करने जा रहे हों, लेकिन जितनी भी हम कर रहे हैं, वह तो हमें करने दिया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि एक-दो दिन की बात होती तो इसे प्रवर समिति को सौंपने में कोई हानि नहीं थी। लेकिन अब बड़े-बड़े और दीर्घकालीन परिवर्तनों की बातें सोची जा रही हैं, जिसके लिये अब समय नहीं रहा। माननीय मंत्री उन पर बाद में विचार करेंगे। अभी इस अविलम्बनीय विधेयक को आगे बढ़ने दिया जाये।

†**श्री अ० प्र० जैन :** इसमें अविलम्बनीयता क्या है ? मैं तो समझता हूं कि इसमें बुनियादी परिवर्तन किये बिना यह अप्रभावशील रहेगा। इसे प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिये।

श्री कोरटकर (हैदराबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इसी राय का हूं कि यदि यह बिल सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाये तो बहुत ही ठीक होगा।

इस फारवर्ड कांट्रेक्ट (वायदे के सौदे) के बारे में जब यहां पहले आश्वासन दिया गया था उस वक्त यही कहा गया था कि दामों में बहुत ही बढ़ती हो रही है और इस वजह से फारवर्ड कांट्रेक्ट किसी न किसी तरह से बन्द किया जाना चाहिये। इस आश्वासन से यह मालूम होता था कि फारवर्ड कांट्रेक्ट पर बहुत सख्त पाबन्दी लगायी जायेगी, लेकिन जो बिल इस वक्त हमारे सामने आया है उसमें सिवाय इसके कि कुछ रजिस्टर और रखे जायें, या कुछ सजायें बढ़ाई जायें, या इंस्पेक्शन ज्यादा किये जायें इससे ज्यादा कोई भी चीज नहीं है। आज पहला फारवर्ड कांट्रेक्ट ऐक्ट करीब करीब आठ बरस से हमारे सामने है, और उसके अनुसार काम हो रहा है। उसके अनुसार कारोबार होते हुये भी हम यह देख रहे हैं कि दामों में किसी तरह की भी सुस्थिरता लाने में यह ऐक्ट कभी कामयाब नहीं हुआ है। और इस तरह से यह बिल जो इस वक्त हमारे सामने है, यानी फारवर्ड कांट्रेक्ट अमेंडमेंट बिल, यह भी कोई ऐसी चीज ला सकेगा यह बिल्कुल अच्छी तरह से मालूम नहीं हो रहा है।

बार बार यह जरूर कहा गया है कि इस वक्त ऐसी परिस्थिति आ गई है कि यह ऐक्ट इसी वक्त पास हो जाना चाहिये। लेकिन वह क्या परिस्थिति है यह अभी तक हमारे सामने नहीं आयी, और यह ऐक्ट इसी वक्त पास हो जाने से वह परिस्थिति यकायक कैसे खत्म हो जायेगी यह बात भी हमारे सामने नहीं आयी। फारवर्ड कांट्रेक्ट ऐक्ट होने के बावजूद दाम बराबर बढ़ते जा रहे हैं। सब से बड़ी चीज जो कि इस कानून में की जायेगी वह यह है कि एक रजिस्टर्ड एसोसियेशन खोलने की छूट दी जायेगी। मेरी राय में तो यह ऐक्ट फारवर्ड कांट्रेक्ट रेग्युलेशन ऐक्ट होने के बजाय फारवर्ड कांट्रेक्ट फरदर रिलीफ ऐक्ट हो जायेगा।

बात यह है कि फारवर्ड मारकेट्स कमीशन (वायदा सौदा आयोग) के सामने करीब ३२६ दरख्वास्तें इन पिछले आठ बरस में आयी थीं और उनमें से सन् १९५९ तक शायद सिर्फ २३ दरख्वास्तें ही मंजूर होनी थीं और एक दो और कोई मंजूर हो चुकी होंगी। फारवर्ड मारकेट्स कमीशन ने बार बार जगह जगह पर अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बावजूद इस तरह की पाबन्दियां लगाने के दूसरी चीजों में भी इसी तरह का स्पेकुलेशन होता जाता है। बहुत सी चीजें तो खिलाफ कानून हैं वह बराबर हो रही हैं। बात यह है कि अगर स्पेकुलेशन कोई क्राइम या बीमारी है तो उसको पूरी

---

†मूल अंग्रेजी में

तरह से बन्द हो जाना चाहिये। और अगर यह क्राइम यह बीमारी पूरी तरह से बन्द नहीं होती तो यह इस तरीके से हर वक्त नुक्सान पहुंचाती रहेगी। मैंने आज तक कभी नहीं सुना है कि कोई महामारी कभी मुल्क में फैली हो और उसको मिटाने का कोई कानून हो तो उसमें यह व्यवस्था रखी जाय कि इतना ऐपीडेमिक रह सकता है, फलां जगह रह सकता है और फलां फलां जगह नहीं रह सकता है अथवा फलां लोग बीमार रह सकते हैं और फलां बीमार नहीं रह सकते हैं। मेरी यह पूरी राय है कि स्पेकुलेशन (सट्टा) पूरे तरीके से बन्द हो जाना चाहिये वरना जो चीजों के दाम बढ़ते ही चले जा रहे हैं वह कभी भी कम नहीं हो सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में मैं एक रिपोर्ट जो कि अमरीका में दी गई है वह सामने रखना चाहता हूं और वह यह है कि वहां पर बहुत वक्त यह कहा जाता है कि यहां भी फारवर्ड कांट्रेक्ट्स की वजह से प्रोड्यूसर्स को किसानों को कुछ न कुछ दाम मिल जाते हैं और उसकी वजह से उनको सहूलियत मिलती है। यह एक बड़ी अजीबोगरीब चीज मालूम होती है कि फारवर्ड कांट्रेक्ट्स जिनका कि ताल्लुक हर वक्त व्यापारियों से होता है वह काश्तकारों के साथ बहुत ही सहानूभूति दिखलाते हुये अपना कारोबार करते हैं इस बारे में अनुसंधान होने की बहुत सख्त जरूरत थी।

पुराने फारवर्ड कंट्रैक्ट्स ऐक्ट में दफा २५ के तहत एक ऐडवाइजरी कमेटी मुकर्रर की जानी चाहिए लेकिन बहुत अफसोस का विषय है कि पूरे ८ साल होते हुए भी यह ऐडवाइजरी कमेटी मुकर्रर नहीं हुई। फारवर्ड कंट्रैक्ट्स कमिशन के साथ ही साथ अगर यह ऐडवाइजरी कमेटी भी होती तो वह ऐडवाइजरी कमेटी इस बात को बतला सकती थी कि इस ऐक्ट के होने से कोई फायदा हुआ है कि नहीं। जरूरत तो इस चीज की है कि जो फारवर्ड कंट्रैक्ट्स होता है इस सट्टे में जो मध्यस्थ आते जाते हैं उन बिचौलियों की संख्या जितनी कम हो सके होनी चाहिए और अगर वह संख्या बढ़ती ही जायगी तो फिर चीजों के दाम भी वैसे ही बढ़ते हुए चले जायेंगे और इन बढ़ते हुए दामों से इन मध्यस्थों के अलावा अन्य कोई लाभ नहीं प्राप्त कर सकता है। अगर यह ऐडवाइजरी कमेटी होती तो इस बारे में कुछ न कुछ तहकीकात करती और जांच पड़ताल करके यह बता सकती थी कि फारवर्ड कंट्रैक्ट्स रैगुलेशन ऐक्ट की वजह से कोई फायदा हुआ भी है या नहीं। बहुत अफसोस है कि वह चीज नहीं हुई। जरूर इस बारे में अनुसंधान होना चाहिए अमरीका में इस के बारे में अनुसंधान हुआ कि जो स्पैकुलेशन होता जाता है उसके कारण जो असली दाम काश्तकारों को प्रोड्यूसरों को मिलते हैं और जो दाम प्रोफीटियर्स को मिलते हैं, उनमें आपस में क्या अनुपात रहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने वह ब्यौरा रखना चाहता हूं। सन १८५० में प्रोड्यूसर्स को जो भी चीज बिकती थी बाजार में उसका ८० फीसदी उनको मिलता था और २० फीसदी व्यापारी को जाता था। १८६० में ७५ फीसदी प्रोड्यूसर्स को मिलता था और २५ प्रतिशत व्यापारी को जाता था। सन १८७० में ७२ फीसदी प्रोड्यूसर्स को मिलता था और २८ फीसदी व्यापारी को जाता था। मेरे कहने का मतलब सिर्फ यह है कि इस जमाने में मार्केटिंग बड़ी कम्पलीकेटेड होती चली जा रही है और इस कम्पलीकेटेड मार्केटिंग में आज जो चीजों के भाव बढ़ते हैं तो उसका ज्यादा हिस्सा मार्केटियर्स को मिलता है। यह समझना कि फौरवर्ड कंट्रैक्ट्स की वजह से काश्तकारों को प्रोड्यूसरों को कुछ ज्यादा हिस्सा मिल जाता है यह एक गलत आइडिया है। सन् १८९० में वह अनुपात ६३ और ७० फीसदी हुआ। सन् १९०० में ६० और ४० फीसदी हुआ। सन् १९१० में ५३ फीसदी हुआ, १९२० में वह अनुपात ५०–५० का हो गया और सन् १९६० में जाकर इस वक्त प्रोड्यूसर को दाम का केवल २५ फीसदी हिस्सा मिलता है और ७५ फीसदी मार्केटिंग करने वालों को मिलता है। यह सच है कि यह आंकड़े भारत के लिए नहीं कहे जा सकते हैं लेकिन जैसे जैसे मार्केटिंग कम्पलीकेटेड होती चली जायगी जैसे जैसे फारवर्ड कंट्रैक्ट्स बढ़ता चला जायगा उसका नतीजा आगे जाकर यही होने वाला है और हमको आज से ही इस बात की किसी तरह से पाबन्दी

[श्री कोरटकर]

लगा देनी चाहिए ताकि प्रोड्यूसर को जो दाम का हिस्सा मिलता है वह इतना कम न हो और जाहिर है कि इसके लिए इस तरीके का ऐक्ट पास करने से कोई फायदा नहीं होगा। हमारी आर्गेनाइजेशंस में कोई न कोई ऐसी बौडीज बननी चाहिएं जोकि इस व्यापार को अच्छे तरीके से चला सकें। यह एक सीधी सादी बात है और यह मैं मंत्री महोदय के सामने रखना चाहता हूं कि फारवर्ड कंट्रैक्ट्स की वजह से आगे आने वाली स्थिति क्या है।

इसके साथ ही साथ थोड़े से शब्दों में मैं बतलाना चाहता हूं कि जैसी इस बिल की दफात हैं उनमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर कि ज्वाएंट कमेटी में विचार होना बहुत ही आवश्यक है। मसलन सबसे पहली बात यह है कि रजिस्टर्ड बौडीज जो नई कायम की जा रही हैं इनकी जरूरत है या नहीं है। मैं ने अभी आप के सामने रखा कि ३२६ दरख्वास्तों में से खाली २३ दरख्वास्तें मंजूर हुई थीं यानी करीब करीब ३०२ दरख्वास्तें ऐसी थीं जोकि मंजूर होने लायक नहीं थीं। इनको बन्द हो जाना चाहिए था लेकिन अब वह सब की सब बौडीज जितनी हैं यह सब असोसियेशंस रजिस्टर्ड हो जायेंगी। कल के अखबारों में सट्टे वालों के लिए एक बड़ी भारी खुशखबरी होगी कि अभी तक जो आपको एक बड़ी भारी कठिनाई थी वह इस तरह से सहल कर दी है और यह बौडीज अंडर रजिस्ट्रेशन आकर अच्छे तरीके से काम करने लग जायेंगी इस पर बहुत गम्भीरता से विचार होना चाहिए और इसके लिए अगर यह बिल ज्वाएंट कमेटी में चला जाय तो कोई नुकसान नहीं होगा।

इसी तरीके से बहुत सी दफात हैं जोकि देखने में आती हैं और जिनमें कि कई चीजें बिलकुल सरसरी तौर पर रखी गयी हैं। दफा ४ में जहां कि इसकी परिभाषा दी गई है कि रेकेगनाइज्ड असोसियेशंस क्या हो सकती है वहां बहुत सारा हिस्सा दफा ६ का भी उसमें रख दिया गया है और बिला वजह परिभाषा बहुत लम्बी कर दी गई है।

इसी तरीके से दफा ५ में इन असोसियेशंस को अदालती अधिकार दिये गये हैं ताकि वे मुकद्मात का फैसला कर सकें लेकिन यह नहीं साफ किया गया है कि वे मुकद्मात कौन से हैं वह सारे ऐक्ट में पुराने या नये कहीं पर भी नहीं मालूम होते हैं। अब ऐसे अदालती अधिकार इनको देने की कोई जरूरत थी या नहीं थी यह एक बहुत ही विचार की चीज है।

इसी तरीके से रेकेगनाइज्ड असोसियेशंस को यह अधिकार दे दिये गये हैं कि वह कोई न कोई ऐसा कानून बना सकते हैं जिसका कि असर रिट्रौसपैक्टिवली (भूतलक्षी) हो सके। अब रिट्रौस्पैक्टिव करने का कानून बहुत सोच समझ कर बनाना चाहिए और ऐसे अख्तियारात बाईलाज बनाने का अधिकार एकदम से किसी भी असोसियेशन को देना यह एक अजीब चीज है और जिसकी कि वजह से बहुत बड़ा अन्याय हो सकता है। मुझे तो ऐसा दिखाई देता है कि सारी की सारी दफात बड़ी ऊल जलूल बनाई गई हैं और इन दफात पर और इन धाराओं पर बहुत ही गंभीरतापूर्वक विचार होना चाहिए और यह विचार विनिमय सेलेक्ट कमेटी में हो सकता है। इसलिए जो चीज श्री अजित प्रसाद जैन ने आपके सामने रखी है मैं भी उसका अनुमोदन करता हूं और अगर यह बिल सेलेक्ट कमेटी में चला जाय तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है। आपके ऐसा ऐक्ट के बन जाने के बाद भी मुझे तो इसका विश्वास है कि कलकत्ते में जो कहा जाता है कि जूट का बड़ी गड़बड़ी शुरू हो गयी है वह इस ऐक्ट के बनने से ही खत्म नहीं हो सकती है। इन चन्द शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** इसके तृतीय वाचन की आवश्यकता नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

माननीय मंत्रियों को चाहिये कि ऐसे सभी मामलों के बारे में प्रकट की गई रायों के उद्धरण लोक सभा सचिवालय के पास पहुंचा दें । सरकार ऐसे मामलों के बारे में विभिन्न निकायों की रायें मालूम तो करती ही है । सभा को दोनों पक्षों की राय पहले से मालूम हो जाना बड़ा अच्छा रहेगा ।

†**पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** (प्रतापगढ़) : वायदे के सौदे अधिनियम का विषय तो सचमुच बड़ा पेचीदा है, लेकिन इस संशोधन विधेयक में कोई पेचीदगी नहीं है। इस विधेयक में कुछ अपराधों के लिये दण्डों की व्यवस्था की जा रही है । इससे अधिक कुछ नहीं । इसलिये इसको प्रवर समिति को सौंपने से कोई लाभ नहीं होगा । फिर माननीय मंत्री ने स्वयं कहा है कि वायदे बाजार की कुछ अवैधानिकताओं और अनियमितताओं को रोकने के लिये इस विधेयक को तुरंत पारित करना जरूरी है । अभी तक जितने संशोधनों का प्रस्ताव है, उनके बारे में अधिक विस्तार से विचार करने की आवश्यकता भी नहीं है । यदि कुछ और संशोधन आवश्यक हों, तो बाद में किये जा सकते हैं ।

वायदा बाजार से सम्बन्धित प्रतिवेदनों को देखने से पता चलता है कि अनियमिततायें और अवैधानिकतायें बढ़ती ही रही हैं, लेकिन आयोग ने उनके खिलाफ़ कोई पर्याप्त कार्यवाही नहीं की । यहां तक कि उपनियम तक नहीं बनाये गये । मामूली सा दण्ड होने के कारण ही, सट्टेबाज़ों के हौसले बहुत बढ़ गये हैं ।

यदि दावा व्यापार, निर्धारित घण्टों के बाद का वायदा व्यापार और निषिद्ध वस्तुओं में वायदा-व्यापार रोकने के लिय किसी कड़ी सजा की जेल इत्यादि की व्यवस्था नहीं की जायेगी तो उनको रोकना कठिन होगा । एक सुझाव बड़ा अच्छा था कि सभी वस्तुओं को निषिद्ध करके, केवल कुछ इनी गिनी वस्तुओं में ही वायदे के सौदे करने की अनुमति दी जाय । लेकिन वह संशोधन अभी सभा के सामने नहीं आया है ।

'ऑप्शन्स'-व्यापार को भी तभी रोका जा सकेगा जब उसके लिये भयप्रद दण्ड की व्यवस्था की जाये ।

ऐसे अपराधों में लिखित रिकार्ड नहीं रखा जाता, इसीलिये न्यायालय में उनके विरुद्ध साक्ष्य जुटाना मुश्किल हो जाता है । अब इस विधेयक में एक बड़ी अच्छी व्यवस्था की जा रही है कि पुलिस अधिकारी फर्मों के कार्यालयों की तलाशी ले सकते हैं ।

अब आयोग को गवाह बुलाने और उनसे जिरह करने की शक्ति भी प्रदान की जा रही है । एक व्यवस्था यह भी बड़ी अच्छी की जा रही है कि संस्थाओं के उन सदस्यों को मौत्तिल किया जा सकता है, जो अनियमितायें करें । संस्थाओं का पंजीयन अनिवार्य कर दिये जाने के कारण, अब ऐसी संस्थाओं के विरुद्ध भी कार्यवाही की जा सकेगी । दूसरी बार ऐसे ही अपराध करने वाले व्यापारियों को अधिक कड़ी सजा दी जायेगी । श्री मुरारका का कहना है कि जेल की सजा की व्यवस्था अनुचित होगी । मैं इससे सहमत नहीं । ऐसी व्यवस्था इसलिये जरूरी है कि न्यायालय में इस प्रकार के अपराधों को सिद्ध करना बड़ा मुश्किल होता है ।

श्री वें० प० नायर का यह सुझाव भी मुझे मान्य नहीं कि मूल अधिनियम को ही निरसित कर देना चाहिये । उससे व्यापार में अव्यवस्था फैल जायेगी । इसके लिये दण्ड संहिता या किसी अन्य अधिनियम में सामान्य व्यवस्था करने से वह प्रभावशाली नहीं होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय]

श्री नायर चाहते हैं कि इसे राय जानने के लिये परिचालित किया जाये । लेकिन आम जनता तो इसकी पेचीदगियों के बारे में बिलकुल अनभिज्ञ है, इसलिये उससे कोई लाभ नहीं होगा । इसलिये इस संशोधन विधेयक को इसी रूप में स्वीकार किया जाना चाहिये ।

†**श्री ओझा** (झालावाड़) : मैं इस बात से सहमत नहीं कि वायदा सौदा आयोग ने ठीक ढंग से काम नहीं किया । आयोग को हम मूल्य-वृद्धि के लिये दोषी नहीं ठहरा सकते । देश मूल्य-वृद्धि के मूल ये कारण हैं : धन की मात्रा बढ़ना, दीर्घकालीन परियोजनाओं का निर्माण और उत्पादन की गति न बढ़ना ।

वायदे के सौदे पिछले कई दशकों से होते आ रहे हैं । १९५२ में पहली बार वायदा बाजार को व्यवस्थित करने और वायदा व्यापारियों में एक प्रकार का अनुशासन पैदा करने की कोशिश की गई थी । उनमें अनुशासन की भावना पैदा करने में कुछ तो समय लगेगा ही ।

मेरी तो यह भावना है कि आयोग ने काफी अच्छे ढंग से अपना कर्त्तव्य निभाया है और वह ठीक समय पर उचित कदम उठाता रहा है । मैं उसके काम से संतुष्ट हूं ।

जूट के संकट को देखते हुए, आयोग को ये अतिरिक्त शक्तियां तुरन्त प्रदान की जानी चाहिये । उसे यह कहने का मौका नहीं देना चाहिये कि पर्याप्त शक्तियों के अभाव में वह कुछ नहीं कर सका ।

अब व्यवस्था की जा रही है कि वायदे के सौदे करने वाली संस्था को अनिवार्य रूप से अपना पंजीयन कराना पड़ेगा । इससे वायदा बाजार पर नियंत्रण बढ़ जायेगा । मैं इसका स्वागत करता हूं ।

आयोग को उल्लंघनकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की अतिरिक्त शक्तियां प्रदान की जा रही हैं । यह तो ठीक है, लेकिन प्रथम श्रेणी के हर सामान्य मैजिस्ट्रेट को ऐसी फर्मों की तलाशी और उनके लेखे कब्जे में करने के लिये वारंट जारी करने की शक्ति नहीं दी जानी चाहिये । वारंट जारी करने वाला कम से कम एक जिला मैजिस्ट्रेट तो होना ही चाहिये । नहीं तो सारे बाज़ार में अव्यवस्था फैल जायेगी । इसीलिये मैंने अपना संशोधन रखा है ।

†**श्री नथवानी** (सोरठ) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं । लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि यदि यह अधिनियम अथवा आयोग विपणन का विनियमन करने में उस हद तक सफल नहीं हुआ है जितनी की इससे आशा थी तो इसका स्पष्टीकरण यह है कि जो शक्तियां दी गई हैं वे अपर्याप्त हैं और यही कारण है कि इस विधेयक में और अतिरिक्त शक्तियां देने का प्रबन्ध किया गया है ।

लेकिन जिस ढंग से ये शक्तियां अथवा अधिकार कर दिये जा रहे हैं उनसे मैं ऐसा अनुभव करता हूं यह अच्छा होता यदि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दिया जाता और इसी वर्तमान सत्र में इसे विचारार्थ रखा जाता लेकिन यह संभव नहीं है ।

[श्री हेडा पीठासीन हुए]

इस विधेयक में कुछ कमियां हैं । खंड ६६ के अधीन एक नई धारा ४-क बनाई जा रही है । उपधारा (२) के अनुसार आयोग को यह अधिकार है कि वह किसी व्यक्ति से वह जानकारी

†मूल अंग्रेजी में

प्राप्त करने का अधिकारी होगा जो आयोग की राय में लाभदायक हो अथवा उचित हो अथवा सुसंगत हो। मेरे विचार से इतना ही काफी है लेकिन इस विधेयक में यह व्यवस्था की जा रही है कि इस बात का निर्णय आयोग करेगा कि वह जानकारी लाभदायक है अथवा सुसंगत है अथवा नहीं। मेरे विचार से "आयोग की राय में" शब्दों को नहीं रखना चाहिये।

आयोग को जो यह शक्ति दी गई है कि वह किसी एक व्यक्ति के सौदों को बंद कर सकता है। ठीक नहीं है। यह आपत्तिजनक है। इस शक्ति का उपयोग उस संस्था के बोर्ड के परामर्श से किया जाना चाहिये।

खंड १७, १८ और १९ की व्याख्या व्यापक है।

एक महीने की न्यूनतम सज़ा भी अनावश्यक है। कैद की अवधि का निर्णय अदालत पर ही छोड़ देना चाहिये था।

इस विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि कुछ उप-विधियों के उल्लंघन को विधेयक के अधीन दंडनीय बना दिया गया है। संस्था के उपनियमों में यह स्पष्ट किया जाना चाहिये कि किसी उपावधि का अतिक्रमण वायदे के सौदे को रद्द अथवा अवैध कर देगा।

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: समय के अभाव के कारण सभी बातो का विस्तृत रूप से तो उल्लेख नहीं कर सकूंगा। फिर श्री वारियर ने भी बहुत सी बातों का उचित उत्तर दे दिया है।

श्री अजित प्रसाद जैन ने यह तर्क उठाया है कि केवल उन्हीं वस्तुओं के व्यवसाय की अनुमति दी जानी चाहिये जिनके लिये अधिनियम की धारा १५ में छूट दी गई है। मेरा निवेदन है कि अधिनियम का ढाँचा ऐसा है कि ऐसा करना संभव है। धारा १७ के अधीन चाहे जितनी वस्तुओं को उसमें शामिल कर लेने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सवाल तो इस बात का है कि इस विधि को क्रियान्वित करने के लिये हमारे पास सीमित कर्मचारी है। वरना यह धारा इन वस्तुओं के वायदे के सौदों का निषेध करती है।

जहां तक इस विधेयक की बात है यह काफ़ी गम्भीर परिवर्तन करने वाला है। यह विधेयक न तो मूल्यों को स्थिर करने की मंशा से पेश किया गया है और न यह कीमतों को ही स्थिर कर सकता है यह केवल अत्यधिक उतार चढ़ाव के प्रभावों को कम कर सकता है। विधेयक मूल अधिनियम में कुछ गम्भीर परिवर्तन करता है। मूल रूप से ये उपबंध इस मंशा से रखे गये थे कि इस व्यवसाय में लगी संथाएं स्वयं विनियायक कृत्य पूरे करें। परन्तु क्योंकि यह मंशा कि संथाए स्वयं विनायामक कृत्य पूरा करे पूरी नहीं हो सकी है इसीलिये सरकार विधेयक के अधीन कुछ शक्तियां अपने हाथ में ले रही है। परन्तु ये शक्तियां समवर्त्ती होगी और इनका उपयोग भी उसी अवस्था में किया जायेगा जब संथाए कार्यवाही करने में चूक जायेंगी।

एक जो बड़ी शक्ति ली जा रही है वह यह है कि अपनी निर्दोषिता प्रमाणित करने का दायित्व अभियुक्त पर डाला जा रहा है। ऐसा करना इस कारण से आवश्यक हुआ कि अपराध इस प्रकार के होते हैं कि प्रमाण प्रस्तुत करने का दायित्व पूरी तरह निर्वाह संभव नहीं होता। एक उपबंध यह है कि प्रथम श्रेणी के किसी भी मजिस्ट्रेट की अनुमति से कागज़ात जब्त किये जा सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कानूनगो]

दूसरा यह है कि इन दस्तावेजों को ही पर्याप्त प्रमाण मान लिया जायगा—यह इसलिये कि लोग साक्ष्य देने के लिये राज़ी नहीं होते ।

आयोग के अधिकारों की चर्चा भी कल की गई है । लेकिन सरकार की ओर से सभी को यह आश्वासन दे सकता हूं कि जो शक्तियां ली जा रही हैं उनका उपयोग सावधानी के साथ किया जायेगा, किसी को खिजाने के लिये नहीं । कार्यकारिणी हिदायतों द्वारा अथवा अन्यथा इस बात की व्यवस्था कर दी जायेगी । यही बात किसी सदस्य को कारबार करने से रोकने के सम्बन्ध में आयोग की शक्ति के बारे में भी लागू होगी । जहां तक वायदे के सौदों को बंद करने का प्रश्न है, कार्यकारिणी हिदायतों में यह व्यवस्था कर दी जायेगी कि किसी निश्चित प्रक्रिया का पालन किया जायेगा । इससे लोगों को यह ज्ञान हो सकेगा कि सौदे कब बंद किये जायेंगे ।

यह स्पष्ट हो चुका है कि यह विधेयक बहुत ही आवश्यक है और इसे शीघ्र ही पारित किया जाना चाहिये ।

भावों को कपटपूर्ण ढंग से घटाने बढ़ाने अथवा कर्ब कारबार के बारे में किसी भी जानकारी को प्रकाशित करने को विधेयक में अपराध बना दिया गया है । यह काम हम पहली बार कर रहे हैं ।

मुकदमा चलाने वाले और जांच करने वाले केन्द्रीय अभिकरण स्थापित करना, जिनका सुझाव कि श्री गुहा ने दिया था, व्यावहारिक नहीं है । हमारा संविधान ही दूसरे प्रकार का है । नीतियों के सम्बन्ध में राज्यों को अपने साथ रखना होता है । आशा है कि लागू कराने वाले अभिकरण राज्यों में अधिक सतर्क हो जायेंगे ।

आयोग को व्यक्तियों के नाम समन जारी करने की शक्ति देने में कोई असाधारण बात नहीं है । आयोग इस शक्ति का उपयोग सावधानी से करेगा ।

मैं यह भी आश्वासन देता हूं कि सरकार इस बात का भी प्रयत्न करेगी कि आयोग का प्रतिवेदन सदस्यों को उपलब्ध करा दिया जाये । साथ ही इस बात का भी प्रयत्न किया जायेगा कि यह प्रतिवदन यथाशीघ्र सदस्यों को मिल सके । १९५९ के प्रतिवेदन, छपाई मे देरी हो जाने के कारण जल्दी उपलब्ध नहीं हो सका था ।

अतः मैं आशा करता हूं कि इस विधेयक के पारित हो जाने से बहुत सी कठिनाइयां दूर हो जायेंगी ।

†**सभापति महोदय :** श्री वे० प० नायर का विधेयक को परिचालित करने के बारे में एक संशोधन है । मैं उसे मतदान के लिए रखता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि वायदे के सौदे (विनियमन) अधिनियम १९५२ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सभापति महोदय :** खंड २ और ३ के बारे में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खंड २ और ३ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २ और ३ विधेयक में जोड़ दिये गये

खण्ड ४—(धारा ३ का संशोधन)

†**श्री वारियर :** मैं अपना संशोधन संख्या १३ प्रस्तुत करता हूं।

मेरा निवेदन है कि आयोग के सदस्य ऐसे होने चाहियें जिन पर कोई उंगली न उठा सके। मेरा संशोधन इसी उद्देश्य की पूर्ति करने वाला है। आशा है कि माननीय मंत्री महोदय इसे स्वीकार कर लेंगे ।

†**श्री कानूनगो :** मेरे विचार से इसके लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। खंड में स्पष्ट कर दिया गया है कि सदस्य को काफ़ी प्रशासकीय अनुभव हो। अत : इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

†**सभापति महोदय :** अब मैं संशोधन संख्या १३ को मतदान के लिये रखता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या १३ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड ४ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ४ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ५—(धारा ४ का संशोधन)

†**श्री वारियार :** मैं अपना संशोधन संख्या १४ प्रस्तुत करता हूं ।

मान्यताप्राप्त संस्थाओं के सदस्य के अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति इस व्यापार में आ जाता है तो उसे भी दंड दिया जाये। खंड में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। मेरा संशोधन इसी उद्देश्य की पूर्ती करने वाला है ।

†**श्री कानूनगो :** यदि कोई ऐसा व्यक्ति इस कारवार को करने लगता है और उसके विरुद्ध साक्ष्य मिल जाता है तो उसे दंड दिया जा सकता है। आज कठिनाई यह है कि उपयुक्त साक्ष्य नहीं मिलता। लेकिन कुछ दिनों के अनुभव के बाद हम यह कार्य करने में समर्थ हो जायेंगे।

†**सभापति महोदय :** मैं संशोधन संख्या १४ को मतदान के लिये रखता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड ५ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

खंड ५ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ६ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**सभापति महोदय :** श्री पटेल का संशोधन खंड ७ के बारे में है लेकिन वह अनुपस्थित हैं । अत : मैं खंड ७ मतदान के लिये रखता हूं :

प्रश्न यह है :

"कि खंड ७ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ७ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ८ से १२ विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खंड १३—(नयी धारायें १२क तथा १२ख का रखा जाना)

†**श्री कानूनगो :** मैं संशोधन संख्या ९ प्रस्तुत करता हूं । मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ६

पंक्ति ११ और १२ के स्थान पर निम्न रख दिया जाये :

"and such period may be extended from time to time but so as not to exceed three years in the aggregate."

["यह अवधि समय समय पर बढ़ाई जा सकती है लेकिन कुल मिलाकर ३ वर्ष से अधिक नहीं हो सकती]"

खंड कुछ अस्पष्ट है । स्पष्ट करने के लिये ही मैंने यह संशोधन रखा है ।

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

पृष्ठ ६

पंक्ति ११ और १२ के स्थान पर निम्न रख दिया जाये :

"and such period may be extended from time to time but so as not to exceed three years in the aggregate."

["यह अवधि समय समय पर बढ़ाई जा सकती है लेकिन कुल मिलाकर ३ वर्ष से अधिक नहीं हो सकती]"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड १३, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १३ संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खण्ड १४--(नये अध्याय ३क का रखा जाना)

†**श्री कानूनगो** : मैं संशोधन संख्या १० प्रस्तुत करता हूं । मैं प्रस्ताव करता हूं ।

पृष्ठ ७

पंक्ति २३ और २४ के स्थान पर निम्न रख दिया जाये :

"(ii) the words "two years" for the words "three years" in sub-section (2) of section 12B."

[(२) धारा १२ ख की उपधारा (२) में "तीन वर्ष" शब्दों के स्थान पर "दो वर्ष" शब्द रखे जायें ।]

यह केवल विधेयक के अन्य उपबन्धों के समान ही रूप देने के लिये है ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ७

पंक्ति २३ और २४ के स्थान पर निम्न रख दिया जाये :

"(ii) the words "two years" for the words "three years" in sub-section (2) of section 12B."

[(२) धारा १२ ख की उपधारा (२) में "तीन वर्ष" शब्दों के स्थान पर "दो वर्ष" शब्द रख दिये जायें ।]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १४ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १४ संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड १५ और १६ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड १७--(धारा २० के स्थान पर नई धारा का रखा जाना)

†**श्री कानूनगो** : मैं संशोधन संख्या ११ प्रस्तुत करता हूं । मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ९, पक्ति ३

"for reasons" ("कारणों") के स्थान पर "and adequate reasons" ("और पर्याप्त कारणों") शब्द रख दिये जायें ।

यह केवल प्रारूप में परिवर्तन करने के लिये ही है :--

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ९, पंक्ति ३

"for reasons" ("कारणों") के स्थान पर "and adequate reasons" ("और पर्याप्त कारणों") शब्द रख दिये जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वारियरः** खण्ड १७ के बारे में मैं अपने संशोधन संख्या १५, १६ और १७ प्रस्तुत करता हूं ।

†**सभापति महोदय** : संशोधन संख्या १८ के बारे में क्या हुआ ?

†**श्री वारियर** : मैं अपना संशोधन संख्या १८ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री कानूनगो** : जहां तक इस संशोधन की बात है मैंने इसकी व्यवस्था अपने संशोधन संख्या १२ में की है जिसका उद्देश्य नया खंड २० क की प्रस्थापना है और उसके द्वारा हम कुछ अपराधों को हस्तक्षेप्य अपराध बनाने जा रहे हैं ।

अन्य संशोधनों के बारे में भी हमने कठोर दण्ड की व्यवस्था की है ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

†**उपाध्यक्ष महोदयः** अब मैं सभी संशोधनों को एक साथ मतदान के लिये प्रस्तुत करूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड १७, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १७ संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड १८ और १९ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड २०—(नयी धारा २२क और २२ख का रखा जाना)

†**श्री ओझा** : मैं अपना संशोधन संख्या २१ प्रस्तुत करता हूं ।

मेरा निवेदन है कि एक सामान्य प्रथम श्रेणी के दण्डाधिकारी को इतने व्यापक अधिकार नहीं दिये जाने चाहियें । मेरा संशोधन यह है कि प्रथम श्रेणी के दण्डाधिकारी से पूर्व "जिला" शब्द और जोड़ दिया जाये ।

†**श्री कानूनगो** : माननीय सदस्य के डर से मैं परिचित हूं । लेकिन प्रथम श्रेणी के दण्डाधिकारी को काफ़ी न्यायिक अनुभव होता है अतः वह किसी भी व्यक्ति के दबाव में नहीं आ सकता और कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकता जो अनुचित हो । इसलिये काफी सुरक्षा की व्यवस्था पहले से ही है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं संशोधन को मतदान के लिये रखता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"खंड २० विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २० विधेयक में जोड़ दिया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नया खंड २०क

†**श्री कानूनगो** : मैं अपना संशोधन संख्या १२ प्रस्तुत करता हूं । यह एक आनुषंगिक संशोधन है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मुझे बताया गया है कि यह विधेयक के क्षेत्र से बाहर की बात है ।

†**श्री कानूनगो** : देखने में भले ही ऐसा लगे लेकिन यह आनुषंगिक संशोधन है । कुछ अपराधों को हस्तक्षेप्य अपराध बताने की दृष्टि से ही यह रखा गया है :

मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १० पंक्ति ३१ के पश्चात् निम्न रख दिया जाये :—

20A. Amendment of Section 23.—In Section 23 of the principal Act, for the expression "any offence punishable under sub-section (1) of section 20 or section 21 shall be deemed to be a congnizable offence within the meaning of that Code" the following expression shall be substituted, namely:—

"the following offences shall be deemed to be cognizable within the meaning of that Code, namely:—

(a) an offence falling under sub-clause (ii) of clause (a) of section 20 in so far as it relates to the failure to comply with any requisition made under sub-section (3) of section 8;

(b) an offence falling under clause (d) of section 20;

(c) an offence falling under clause (e) of section 20 other than a contravention of the provisions of sub-section (3A) or sub-section (4) of section 15;

(d) an offence falling under section 21."

[**२०क धारा २३ का संशोधन** : मूल अधिनियम की धारा २३ में "धारा २० की उपधारा (१) अथवा धारा २१ के अधीन कोई अपराध उस संहिता के अर्थ में हस्तक्षेप्य अपराध माना जायेगा" शब्दों के स्थान पर निम्न शब्द रख दिये जायें, अर्थात् :—

निम्नलिखित अपराध उस संहिता के अर्थ में हस्तक्षेप्य अपराध माने जायेंगे अर्थात् :—

(क) धारा २० के खंड (क) के उपखंड (२) के अधीन आने वाला कोई अपराध, जो धारा ८ की उपधारा (३) में निर्धारित आवश्यकता की पूर्ति न किये जाने के सम्बन्ध में हो ;

(ख) धारा २० के खंड (घ) के अधीन आने वाला कोई अपराध ।"

(ग) धारा २० के खंड (ङ) के अधीन आने वाला कोई अपराध, उपधारा (३क) अथवा धारा १५ की उपधारा (४) के उपबन्धों के उल्लंघन को छोड़ कर ;

(घ) धारा २१ के अधीन आने वाला कोई अपराध "]

†**उपाध्यक्ष महोदय**: मैं माननीय मंत्री महोदय का ठीक अभिप्राय क्या है यह नहीं समझ सका ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कानूनगो :** हमारे सामने जो विधेयक प्रस्तुत है उसमें धारा २० की उपधारा (१) नहीं है। अतः यह आनुषंगिक संशोधन है जो आवश्यक है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** इसका उद्देश्य बड़ा अच्छा है । इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है । लेकिन क्या इसकी अनुमति दी जा सकती है ।

†**श्री कानूनगो :** मैं निवेदन करता हूं कि इसकी अनुमति दी जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं मतदान के लिये इसे सभा में रखता हूं :

प्रश्न यह है :

पृष्ठ १० पंक्ति ३१ के पश्चात् निम्न रख दिया जाये :—

20A. Amendment of Section 23.—In Section 23 of the principal Act, for the expression "any offence punishable under sub-section (1) of section 20 of section 21 shall be deemed to be a congnizable offence within the meaning of that Code" the following expression shall be substituted, namely:—

"the following offences shall be deemed to be cognizable within the meaning of that Code, namely:—

(a) an offence falling under sub-clause (ii) of clause (a) of section 20 in so far as it relates to the failure to comply with any requisition made under sub-section (3) of section 8;

(b) an offence falling under clause (d) of section 20;

(c) an offence falling under clause (e) of section 20 other than a contravention of the provisions of sub-section (3A) or sub-section (4) of section 15;

(d) an offence falling under section 21."

[**२०क—धारा २३ का संशोधन :** मूल अधिनियम की धारा २३ में "धारा २० की उपधारा (१) अथवा धारा २१ के अधीन कोई अपराध उस संहिता के अर्थ में हस्तक्षेप्प अपराध माना जायेगा" शब्दों के स्थान पर निम्न शब्द रख दिये जायें, अर्थात् :—

"निम्नलिखित अपराध उस संहिता के अर्थ में हस्तक्षेप अपराध माने जायेंगे अर्थात :—

(क) धारा २० के खंड (क) के उपखंड (२) के अधीन आने वाला कोई अपराध जो धारा ८ की उपधारा (३) में निर्धारित आवश्यकता की पूर्ति न किये जाने के सम्बन्ध में हो ;

(ख) धारा २० के खंड (घ) के अधीन आने वाला कोई अपराध ;

(ग) धारा २० के खंड (ङ) के अधीन आने वाला कोई अपराध, उपधारा (३क) अथवा धारा १५ की उपधारा (४) के उपबन्धों के उल्लंघन को छोड़ कर ;

(घ) धारा २१ के अधीन आने वाला कोई अपराध ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि नया खंड २० क विधेयक में जोड़ दिया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नया खंड २० क विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड २१, २२ और १, अधिनियमनसूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री कानूनगो** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सदस्य की गिरफ्तारी

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मुझे सभा को यह सूचित करना है कि अध्यक्ष महोदय को अतिरिक्त जिलाधीश २४ परगना का दिनांक ५ दिसम्बर १९६० का एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें यह सूचना दी गई है कि संसद्-सदस्य श्री कन्सारी हाल्दर को ५ दिसम्बर, १९६० को पुनः अलीपुर सेन्ट्रल जेल भेज दिया गया है ।

दिल्ली किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, १९५८ में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, १९५८ में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री तंगामणि** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नैमित्तिक श्रमिकों की नियुक्ति का अन्त विधेयक—जारी

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम २५ नवम्बर १९६० को श्री अरविंद घोषाल द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेंगे :—

"कि स्थायी प्रकार की नौकरियों में नैमित्तिक श्रमिकों को नियुक्त करने की पद्धति का अन्त करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री वारियर अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

†**श्री वारियर** (त्रिचूर) : निकट भविष्य में हमें जिन बड़ी बड़ी समस्याओं को हल करना है उनमें से नैमित्तिक श्रम की समस्या भी एक है। हमारे निर्माण कार्यों में जो श्रमिक लगे हुये हैं वे उच्च प्रकार के टेकनिकल कार्य करते हैं। भाखड़ा नंगल तथा भिलाई परियोजनाओं में ऐसे हजारों श्रमिक काम कर रहे हैं, और यदि उन्हें उनके पुराने पेशों में लौट जाने दिया जायेगा तो यह बहुत बड़ी बरबादी होगी और यह हानि सारे राष्ट्र की हानि होगी। इतना अनुभव तथा प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उन्हें पुनः देहातों में भेज कर उनकी योग्यताओं को नष्ट नहीं होने देना चाहिये।

इमारती श्रमिकों की छंटनी के समाचार भिलाई और हीराकुड से प्राप्त हुए हैं। यह समाचार है कि अन्य विभिन्न प्रकार के प्रविधिक कर्मचारियों की भी छंटनी की जायेगी। इन लोगों पर लाखों रुपया खर्च करके हमने उन्हें प्रशिक्षित किया है। अब जब वह प्रशिक्षण और अनुभव प्राप्त करके कुछ करने योग्य हुए हैं तो उनकी छंटनी की जा रही है। मेरा सुझाव है कि जिन परियोजनाओं के विस्तार किये जाने की योजनाएं हैं, उन्हें कुछ समय पूर्व आरम्भ करके इन लोगों को वहां खपा देना चाहिए।

हमें इस समस्या को अपनी विकसित अर्थ व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सुलझाना चाहिए। इन श्रमिकों का एक संग्रह बनाने का उपाय ढूंढा जाना चाहिए। यह बात इस मामले में रुकावट नहीं बननी चाहिए कि नये श्रमिक नैमित्तिक हैं। इस समस्या की ओर अपेक्षित ध्यान देकर उसे हल करने का यत्न किया जाना चाहिए। हमारी विकसित हो रही अर्थ व्यवस्था के लिए यह बड़ी आवश्यक बात है।

†**श्री द० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : हम ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं जहां बेकारी और छंटनी करने का कोई प्रश्न ही न हो। किसी के प्रकाश को बुझाया नहीं जाना चाहिए और सभी के यहां प्रकाश होना चाहिए। इस स्वप्न को साकार करने के लिए हमारी पंचवर्षीय योजनाओं की हमें सहायता प्राप्त हो रही है। कितना समय लगेगा, यह तो हम नहीं कह सकते परन्तु यह स्वप्न साकार अवश्य होगा। भाखड़ा, दुर्गापुर अथवा रूरकेला में क्या हुआ, इससे उसमें कोई अन्तर नहीं पड़ता। भारत श्रमिकों के लिए स्वर्ग बन जाये यह तो मेरी भी कामना है परन्तु इसमें केवल एक ही वर्ग के श्रमिकों को लिया गया है। हमारी दृष्टि में सभी प्रकार के श्रमिकों की स्थिति एक समान होनी चाहिए। औद्योगिक श्रमिकों तथा खेतिहर श्रमिकों को इस विधेयक के क्षेत्र से बाहर छोड़ दिया गया है। यह श्रमिक-वर्ग के प्रति पक्षपात है। अतः मैं अनुभव करता हूं कि यदि इस प्रकार का विधेयक पारित करना संविधान के ही विरुद्ध होगा। हमारा संविधान सबको एक जैसे अवसर प्रदान करता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

इसके अतिरिक्त "नैमित्तिक श्रम" की जो परिभाषा दी गयी है, वह भी बहुत दोषपूर्ण है। इससे प्रकट होता है कि आप एक वर्ग विशेष के प्रति पक्षपात करना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि इस विधेयक को निर्माण करने वालों के समक्ष व्यावहारिक दृष्टिकोण नहीं रहा है। आप देखिये कि तीन मास के बाद ही किसी कर्मचारी अथवा श्रमिक को स्थायी कर देने की व्यवस्था को मैं व्यावहारिक नहीं मान सकता। ऐसा जो कि समाजवादी या प्रजातंत्रवादी देश तक में भी नहीं है। यह सोचना स्वप्न लोक में रहने जैसी बात है।

विधेयक में कहा गया है कि कोई उद्योग किसी नैमित्तिक श्रमिक को स्थायी कार्य पर नहीं लगायेगा। एक ओर तो हम बेकारी की सामस्या की बात करते हैं और दूसरी ओर यह कहते हैं कि उन्हें नौकरी में लिया ही न जाये। यह दोनों बातें एक साथ कैसे चल सकती हैं। यदि बेकारी के बजाय किसी को नैमित्तिक कार्य मिल भी जाये तो इसमें क्या हानि है? यद्यपि इस विधेयक का लक्ष्य बहुत श्रेष्ठ है फिर भी यह वास्तविकता से बहुत दूर है। यदि मेरे मित्र प्रस्तावक महोदय इस दिशा में कोई व्यावहारिक विधेयक प्रस्तुत करेंगे तो अवश्य मैं उसका समर्थन करूंगा। उसमें किसी श्रमिक वर्ग से भेदभाव की बात नहीं होनी चाहिए। सभी को एक समान अवसर और व्यवहार प्राप्त होना चाहिए। इस प्रकार के विधेयक से ही श्रम हित को प्रोत्साहन प्राप्त हो सकता है, वर्तमान विधेयक से नहीं।

†**श्री मुहम्मद इलियास** (हावड़ा): इस मामले में हम बहुत अधिक बहस में पड़ना नहीं चाहते। अपीलीय न्यायाधिकरण ने स्पष्ट निर्णय दिया है कि किसी भी ठेकेदार को किसी स्थायी प्रकार के काम के लिए नैमित्तिक श्रम को नहीं लगाना चाहिए। नैमित्तिक श्रम की कठिनाइयों के सम्बन्ध में मेरा बहुत व्यक्तिगत अनुभव है। ऐसे बहुत से कारखाने हैं जहां श्रमिकों का भारी शोषण किया जाता है। उन्हें वे सुविधाएं भी प्राप्त नहीं होतीं जो कि श्रम विधि के अन्तर्गत देश में अन्य श्रमिकों को प्राप्त हैं। अतः इस विधेयक का प्रयोजन किसी भी स्थायी प्रकार के काम के लिए ठेका प्रणाली तथा नैमित्तिक श्रमिक प्रणाली का उन्मूलन करना है।

ठेका प्रणाली का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि श्रमिकों को उनके अधिकारों से वंचित रखा जा सके। ठेकेदार श्रमिकों को उनकी उचित मजूरी नहीं देते; कारखानों के मैनेजरों आदि को रिश्वत देकर वे बहुत सा पैसा खा जाते हैं। नैमित्तिक होने के कारण श्रमिकों को अपनी शिकायतों को दूर करवाने का कोई साधन उपलब्ध नहीं होता। चिन्ता इस बात की भी है कि श्रमिकों को नैमित्तिक रूप में काम पर लगाने की प्रणाली बढ़ रही है। समवायों ने क्लर्कों आदि की भी नियुक्तियां नैमित्तिक रूप में करनी आरम्भ कर दी हैं। इस अवस्था को देखते हुए मेरा मत है कि इस विधेयक को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए ताकि नैमित्तिक नौकरी की बुरी प्रणाली समाप्त हो जाये।

†**श्री न० र० घोष** (कुच बिहार): मुझे इस विधेयक के प्रस्तावक से सहानुभूति है। मुझे पता है कि ठेकेदारों के पास काम करने वाले मजदूरों को काफी शिकायतें हैं। परन्तु देखने वाली बात यह है कि क्या इससे कुछ लाभ प्राप्त हो सकेगा। उनकी इच्छा यह मालूम होती है कि नैमित्तिक श्रम को सभी उद्योगों में बन्द कर दिया जाये। परन्तु उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि ऐसे मजदूर भी हैं जो कि नैमित्तिक रूप में ही काम करना ठीक समझते थे। इस दृष्टि से मैं इस विधेयक को व्यावहारिक नहीं समझता। यह श्रम विधि के मूल सिद्धान्तों के विरुद्ध जाता है। उन उद्योगों के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की गयी जिनका काम ही नैमित्तिक श्रम से चलता है। बागान उद्योग ह,

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री र० न० घोष]

उसमें कार्य ही छः मास के लिए चलता है। इस उद्योग में काम कर रहे स्थायी श्रमिक फसल के समय काम की अधिकता को वहन नहीं कर सकते, अतः नैमित्तिक श्रमिकों की सेवायें लेनी ही पड़ती हैं। इस तथ्य को बागान जांच समिति ने भी माना है कि स्थिति ऐसी ही है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि इस व्यवस्था के विरुद्ध कहीं भी कोई आवाज़ नहीं उठी, श्रमिक स्वयं इसे पसन्द करते हैं। स्थायी श्रमिक रखने से तो सारा उद्योग ही समाप्त हो जायेगा।

कई बार राजनीतिक दल फसल काटने के समय बागान में हड़ताल करवा देते हैं, परिणाम यह होता है कि नैमित्तिक श्रम का आश्रय लेना ही पड़ता है, यदि ऐसा न किया जाये तो फसल ही नष्ट हो जाती है। १५ दिन न काटने से चाय के पत्ते वैसे भी नष्ट हो जाते हैं। मेरा निवेदन है कि इस विधेयक से किसी को लाभ नहीं होगा और श्रमिकों के हितों का संरक्षण भी इससे नहीं हो सकेगा। अतः माननीय प्रस्तावक महोदय द्वारा इस विधेयक को वापिस ले लिया जाना चाहिए।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** (पुरी) : मैं इस विधेयक के लक्ष्य से पूर्ण रूपेण सहमत हूं। मैं मंत्री महोदय का ध्यान उन २००० के लगभग मजदूरों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जो कि रूरकेला उर्वरक कारखानों में काम कर रहे हैं। अधिकारियों ने उनकी मांगें स्वीकार करने से इन्कार कर दिया है अतः उन्होंने हड़ताल कर दी है। उनकी सभी मांगें बहुत उचित हैं परन्तु उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। यह हो सकता है कि मंत्री महोदय को इस प्रकार के मजदूरों की समस्या को हल करने के लिए एक अच्छे प्रकार से प्रारूपित विधेयक लाना पड़े परन्तु इमारती कामों में लगे मजदूरों की समस्या तो हल करनी ही होगी। मंत्रालय को इस दिशा में कोई नीति निर्धारित करके इन लोगों के कल्याण के लिए कुछ पग उठाना चाहिए।

†**श्री काशीनाथ पाण्डे** (हाता) : इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि नैमित्तिक श्रम का शोषण होता है परन्तु इस विधेयक द्वारा इस समस्या का हल नहीं हो सकेगा। नैमित्तिक श्रम की जो परिभाषा इस विधेयक में दी गई है उसे कोई भी उद्योग स्वीकार नहीं करेगा। मान लीजिए कि एक कारखाना बनाने का काम आरम्भ किया जाता है। उस कार्य पर इमारती मजदूरों को लगाया जाता है। कारखाना बनाने का कार्य तीन महीनों में समाप्त हो जाता है तो फिर वे इन मजदूरों को कहां काम पर लगायें। मान लीजिए किसी कारखाने में बाढ़ आ जाती है और पानी निकालने के लिए कुछ मजदूरों को लगाया जाता है तो क्या उन्हें स्थायी रूप में नौकर रखना होगा। अतः इससे समस्या हल नहीं होगी। जैसा कि विधेयक में कहा गया है कि तीन मास कार्य करने पर किसी भी मजदूर को स्थायी घोषित कर दिया जाय, व्यावहारिक रूप में कार्यान्वित होना असम्भव है यह मैं मानता हूं कि इन लोगों के हितों के संरक्षण के लिए कुछ किया जाना चाहिए, परन्तु इस विधयक से कुछ होने वाला नहीं है।

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : उत्तर प्रदेश के माननीय सदस्य का यह सुझाव अच्छा है कि जहां मजदूरों को छुट्टी तथा अन्य लाभों से जान बूझ कर वंचित रखा जाता है, उनको संरक्षण देने के लिए कुछ अधिनियमित होना चाहिए। इस मामले पर हम विचार करेंगे। कलकत्ता के माननीय सदस्य कुछ पुरानी बातें सुना रहे थे। हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि अब हमारा देश एक स्वतन्त्र देश है। तब से लेकर आज तक इस दिशा में बहुत कुछ किया जा चुका है। मेरा मत यह है कि विधेयक के बारे में जो कुछ उन्होंने कहा है उसका ७५ प्रतिशत बिल्कुल असंगत है।

---

†मूल अंग्रेजी में

इमारती मजदूरों के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है, परन्तु पता नहीं आखिर इसका उद्देश्य क्या है । शायद ये लोग चाहते हैं कि देश प्रगति न करे और देश में दुर्गापुर, रूरकेला, भाखड़ा इत्यादि परियोजना न चल सके । यदि इमारती काम करने वाले लोग निरन्तर बेकारी की अवस्था में ही रहते तो यह सब उपरोक्त परियोजनाओं का काम कैसे चल सकता था । श्रम मंत्रालय के अन्तर्गत एक ऐसे विभाग का निर्माण कर दिया गया है जिसका काम ही यह है कि जहां तक सम्भव हो इन मजदूरों के हितों की रक्षा की जाये । एक ऐसी योजना है कि जो भी इमारती मजदूर बेकार होते हैं उनके नाम इस उपरोक्त विभाग में दर्ज कर लिये जाते हैं । यह विभाग इस बात का प्रयत्न करता है कि अन्य परियोजनाओं में जहां कहीं भी इमारती मजदूरों की आवश्यकता होती है, वहां उनको भेज दिया जाये । जहां पर ये लोग काम कर रहे होते हैं, वहां से भी उनकी छंटनी किये जाने की पूरी जांच की जाती है । जिनको वहीं रखने की गुंजाइश होती है उनको वहीं रखा जाता है ।

प्रवीण और प्रशिक्षित श्रमिकों की छंटनी का तो प्रश्न ही नहीं है । प्रशिक्षित लोगों की तो इतनी कमी है कि उन्हें नौकरी न मिलने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता । माननीय सदस्य का यह कहना कि १००० प्रशिक्षित मजदूर बेकार हैं, गलत बात है । पिछले दस वर्ष से मैं देख रहा हूं कि सैकड़ों इमारती मजदूर एक परियोजना के बाद दूसरी परियोजना में काम करते हुए दिखाई देते हैं । जब एक परियोजना का काम समाप्त हो जाता है तो उन्हें उनकी मशीनों सहित दूसरी जगह भेज दिया जाता है । इसी प्रकार आगे चलता रहेगा ।

हमें यह समझ लेना चाहिये कि जहां इमारती काम समाप्त हो जायेगा, वहां से मजदूरों की छंटनी करनी ही होगी । यह ठीक है कि परियोजना अधिकारियों को यह प्रयत्न करना चाहिए कि मुख्य परियोजना में जहां तक सम्भव हो अधिक से अधिक मजदूर काम पर लगे रहें । श्रम मंत्रालय, विभिन्न परियोजनाओं के सहयोग से, राज्य सरकारों के सहयोग से और गैर-सरकारी उपक्रमों की सहायता से यह प्रयत्न करता है कि जिन लोगों की छंटनी हो गयी हो उन्हें अन्यत्र कहीं काम पर लगाया जाय । मेरे विचार में यह काफी सन्तोषजनक व्यवस्था है ।

उड़ीसा के मेरे एक माननीय मित्र एक विशेष संस्थान के सम्बन्ध में कह रहे थे । उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि वह यह सन्तोष रखें कि जब भी हमारे नोटिस में कोई बात आयेगी हम अवश्य उस पर कार्यवाही करेंगे । मैंने तो कई बार माननीय सदस्यों से कहा है कि जब भी कभी आप के नोटिस में कोई बात आये तो तुरन्त हमें लिखें और देखें कि हम कितनी तत्काल कार्यवाही करते हैं । उन्हें संसद् के विवाद और प्रश्नों के उत्तर की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं । जिस बात का भी हमें पता लगता है हम उस पर तुरन्त कार्यवाही करते हैं ।

नैमित्तिक श्रम को हटाने के लिए एक गैर-सरकारी प्रयत्न बम्बई में और अब महाराष्ट्र में कपड़ा मजदूरों के लिए किया गया था । वहां यह व्यवस्था कर दी गयी थी कि एक गैर-सरकारी दफ्तर द्वारा इस प्रकार के छंटनी हुए मजदूरों की सूची रखी जाती थी । जब किसी मिल को मजदूरों की आवश्यकता होती तो पहले उस सूची में से उनकी 'बदली' होती, बाद में किसी और को लिया जाता था । यह कार्य अच्छी प्रकार से चलता रहा है । अब हमने इसी प्रकार का एक ऐक्सचेंज सरकारी तौर पर खानों पर खोल दिया है ताकि छंटनी हुए लोगों को दूसरे स्थान पर भेजा जाये । जब तक छंटनी हुए मजदूर काम पर न लगें किसी भी खान में नया व्यक्ति नहीं लिया जाता ।

[श्री आबिद अली]

गोदी के सम्बन्ध में संसद् ने गोदी श्रम बोर्ड अधिनियम पारित कर दिया है । इसके अन्तर्गत कलकत्ता और बम्बई में गोदी श्रम बोर्ड काम कर रहे हैं और इससे मजदूरों को काफी लाभ पहुंचा है । इसी प्रकार की व्यवस्था कोचीन विशाखापटनम में भी की जा रही है । मद्रास में गोदी श्रम बोर्ड की योजना पहिले ही लागू है ।

संविद श्रम को जहां तक सम्भव हो कम किया जा रहा है । इस मामले में कई क्षेत्रों के नियोजक भी हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं । यह ठीक है कि सभी क्षेत्रों का सहयोग हमें प्राप्त नहीं हो रहा । औद्योगिक समितियां, भारतीय श्रम सम्मेलन और स्थायी श्रम समितियां इन मामलों की प्रगति का अध्ययन करती रहती हैं । इस दिशा में काफी प्रगति की गयी है, परन्तु फिर भी इस दिशा में अभी और भी काफी करने की गुंजाइश है, इसे मैं स्वीकार करता हूं ।

नैमित्तिक श्रम के बारे में वेतन आयोग की भी यही सिफारिश थी कि इसे कम से कम मामलों में सीमित रखा जाना चाहिए । उनका वेतन भी न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले अनुसूचित श्रम के अनुसार ही होना चाहिए तथा उन्हें साप्ताहिक छुट्टी का अवकाश प्राप्त होना चाहिए । किसी को नियमित रूप में नियुक्त करते समय काफी समय के नैमित्तिक कार्य अनुभव को योग्यता समझ कर उस पर विचार किया जाय । सरकार के समक्ष यह सब सिफारिशें हैं और समयानुसार उन्हें कार्यान्वित किया जायेगा । यह बात गलत है कि न्यूनतम मजूरी अधिनियम १९४८ का प्रयोग नैमित्तिक श्रम के मामले में नहीं किया जा रहा । उस अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न कोटियों के श्रम के साथ भेदभाव करने की कोई व्यवस्था नहीं है । कोयला खान कल्याण निधि और लाभांश योजना अधिनियम १९४८ और भविष्य निधि इत्यादि के समस्त लाभ उन्हें भी प्राप्त हैं । यह बात कही गयी है कि नियोजक मजदूरों को पहले ही निकाल देते हैं और वह इन लाभों को प्राप्त करने से वंचित हो जाते हैं । इसके लिए समुचित व्यवस्था की जा रही है ताकि नियोजक अधिनियम की कमजोरियों का अनुचित लाभ न उठायें ।

संविद श्रम के बारे में भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उल्लेख आता है और इस दिशा में काफी कुछ किया गया है । लोक निर्माण विभाग और वित्त मंत्रालय ने द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर यह आदेश जारी कर दिया है कि कार्यभारित कर्मचारियों को जिन का काम लम्बे समय तक के लिए जरूरी हो उन्हें स्थायी कर्मचारी माना जाय । इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि इन मजदूरों का वेतन ३० अथवा ४० रुपये मासिक न होकर जैसाकि मेरे कानपुर के माननीय मित्र ने कहा है, ८५ रुपये मासिक फलता है । बड़ों के लिए दो रुपये प्रति दिन और बच्चों के लिए १ . १५ रुपये प्रति दिन खस टट्टी के मजदूरों को दिया जाता है । इन लोगों का काम कुछ घंटों के लिए खस की टट्टियों पर पानी डालना ही होता है । प्रतिरक्षा संस्थापन बारे में जो कुछ कहा गया है उसके सम्बन्ध में निवेदन है कि ऐसा कोई मामला प्रतिरक्षा मंत्रालय के नोटिस में नहीं आया है जिसमें किसी प्रतिरक्षा संस्थापन में ६ महीने से भी अधिक काल से काम करने वाले किसी श्रमिक को स्थायी न बनाया गया हो । इस पर यदि माननीय मित्र की जानकारी में ऐसे मामले हों जिन में ऐसा न किया गया हो तो हम इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही करने को तैयार हैं । हमें इस सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना दी जानी चाहिए ।

श्री दी० चं० शर्मा ने जो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के सम्बन्ध में कहा है, उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि हमें इस बात का अनुचित रूप नहीं लेना चाहिए । कल्याणकारी

राज्य तक पहुंचने में कुछ समय लगेगा । गलत बातें कर के हमें लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए । यदि कहीं भी ४०,००० मजदूर लगाये जायेंगे तो काम समाप्त होने पर उन्हें वहां से हटाया ही जायेगा । सभी प्रकार के देशों में ऐसा ही किया जाता है । यदि हम विधेयक की व्यवस्था के अनुसार ही कार्य करें कि कहीं भी नैमित्तिक श्रमिक नहीं लगाया जाना चाहिए और सभी मजदूर केवल स्थायी तौर पर ही रखे जाने चाहिए तो शायद हमारी एक भी परियोजना का निर्माण न हो सकता । अतः इस विधेयक को स्वीकार करना सम्भव नहीं हो सकेगा । विधेयक के अन्तर्गत जो सिद्धान्त है वह व्यवहारिक नहीं है । अतः मैं माननीय प्रस्तावक महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इस विधेयक को वापिस ले लें । यदि वह वापिस लेना स्वीकार न करें तो सदन को इसे अस्वीकार कर देना चाहिए ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : इमारती मजदूरों के सम्बन्ध में सुझाव दिया गया है कि इन लोगों के लिए सामान्य 'पूल' बना दिया जाना चाहिए । क्या ऐसा कोई पूल श्रम मंत्रालय के अन्तर्गत है ?

†**श्री आबिद अली** : श्रम मंत्रालय के अन्तर्गत है---नौकरी दिलाने वाले दफ्तर । इस सम्बन्ध में मैं आंकड़े प्रस्तुत कर चुका हूं, और इस दिशा में यह अनुभव किया गया था कि यह सारा काम सन्तोषजनक ढंग से चल रहा है ।

†**श्री अरविन्द घोषाल** (उलुबेरिया) : मुझे हर्ष है कि सदन के सभी वर्गों ने मेरे विधेयक का समर्थन किया है । मेरा उद्देश्य केवल यही था कि नैमित्तिक श्रम की अवस्था की ओर सरकार और जनता का ध्यान आकृष्ट किया जाये । मंत्री महोदय ने पत्तनों और जहाजों में काम करने वाले मज़दूरों के बारे में कहा है कि वहां नैमित्तिक श्रम को समाप्त कर दिया है । परन्तु १९५५ की जांच समिति द्वारा जो आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं, उससे ऐसा प्रतीत नहीं होता । वैसे भी वहां नैमित्तिक श्रम को ही प्राथमिकता दी जा रही है । इसी प्रकार अन्य लोक निर्माण विभाग इत्यादि के कामों में भी हो रहा है । मजदूरों का शोषण करने वाली इस मनोवृत्ति को रोका जाना चाहिए, अतः मेरा निवेदन है कि सदन को यह विधेयक स्वीकार कर लेना चाहिए ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि स्थायी प्रकार की नौकरियों में नमित्तिक श्रमिकों को नियुक्त करने की पद्धति का अन्त करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

भारतीय पुरातत्व संस्था विधेयक

†**श्री नरसिंहन्** (कृष्णगिरि) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि पुरातत्व विद्या के वैज्ञानिक तरीकों और ऐतिहासिक कृतियों तथा कलाकृतियों के संरक्षण का प्रशिक्षण देने तथा पुरातत्व विद्या की विभिन्न शाखाओं में अनुसंधान कार्य के लिये एक भारतीय पुरातत्व संस्था स्थापित करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर ३० अप्रैल, १९६१ तक राय जानने के लिये उसे परिचालित किया जाय ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नरसिंहन्]

पुरातत्व विभाग का प्रशासन वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। यह विभाग बहुत पुराना है और मुझे ज्ञात हुआ है कि वे अपने शताब्दि समारोह का आयोजन करने वाले हैं। यद्यपि इस विभाग में पहले पहल काफी ध्यान नहीं दिया जाता था तथापि लार्ड कर्जन और सर वोन मार्शल इत्यादि ने इस विभाग के कार्य में काफी दिलचस्पी ली, और फलस्वरूप इस विभाग के कार्य में दिन प्रतिदिन तरक्की होती गई। युद्ध काल के दौरान धन की कमी के कारण पुनः इस विभाग की उपेक्षा होने लगी।

[श्री जगन्नाथ राव पीठासीन हुए]

ऐसे समय जबकि इस विभाग को बने हुए ७५ वर्ष हो गये थे, भारत के तत्कालीन वायसराय ने विश्व विख्यात पुरातत्व वेत्ता सर लियोनार्ड वूली को भारत में इस विभाग के कार्य के बारे में सलाह देने के लिये बुलाया। उन्हों ने यहां के कार्य के सम्बन्ध में एक बहुत बहुमूल्य प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। तत्पश्चात् इस विभाग का कार्य सर मोर्टीमर व्हीलर ने संभाला। उन्हों ने भी इस विभाग की बहुमूल्य सेवा की। आज पुरातत्व विज्ञान बहुत जटिल विज्ञान बन गया है। अतः अब यह समय आ गया है कि हम इस विभाग के कार्य का पुनरीक्षण करें, मेरा सुझाव है कि इस विभाग के कार्यों में सुधार करने तथा इस विभाग को और सुदृढ़ बनाने के लिए एक जांच समिति बिठाई जाय।

पुरातत्व विज्ञान की महत्ता बतलाते हुए सर लियोनार्ड वूली ने कहा था कि पुरातत्व विज्ञान वर्तमान भारतीय के जीवन का महत्वपूर्ण अंग बन सकता है, क्योंकि इससे यह वह जान सकता है कि भारत की वर्तमान दशा किन-किन कारणों से संभव हुई, तथा भारत की संस्कृति में वह महानता क्या है जोकि शत्रु के गुणों को भी आत्मसात कर लेती है, इतना होते हुए भी भारतीयता अक्षुण्ण बनी रहती है।

अतः मैं यह अनुरोध करता हूं कि पुरातत्व का ज्ञान अधिक व्यापक रूप से प्रचारित किया जाय। मेरे विधेयक का भी यही उद्देश्य है कि मंत्री तथा सभा का ध्यान इस ओर आकर्षित हो।

इस सम्बन्ध में, मैं यह बताना चाहता हूं कि पुरातत्व विभाग का काम बहुत जटिल है, इस के लिये एक आयोजित योजना चाहिये। खुदाई खोज तथा इतिहास का पता लगाने के लिये पृथक-पृथक विशेषज्ञ होते हैं, इस मामले में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। केवल अधिक व्यय से यह नहीं समझ लेना चाहिये कि काम अवश्य ही अच्छा होगा। अतः सरकार को इस सम्बन्ध में बहुत सतर्क रहने कीं आवश्यकता है।

इस सम्बन्ध में मैं सर मोर्टीमर व्हीलर का एक उदाहरण देता हूं। उन्होंने पांडुचेरी के एक स्थान पर यह खोज की कि वहां पहिली शताब्दि के रोमन साम्राज्य के कुछ बर्तन और भग्नावशेष पाये गये हैं, ऐसी ही कुछ वस्तुओं की खोज ब्रह्मगिरि के निकट भी की गई। मैंने मंत्री महोदय से यह प्रश्न पूछा था कि क्या पांडुचेरी के निकट उन वस्तुओं का संरक्षण या देखभाल की जा रही हैं, इस के उत्तर में केवल यह कहा गया कि हम जानकारी एकत्र कर रहे हैं। यह उत्तर बहुत असंतोषजनक है, विशेषतः इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस प्रश्न की २० दिन पहले सूचना दे दी गई थी।

पुरातत्व के अनुसार भारत दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, इस के दक्षिण भाग में मैसूर तथा अजन्ता के बहु मल्य प्राचीन मन्दिर आते हैं। पुरातत्व तथा इतिहास की दृष्टि से ये प्राचीन भग्नावशेष अत्यन्त सुन्दर हैं तथा इन का संरक्षण करना आवश्यक है, दक्षिण के कई मन्दिरों में पल्लव चित्र भी हैं लेकिन वे मोटी प्लास्टर की तह से ढेके हैं, सरकार को चाहिये कि उन का

पुनरुद्धार किया जाय अन्य देशों में भूगर्भ में छिपी एतिहासिक सामग्री की खोज के लिये इलेक्ट्रोनिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है । भारत को भी इस ओर ध्यान देना चाहिये । इस सम्बन्ध में मिस्र का उदाहरण देना पर्याप्त होगा । वहां यह आशंका थी कि अस्वान बांध के निर्माण से बहुमूल्य न्यूवियन कलाकृतियों का विनाश हो जायगा, उन्हों ने इस सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायता मांगी है ।

अतः यह स्पष्ट है कि इस समस्या पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, मेरा विचार है कि इस सम्बध में हमें मंत्रालय के बाहर के विद्वानों तथा पुरातत्व विशेषज्ञों की भी सहायता लेनी चाहिये, यदि उन्हें इस सम्बन्ध में प्रोत्साहन दिया गया तो वे इस सम्बन्ध में उपयोगी कार्य कर सकते हैं । अतः यह आवश्यक है कि उन की राय जानने के लिये इस विधेयक को परिचालित किया जाय । वर्तमान स्थिति यह है कि एक ही अधिकारी को खुदाई, खोज, इंजीनियरिंग इत्यादि सभी बातों का जानकार होना चाहिये, जो संभव नहीं है, मैं चाहता हूं कि उक्त कार्य विभिन्न विभागों के अन्तर्गत अपने विशेषज्ञों के निरीक्षण में किये जायें । मैं आशा करता हूं कि इस विधेयक से पुरातत्व की प्रगति होगी ।

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता-मध्य): में इस बात से सहमत हूं कि यह विधेयक राय जानने के लिये परिचालित किया जाय । पुरातत्व विभाग १८६१ में अपना शताब्दि समारोह मना रहा है । इस की आलोचना करने के पूर्व मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस विभाग ने कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी किया है । वस्तुतः इस विभाग का वर्तमान रूप पिछले ७५ वर्ष के अनुभव का परिणाम है, अतः हमें इस में परिवर्तन करने के पूर्व बहुत अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिये । मेरे विचार से भारत की परिस्थितियों को देखते हुए यह आवश्यक है कि भारत में खुदाई, पुनर्नवीकरण, परिक्षण, प्रदर्शन का कार्य एकीकृत रूप से किया जाय । यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिये कि बड़ौदा विश्वविद्यालय, डक्कन कालेज पूना, तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय में पुरातत्व के संबंध में बहुत कार्य किया जा रहा है, इन सभी सरकारी अर्द्ध-सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि केन्द्रीय पुरातत्व बोर्ड में मौजूद हैं और वे अपनी-अपनी राय व्यक्त कर सुझाव भी देते रहते हैं । इस के अतिरिक्त अभी पिछले वर्ष से दिल्ली में पुरातत्व स्कूल भी खोला गया है । अतः मैं इस बात से असहमत हूं कि केवल इस कारण कि इस विभाग को विभिन्न कार्य करने पड़ते हैं, इस को कई विभागों में बांट दिया जाय ।

जहां तक श्री लिओनार्ड वुल्ली के प्रतिवेदन का सवाल है, मैं यह बताना चाहता हूं कि उस प्रतिवेदन की अधिकांश सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं, और प्रागैतिहासिक काल का अधिकांश कार्य उन की सिफारिशों के अनुसार ही किया जा रहा है, यह बात सर मोर्टीमर व्हीलर ने भी स्वीकार की है । सर मोर्टीमर व्हीलर ने लोथल में भी खुदाई के काम को देख कर भारतीय पुरातत्ववत्ताओं के कार्य की सराहना की है, जहां तक पुरातत्व को लोकप्रिय बनाने का प्रश्न है, मेरे हाथों में एक पुस्तक है जो विशेषतः इसी उद्देश्य से लिखी गई है कि जनसाधारण पुरातत्व के महत्व से परिचित हों । अतः हमें यह स्वीकार करना चाहिये कि यह विभाग प्रशंसनीय कार्य कर रहा है ।

अतः यदि इस विधेयक के द्वारा, इस विभाग के संगठन में सुधार हो सके, और विश्वविद्यालय तथा ऐसी ही अन्य गैर-सरकारी संस्थाओं का अधिक सहयोग प्राप्त हो सके, तो इस विधेयक को

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हे० ना० मुकर्जी]

परिचालित करने में कोई हानि नहीं है । हम आशा करते हैं कि ये विशेषज्ञ लोग कई बहुमूल्य सुझाव देने में समर्थ होंगे ।

†**श्री दी० च० शर्मा** (गरदासपुर) : मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि श्री मकर्जी ने इस विभाग के कार्य की तारीफ की है मैं भी इस बात से सहमत हूं कि यह विभाग वस्तुतः बहुत अच्छा काम कर रहा है ।

इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि एक भारतीय पुरातत्व संस्था की स्थापना की जाय, मेरे विचार से यह उचित ही है । यह संस्था एक विश्वविद्यालय के प्रकार की होगी जो पुरातत्व विद्या के अध्यापन की देख रेख करेगी । मैं आशा करता हूं कि इस प्रकार पुरातत्व विभाग के प्रशासन और अध्यापन में समन्वय हो सकेगा । इस बात की नितान्त आवश्यकता है कि यह विभाग पिटी हुई लीक से बाहर निकलने में असमर्थ हो सके । आशा है विधेयक इस उद्देश्य की पूर्ति में समर्थ होगा ।

इस में सन्देह नहीं इस विभाग के अन्तर्गत लगभग बारह विभाग आते हैं । अतः यह विभाग भली भांति एक भी विभाग की देख भाल नहीं कर सकता है, अतः इन में से कुछ विभागों का कार्य भारतीय पुरातत्व संस्था को सौंप देना उचित होगा । इस के अतिरिक्त यह संस्था एक प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में काम करेगी । जहां पुरातत्व के अधिकारियों को प्रशिक्षण मिल सकेगा ।

माननीय सदस्य ने इस विधेयक की रचना में बहुत परिश्रम किया है, इस के लिये वे बधाई के पात्र हैं, हमें इस विधेयक के कुछ पहलुओं यथा प्रशिक्षण, विकेन्द्रीकरण, अध्यापन इत्यादि पर यथोचित ध्यान देना चाहिये, वस्तुतः सरकार को चाहिये कि इस विधेयक को स्वीकार करे तथापि यदि इस विधेयक के द्वारा पुरातत्व विज्ञान के सम्बन्ध में देश में जागरूकता आयेगी तो भी मैं समझूंगा कि इस विधेयक का प्रयोजन सफल हुआ है ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** (नवद्वीप): मैं आशा करती हूं कि इस विधेयक को निर्विरोध समर्थन प्राप्त होगा । तथापि यह कहना गलत है कि इस विभाग ने अपने उत्पत्ति काल से आज तक कोई प्रगति नहीं की, यद्यपि इस विभाग का जन्म ऐशियाटिक सोसायटी के रूप में हुआ था तो भी आज इस विभाग के अन्तर्गत ११ विभाग हैं ।

इस सम्बन्ध में मैं आप का ध्यान प्राचीन स्मारकों के संरक्षण की ओर दिलाना चाहती हूं । हम ने संविधान में भी यह उपबन्ध किया है कि इन प्राचीन स्मारकों की रक्षा की जायगी । यह प्रसन्नता की बात है कि उन के संरक्षण का कार्य लोक निर्माण विभाग को नहीं सौंपा गया अन्यथा इस का भयंकर परिणाम होता । दुख की बात है कि सारे विभाग में एक ही पुरातत्वीय इंजीनियर हैं, उन के लिये भारत के सभी ऐतिहासिक महत्व की इमारतों की देखभाल करना असंभव है, अन्य खंडों के इंजीनियर इत्यादि भी प्रशासनिक रूप से इन के अधीन नहीं हैं, इस से प्रशासन सम्बन्धी कई कठिनाइयां हो जाती हैं ।

यदि इस विधेयक को राय जानने के लिये परिचालित किया जायेगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि लोग इस बात से सहमत होंगे कि प्राचीन स्मारकों के संरक्षण के लिये एक पृथक विभाग होना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

वस्तुतः प्राचीन स्मारक बहुत उपयोगी हैं तथा राष्ट्र के इतिहास के शिक्षण के सम्बन्ध में वे जो बहुमूल्य कार्य करते हैं, उस की तुलना नहीं हो सकती है, अतः मेरा अनुरोध है कि यह विधेयक जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाय। मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करती हूं।

†**डा० मा० श्री० अणे** (नागपुर) : पुरातत्व का किसी भी देश में बड़ा महत्व होता है। इस दिशा में सब से प्रथम लार्ड कर्जन ने पग उठाया था। उनके महान प्रयत्नों के फलस्वरूप ही पुरातत्व विभाग का निर्माण ठोस आधार पर किया गया था। तब से अब तक वह चल रहा है। भारतीय संस्कृति को समझ सकने में कठिनाई का एक कारण यह है कि भारत के समुचित इतिहास का पता नहीं लग सका है। बड़े-बड़े विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में काफी सामग्री ऐसी है जिसे अभी खोजा अथवा निकाला नहीं गया। ऐतिहासिक तारतम्य की स्थापना के लिए उसकी घटनाओं की पुष्टि की आवश्यकता होती है और यह पुष्टि केवल पृथ्वी के गर्भस्थ भंडार से ही प्राप्त हो सकती है। इस छिपे भण्डार के महत्व को कोई विशेषज्ञ ही समझ सकता है। पश्चिमी देशों में पुरातत्वीय अविशेषों के अध्ययन को काफी विकसित किया गया है। लोगों को इस अध्ययन की ओर प्रोत्साहन किया जा रहा है। हम भी ऐसा कार्य करें इसके लिए काफी विद्वानों की आवश्यकता है। हमारे देश में इस दिशा की ओर कार्य करने की काफी गुंजाइश है। इसके फलस्वरूप हमारी प्राचीन संस्कृति का और भी विशद् अध्ययन सम्भव हो सकेगा।

हमारे यहां भी पुरातत्व विभाग के निर्माण करने का यही उद्देश्य था, परन्तु इस दिशा में कोई गम्भीर प्रयत्न नहीं किये गये हैं। आज तक यह देखने की आवश्यकता नहीं समझी गयी कि इस विभाग के पास अपेक्षित सामान और सामग्री भी उपलब्ध नहीं है जिसे हमारी प्राचीन संस्कृति के अध्ययन के लिए प्रयोग किया जा सके। अतः मेरा निवेदन है कि श्री नरसिंहन् ने यह विधेयक प्रस्तुत करके बड़ा प्रशंसनीय कार्य किया है।

मैं इस बात को मानता हूं कि विधेयक के मूल रूप में कुछ परिवर्तन अवश्य किये जाने चाहिएं। हमारे समक्ष आने वाला यह एक बिलकुल नया विषय है। हमें इस बात को भी देखना चाहिये कि अन्य देश इस सम्बन्ध में क्या कर रहे हैं। अतः जो लोग अपने अनुभव और अध्ययन के कारण इस विषय के जानकार हों उन से परामर्श किया जाना चाहिए। यह अच्छा है कि विधेयक जनमत के लिए परिचालित किया गया है। मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

†**श्री वारियर** (त्रिचूर) : मैं इस विधेयक के लक्ष्य और उद्देश्य से पूर्णतः सहमत हूं। जिन लोगों ने इस दिशा में काम किया है उन महान विभूतियों को हमें अपनी श्रद्धा के फूल भेंट करने चाहिएं। इस पर भी हमें इस विषय की जितनी जानकारी है उससे कहीं अधिक जानकारी हमें और प्राप्त करना है। प्राचीन भारत के सम्पूर्ण इतिहास को अभी फिर से लिखा जाना है। इस समय हमारे देश में जो फूट डालने वाली प्रवृत्तियां दिखाई दे रही हैं वह हमारे आधुनिक जीवन के लिए भयंकर खतरा बन गयी हैं। अतः इस बात की सब से अधिक आवश्यकता है कि हमारे बीच भावात्मक एकता का निर्माण किया जाय। यह एकता तभी सम्भव होगी जब हम भारत के प्राचीन काल के पूरे इतिहास को समझ और जान सकें। इस विषय पर अब अच्छे-अच्छे प्रसिद्ध विद्वानों द्वारा उपयोगी पुस्तकें लिखी गयी हैं। इस विषय के अध्ययन के लिए उन से समुचित प्रकाश प्राप्त होता है।

एक बात और समझनी चाहिए कि पुरातत्व का अर्थ यह नहीं है कि कुछ अस्थि-अविशेष, पुराने बर्तन, गहने और अन्य चीजें खोद कर निकाली जायं। उन सब चीजों के पीछे कुछ विचार निहित

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वारियर]

रहते हैं। उन्हीं विचारों की खोज कर उन्हें नया रूप और नया जीवन दिया जाना चाहिए। यही वह कार्य है जिसे विभाग द्वारा किया जाना आवश्यक होता है। यह बड़ा प्राविधिक प्रश्न नहीं है, परन्तु व्यापक, विशाल और महत्व का प्रश्न अवश्य है।

इस विषय की बहुत सी बातों की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट कराना बड़ा ही आवश्यक है। मैं ग्वालियर गया, वहां एक महान कवि का मकबरा है, मुझे यह जान कर आश्चर्य हुआ कि उस मकबरे के चौकीदार को केवल १० रुपये प्रति मास वेतन मिलता है। मेरा निवेदन है कि इस व्यापक और विशाल विषय को वर्तमान छोटे से घिरे हुए से विभाग में ही नही रखा जाना चाहिए। इसका अपेक्षित विस्तार होना चाहिए। मंत्रालय को सलाह और रायों से लाभ उठाना चाहिए। यह भी मान लिया जाय कि इस विधेयक को ठीक प्रकार से प्रारूप नहीं किया गया तो भी मंत्रालय का यह कर्तव्य है कि वह इस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत करे और इस प्रकार की संस्था की स्थापना करे। यह देश की भावात्मक एकता के लिए बड़ा ही आवश्यक है। केवल भाषण देने से भावात्मक एकता की स्थापना नहीं हो सकती। यही कारण है जिन से प्रेरित हो कर मैं इस विधेयक का समर्थन कर रहा हूं।

भारत में संग्रहालयों और स्मारकों की ठीक ढंग से देख भाल नहीं की जा रही। ताज महल और लाल किले को जिस प्रकार हम रख रहे हैं यह कोई शोभा की बात नहीं। इन्हें और भी अधिक अच्छी हालत में रखा जाना चाहिए ताकि बाहर से आने वाले लोग यह न कहें कि हम अपनी इस निधि के प्रति उदासीन हैं। दक्षिण में विशाल भित्ति चित्र और विशाल मंदिर खराब हालत में पड़े हुए हैं। इन सब की हालत सुधारी जानी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि अपने देश के इस गौरव को सुरक्षित रखने की दृष्टि से सरकार इस विधेयक को स्वीकार कर लेगी।

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: मैं ने विधेयक के प्रस्तावक महोदय तथा अन्य माननीय सदस्यों के जोशीले भाषण सुने हैं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि इससे हमारी पुरातत्व के सम्बन्ध में जानकारी बढ़ी है। मैं प्रस्तावक महोदय का इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पुरातत्व विभाग में काफी रुचि दिखाई है और उनकी इच्छा है कि इस विभाग की स्थिति सुधारी जाये।

निस्संदेह विधेयक के पीछे जो उद्देश्य है वह बहुत अच्छा है, परन्तु मेरा मत है कि यदि इस विधेयक को स्वीकार कर लिया गया तो भारत में पुरातत्व के लिए उसके बड़े हानिकारक प्रभाव होंगे। इस विधेयक को लागू करने का अर्थ होगा कि हम विभाग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य अर्थात् खोज, खुदाई और प्रोगैतिहास खोज आदि के कार्य को इस से ले कर शिक्षा संस्थाओं को सौंप दिया जायेगा। यदि ऐसा किया गया तो न केवल देशभर के पुरातत्व स्थानों का विनाश होगा वरन् अपार लोक-धन की भी हानि होगी। नये-नये विभाग खोले जायेंगे और उनके संभरण के लिये इस सभा द्वारा धन की व्यवस्था की जायेगी।

†**सभापति महोदय** : माननीय मंत्री आगामी गैर-सरकारी दिन अपना भाषण जारी रखें। अब सभा स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, १२ दिसम्बर, १९६०/२१ अग्रहायण, १८८२ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

शुक्रवार, ९ दिसम्बर, १९६०

१८ अग्रहायण, १८८२ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर.	.	२३२५—४९
तारांकित		
प्रश्न संख्या		
८०५	रेलों पर भिखारी	२३२५—२७
८०६	दिल्ली के क्षय-रोग के अस्पतालों के कर्मचारी . .	२३२७—२९
८०७	"पूर्व की यात्रा करो वर्ष" . . .	२३२९—३२
८०९	जहाजों की मरम्मत की सुविधायें . .	२३३२—३४
८१०	गांवों का विद्युतीकरण.	२३३४—३८
८११	क्षयरोग और कोढ़ . .	२३३८—४०
८१३	डीजल से रेलगाड़ियां चलाना . . .	२३४०—४१
८१४	सड़क परिवहन से आय	२३४१—४३
८१५	पब्लिक ला ४८० के अन्तर्गत खाद्यान्न का नौवहन .	२३४३—४५
८१७	एयर इंडिया इन्टरनेशनल की भारवाही सेवा (फ्रैटर सर्विस)	२३४५—४६
८१८	बम्बई पत्तन में रेत आदि का इकट्ठा होना . .	२३४६—४७
८१९	दिल्ली में बस्तियां बसाना . .	२३४७—४९
अल्प सूचना		
प्रश्न संख्या		
३	लौंगजू का खाली किया जाना	२३४८—५१
प्रश्नों के लिखित उत्तर.		२३५१—८३
तारांकित		
प्रश्न संख्या		
८०८	यात्री पोत	२३५१
८१२	डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट, जयपुर के विरुद्ध आरोप	२३५१—५२
८१६	क्षय रोगी	२३५२
८२०	कलकत्ता में विदेशी हवाई पत्रों के फार्मों की कमी	२३५२

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर---(क्रमशः) :	
	तारांकित प्रश्न संख्या	
८२१	नागार्जुनसागर परियोजना . . .	२३५२–५३
८२२	हसन-मंगलौर लाइन . .	२३५३
८२३	बम्बई पत्तन . . .	२३५३–५४
८२४	देश में खाद्य पदार्थों में मिलावट .	२३५४
८२५	उड़ीसा को उर्वरकों का सम्भरण . . .	२३५५
८२६	डाक तथा तार विभाग में कल्याण पदाधिकारी	२३५५–५६
८२७	नौवहन उद्योग के लिये मुद्रा . . .	२३५६
८२८	रेलवे में भ्रष्टाचार	२३५६
८२९	दिल्ली लन्दन बस सेवा .	२३५७
	अतारांकित प्रश्न संख्या	
१५५९	राष्ट्रीय राजपथ संख्या ५ . . .	२३५७
१५६०	विमान दुर्घटनायें	२३५७–५८
१५६१	महाराष्ट्र में खाद्यान्नों का स्टाक .	२३५८
१५६२	क्विलोन-त्रिवेन्द्रम लाइन पर पेरुन्गुज़ी	२३५८
१५६३	डाकघरों की इमारतें .	२३५८–५९
१५६४	रेलगाड़ियों में डकैतियां . . .	२३५९–६०
१५६५	विजयवाड़ा में दुग्ध चूर्ण (मिल्क पाउडर) कारखाना .	२३६०
१५६६	विलिंगडन अस्पताल . .	२३६०
१५६७	दिल्ली में खेती के योग्य बेकार पड़ी भूमि .	२३६०
१५६८	पंजाब में सिंचाई और बिजली का विकास .	२३६०–६१
१५६९	भारत में आयुर्वेद की उन्नति .	२३६१
१५७०	रेलवे कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	२३६२
१५७१	चित्तरंजन इंजन कारखाने में एप्रेंटिस .	२३६२
१५७२	बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों को अनाज का सम्भरण .	२३६२
१५७३	उत्तर प्रदेश के सीमान्त जिलों में टेलीफोन सुविधायें . .	२३६३
१५७४	रेलवे दुर्घटनायें में हताहत व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति .	२३६३
१५७५	रेनीगुन्टा-तिरुपति रेलवे लाइन . . .	२३६३
१५७६	गंडक परियोजना	२३६३–६४

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या		
१५७७	बिहार में मक्खन का कारखाना . .	२३६४
१५७८	क्षय रोग का सर्वेक्षण	२३६४–६५
१५७९	बनारस के पास दुर्घटना . . .	२३६५
१५८०	जल विद्युत् शक्ति	२३६५–६६
१५८१	भागलपुर रेलवे स्टेशन . .	२३६६
१५८२	तेज़ मालगाड़ियां . . .	२३६६
१५८३	उत्तर रेलवे में सहकारी संस्थायें . .	२३६६
१५८४	सुपारी का उत्पादन . . .	२३६७
१५८५	अम्बाला और चंडीगढ़ के बीच का रेल किराया	२३६७
१५८६	आसाम रेल लिंक	२३६८
१५८७	दामोदर घाटी निगम के कर्मचारियों के लिये क्षय रोग का अस्पताल .	२३६८
१५८८	परिवार नियोजन . . .	२३६८–६९
१५८९	दिल्ली के कमला नगर में भूमि तल में पानी	२३६९
१५९०	इस्पात का माल उठाना	२३६९
१५९१	चीनी की कीमत	२३७०
१५९२	पंजाब में लघु विद्युत परियोजनायें . .	२३७०
१५९३	कृष्णा और गोदावरी सम्बन्धी परियोजनायें	२३७०–७१
१५९४	डाक और तार कर्मचारी . .	२३७१
१५९५	दक्षिणी क्षेत्र में पानी का बंटवारा	२३७२
१५९६	मद्रास पत्तन . . .	२३७२
१५९७	ब्रह्मपुत्र पुल	२३७२–७३
१५९८	फल परिरक्षण	२३७३
१५९९	संयुक्त राज्य अमरीका को भारतीय पक्षियों का निर्यात	२३७३–७४
१६००	बिहार में 'गलगण्ड' . .	२३७४
१६०१	मलेरिया और फाइलेरिया कार्यक्रम	२३७४
१६०२	इम्फाल नगरपालिका	२३७४–७५
१६०३	रामपुर में टेलीफोन कनेक्शन . .	२३७५
१६०४	कटक के लिये कोबाल्ट एकक	२३७५

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१६०५ विद्युदणु-तोलन यंत्र २३७५–७६
१६०६ बम्बई पत्तन न्यास २३७६
१६०७ रेलवे की अनाज की दुकानों के कर्मचारी . . . २३७६
१६०८ दक्षिण-पूर्व रेलवे का लोको रनिंग स्टाफ़ . . २३७७
१६०९ चीनी २३७७–७८
१६१० मैसूर राज्य में चीनी का कारखाना . . २३७८
१६११ मूंगफली की फसलों की क्षति २३७९
१६१२ मनमद के निकट रेलगाड़ी का पटरी से उतरना . . २३७९–८०
१६१३ हमदर्द दवाखाना, दिल्ली . २३८०
१६१४ बारसोई स्टेशन . . . २३८०–८१
१६१५ कटिहार जंकशन २३८१
१६१६ आन्ध्र प्रदेश में मेडिकल स्टोर डिपो . . २३८१
१६१७ संसद्-सदस्यों के क्वार्टरों में डी०डी०टी० छिड़कना . . २३८२
१६१८ अन्तर्राज्यीय मार्गों पर चलने वाली मोटर गाड़ियों पर एक स्थान पर कर लगाना . . . २३८२
१६१९ दक्षिणावर्त विमान सेवा . २३८२
१६२० फोनोग्राम . . . २३८३

स्थगन प्रस्ताव २३८३–८४

अध्यक्ष महोदय ने कांगो में भारतीय सैनिक दल के समक्ष उत्पन्न संकट कालीन स्थिति के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव को, जिसकी सूचना श्री इन्द्रजीत गुप्त ने दी थी, प्रस्तुत करने की अनमति नहीं दी ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र २३८४–८५

(१) दूसरी लोक-सभा के विभिन्न सत्रों में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति :—

(एक) अनुपूरक विवरण संख्या ३ ग्यारहवां सत्र, १९६०

(दो) अनुपूरक विवरण संख्या ८ दसवां सत्र, १९६०

(तीन) अनुपूरक विवरण संख्या ११ नवां सत्र, १९५९

(चार) अनुपूरक विवरण संख्या १३ आठवां सत्र, १९५९

विषय पृष्ठ

(पांच) अनुपूरक विवरण संख्या २० सातवां सत्र, १९५९

(छः) अनुपूरक विवरण संख्या २२ पांचवा सत्र, १९५८

(२) मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ३० जनवरी, १९६० की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २८६ में प्रकाशित अन्तर्राज्य परिवहन आयोग नियम, १९६० की एक प्रति

(३) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेशों की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक २६ नवम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४०९ में प्रकाशित चावल (पंजाब) दूसरा मूल्य नियंत्रण (दूसरा संशोधन) आदेश, १९६० ।

(दो) दिनांक २६ नवम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४१० में प्रकाशित चावल (पूर्वी खण्ड) लाने ले जाने पर नियंत्रण (तीसरा संशोधन) आदेश, १९६० ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . २३८५—८६

श्री सुरेन्द्र महन्ती ने कराची में हाल में हुई भारत-पाकिस्तान व्यापार वार्ता की ओर वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री का ध्यान दिलाया ।

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य सभा-पटल पर रखा ।

विधेयक—पारित . . . . . २३८७—२४०५

(१) राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी) ने विनियोग (संख्या ५) विधेयक, १९६० पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंडवार विचार के पश्चात् विधेयक पारित किया गया ।

(२) वायदे के सौदे (विनियमन) संशोधन विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव तथा विधेयक पर राय जानने के लिये श्री वे० प० नायर द्वारा प्रस्तुत संशोधन पर आगे चर्चा जारी रही । संशोधन अस्वीकृत हुआ और विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंडवार विचार के पश्चात् विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया गया ।

सदस्य की गिरफ्तारी २४०५

उपाध्यक्ष महोदय ने लोक-सभा को सूचित किया कि अध्यक्ष महोदय को अतिरिक्त जिलाधीश, २४ परगना का दिनांक ५ दिसम्बर, १९६० का एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें यह सूचना दी गई है कि श्री कन्सारी हाल्दर को ५ दिसम्बर, १९६० को पुनः अलीपुर केन्द्रीय कारागार भेज दिया गया ।

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक—पुरस्थापित . . . २४०५—११

दिल्ली किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, १९६० (धारा १४ का संशोधन) [श्री तंगामणि का]

विषय पृष्ठ

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक--परिचालित करने का प्रस्ताव विचाराधीन २४११—१६

श्री नरसिंहन् ने भारतीय पुरातत्व संस्था विधेयक को उस पर ३० अप्रैल, १९६० तक राय जानने के लिये उसे परिचालित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

सोमवार, १२ दिसम्बर, १९६०/२१ अग्रहायण, १८८२ (शक) के लिये कार्यावलि

निम्न विधेयकों पर विचार तथा उनका पारित किया जाना :—

(क) अधिमान-प्राप्त अंश (लाभांशों का विनियमन) विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में

(ख) त्रिपुरा उत्पादन शुल्क विधि (निरसन) विधेयक।